हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान - 2034

अंतिम

दिसम्बर 2014

नगर एवं ग्राम नियोजन ईकाई
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

vfre

goykd rFkk uhy }hi d fy, ekLVj Iyku & 2034

uxj ,o xke fu;kt u bdkbl
v.Meku ykd fuek.k foHkkx] ikVl Cy;j
v.Meku rFkk fudkckj }hi leg

fnlEcj 2014

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 20, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 06 फरवरी, 2015

No. 20, Port Blair, Friday, February 06, 2015

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 6 फरवरी, 2015

फार्म–।।

(नियम 3(3) देखें)

विनियम की धारा – 8(2) के तहत मास्टर प्लान के अनुमोदन के संबंध में सूचना

सं. 18/2015/फा.सं. टी.पी–76/मु.अभि./2014/739(पी.एफ.).– अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह नगर एवं ग्राम योजना विनियम, 1994 (1994 की सं. 7) के धारा 8 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), हैवलॉक तथा नील द्वीप विकास क्षेत्र के मास्टर प्लान का अनुमोदन करते हैं ।

हैवलॉक तथा नील द्वीप विकास क्षेत्र के मास्टर प्लान को एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा निरीक्षण हेतु इसकी प्रति सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान नगर योजनाकार के कार्यालय एवं निम्नलिखित कार्यालय में उपलब्ध है :–

1. प्रधान का कार्यालय, गोविन्दनगर ग्राम पंचायत, गोविन्दनगर, हैवलॉक द्वीप ।
2. प्रधान का कार्यालय, श्यामनगर ग्राम पंचायत, श्यामनगर, हैवलॉक द्वीप का कार्यालय ।
3. प्रधान का कार्यालय, नील केन्द्र ग्राम पंचायत, नील केन्द्र, नील द्वीप का कार्यालय ।
4. नगर एवं ग्राम योजना एकक, मु.अ. कार्यालय, निर्माण भवन, अ.लो.नि.वि, पोर्ट ब्लेयर ।

यह मास्टर प्लान अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि के प्रभाव से प्रचालन में आएगी। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ संदर्भ एवं आम जनता के उपयोग हेतु नगर एवं ग्राम योजना एकक, मु.अ. का कार्यालय, अ.लो.नि.वि, पोर्ट ब्लेयर में बिक्री के लिए उपलब्ध है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियाँ अ. तथा नि. प्रशासन और अ.लो.नि.वि की वेबसाईट: www.and.nic.in तथा www.apwd.and.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

उप राज्यपाल,

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
उप राज्यपाल के आदेश से एवं नाम से,

ह./–
संयुक्त सचिव (लो.नि.वि/श.वि.)
अ. तथा नि. प्रशासन
सचिवालय

fo"k;&lph

Ø-l-	'kh"kd	i"B l-
1-0	gOkd ,o uhy }hi& ,d fo°xkoykdu	1
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	भूमि	1
1.3	लोग	4
1.4	अर्थव्यवस्था	6
1.5	सेवाऍं	8
1.6	सामाजिक अवसंरचना एवं अन्य सुविधाऍं	9
2-0	fodkl nf"Vdk.k	13
2.1	मास्टर प्लान का उद्देश्य	13
2.2	विकास धारणा एवं दृष्टिकोण	14
2.3	भूमि	14
2.4	लोग	16
2.5	अर्थव्यवस्था	17
2.6	सेवाऍं	19
2.7	परिवहन	21
2.8	सामाजिक अवसंरचना एवं अन्य सुविधाऍं	21
3-0	;kstuk izLrko	27
3.1	योजना प्रस्ताव की प्रकृति एवं प्रकार	27
3.2	मूल सेवाऍं	27
3.3	सामाजिक अवसंरचना	29
3.4	पर्यटन विकास	30
3.5	परिवहन	33
3.6	भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण एवं नियोजन मानक	33
3.7	भूमि उपयोग नियोजन	35
3.8	प्राथमिकता एवं चरणीकरण	36
3.9	परियोजना भूमि मॉग एवं लागत	38
4-0	fodkl fofu;e	42
4.1	तकनीकी शब्दावली एवं परिभाषा	42
4.2	भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण विनियम	45
4.3	निर्माण क्रियाकलापों के लिए नियोजन मानक	51
4.4	अभिन्यास तथा उप–विभाजन विनियम	60
4.5	अन्य मानदण्डों एवं मानकों का अनुवर्त्तन	63
5-0	dk;kZUo;u fØ;kfof/k	65
5.1	योजना कार्यान्वयन के सिद्धांत	65

5.2	भूमि एवं भवन विकास क्रियाकलापों के विनियम	65
5.3	शक्तियों का विकेन्द्रीकरण	66
5.4	विकास हेतु प्लॉटों के नियोजन अनुमति, भवन नक्शा अनुमोदन तथा अभिन्यास प्राप्त करने की प्रक्रिया	66
5.5	परामर्शी निकाय का गठन	67
5.6	अभिकरणों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	68
5.7	संसाधन संगठनीकरण	69

rkfydkvksa dh lwph

Ø-l-	'kh"kZd	i"B l-
1.1	जनसंख्या तथा भूमि विवरण– हैवलॉक द्वीप	2
1.2	जनसंख्या तथा भूमि विवरण– नील द्वीप	2
1.3	हैवलॉक द्वीप का भूमि उपयोग वर्गीकरण–2014	3
1.4	नील द्वीप का भूमि उपयोग वर्गीकरण–2014	3
1.5	हैवलॉक द्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर	4
1.6	नील द्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर	4
1.7	हैवलॉक तथा नील द्वीप में शुद्ध घनत्व	5
1.8	शाक्षरता, बाल जनसंख्या तथा लिंग अनुपात का विवरण–हैवलॉक द्वीप–2011	5
1.9	शाक्षरता, बाल जनसंख्या तथा लिंग अनुपात का विवरण–नील द्वीप–2011	5
1.10	रोजगार पैटर्न में प्रतिशत परिवर्तन	6
1.11	रोजगार पैटर्न में परिवर्तन	7
1.12	हैवलॉक द्वीप में मुख्य कामगारों के बीच व्यवसायिक पैटर्न	7
1.13	नील द्वीप में मुख्य कामगारों के बीच व्यवसायिक पैटर्न	7
1.14	हैवलॉक तथा नील द्वीप के जल स्रोत	8
1.15	हैवलॉक और नील द्वीप में शैक्षिक सुविधाओं का विवरण	9
1.16	हैवलॉक और नील द्वीप में स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण	9
1.17	हैवलॉक और नील द्वीप में अन्य सुविधाओं का विवरण	9
2.1	हैवलॉक तथा नील द्वीप की अनुमानित जनसंख्या	16
3.1	हैवलॉक द्वीप का प्रस्तावित भूमि उपयोग वितरण–2034	35
3.2	नील द्वीप का प्रस्तावित भूमि उपयोग वितरण–2034	35
3.3	प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि एवं वित्तीय आवश्यकता	39
4.2.3(क)	आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	46
4.2.3(ख)	वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	47
4.2.3(ग)	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	47
4.2.3(घ)	सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	48
4.2.3(ड.)	परिवहन एवं संचार क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	49
4.2.3(च)	उद्यान एवं खुले स्थान के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	49
4.2.3(छ)	कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोग एवं क्रियाकलाप	50
4.2.3(ज)	विशेष आरक्षण के अन्तर्गत भूमि के प्रकार	50
4.2.4	विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों में अनुमत्य एवं निषिध उपयोगों तथा क्रियाकलाप समूह	51
4.3.1	सभी भूमि उपयोग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए पार्किंग मानदण्ड	53
4.3.2	विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए नियोजन मानदण्ड	59
5.3	हैवलॉक एवं नील द्वीप में राजस्व गॉव/पंचायत	66

ekufp=k dh lwph

ekufp= l-	'kh"kZd	i"B l-
1.	स्थान/स्थिति मानचित्र	10
2.	हैवलॉक वर्तमान भूमि उपयोग–2014	11
3.	नील वर्तमान भूमि उपयोग–2014	12
4.	हैवलॉक द्वीप –धारणात्मक योजना	23
5.	नील द्वीप –धारणात्मक योजना	24
6.	वर्तमान सड़क जाल –हैवलॉक एवं नील द्वीप	25
7.	पारिस्थितिकी कॉरिडोर	26
8.	हैवलॉक प्रस्तावित भूमि उपयोग –2034	40
9.	नील प्रस्तावित भूमि उपयोग –2034	41

Lkkf{kIrk{kj

अ. एवं नि.	अण्डमान तथा निकोबार
अ.लो.नि.वि	अण्डमान लोक निर्माण विभाग
प.नि.प्रौ.के	पर्यवरणीय नियोजन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र
के.लो.स्वा.प.अ.सं.	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यवरणीय अभियांत्रिकी संगठन
त.वि.क्षे	तटीय विनियम क्षेत्र
वि.अ.शो.प्र	विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट शोधन प्रणाली
न.ग्रा.नि.वि	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उ.सं.भ.नि	उर्जा संरक्षण भवन नियम
त.क्षे.अ	तल क्षेत्र अनुपात
है.	हैक्टेयर
है.नि.प.नि	हैवलॉक तथा नील परामर्शी निकाय
ज्वा.रे.	ज्वार रेखा
स.द्वी.प्र.यो	समान्वित द्वीप प्रबंधन योजना
अ.प.वि.से	अवसंरचना पट्टे में देना तथा वित्तीय सेवाएँ
किलो	किलोवाट
किलो.शि	किलोवाट शिखर
द्वी.सु.क्षे	द्वीप सुरक्षा क्षेत्र
प्र.व्य..ली.प्र	प्रति व्यक्ति लीटर प्रतिदिन
द.ला.ली.प्र	दस लाख लीटर प्रतिदिन
प्र.व्य.है	प्रति व्यक्ति हैक्टेयर
सा.नि.भा.	सार्वजनिक निजि भागीदारी
व.कि	वर्ग किलोमीटर

v/;k;&1
gkoykd ,oa uhy }hi& ,d fo"kxkoykdu

1-1 iLrkouk

556 द्वीपों के समूह में हैवलॉक और नील दो सुंदर आबादी वाले द्वीप अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित प्रदेश का गठन करते है । ये दो द्वीप पर्यटकों के लिए विश्व स्तर के आकर्षण प्रदान करते है, जो आज तक अधिकतर मात्रा में प्राचीन स्थिति को लगातार बनाए रखी है । यद्यपि अण्डमान के द्वीपों में बालू तट का आकर्षण सीमित नहीं है, तथापि यहॉ के कुछ तट रोचक तथा दर्शनीय है, जिससे विश्व के दूर–दराज क्षेत्रों के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित होता है । लोकप्रिय तटों, मूँगा निक्षेपों की बहुलता तथा घने वन इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति को परिभाषित करते है । घने वन तथा विस्तृत समुद्र, के कारण यहॉ पेड़–पौधे और जन्तुओं की विभिन्न प्रकार की काफी अधिक प्रजातियॉ उपलब्ध है ।

हैवलॉक एवं नील द्वीप अ. तथा नि. द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय से क्रमशः 39 एवं 36 किमी. दूर है (मानचित्र 1) इन द्वीपों में प्रतिदिन नौका (बोट) सेवाऍं उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त रविवार को छोड़कर सभी दिन हैवलॉक और पोर्ट ब्लयेर के बीच समुद्री हवाईजहाज उड़ान भर रही है । 2011 के जनगणना के अनुसार हैवलॉक और नील द्वीप में जनसंख्या क्रमशः 6315 और 3040 व्यक्ति है। भौगोलिक रूप से हैवलॉक द्वीप नील द्वीप से 6 गुणा बड़ा है । हैवलॉक द्वीप का कुल क्षेत्रफल 113.93 वर्ग किमी. है, जबकि नील द्वीप केवल 18.9 वर्ग किमी. में फैला है । दोनों द्वीपों में वन क्षेत्र अधिक है । हैवलॉक में 95.6 वर्ग किमी. वन क्षेत्र है जो कि कुल भूमि का 84% है तथा नील द्वीप में 6. 47 वर्ग किमी. वन क्षेत्र है, जो कि कुल भूमि का 34% है। हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में लोगों के अस्तित्व का मुख्य आधार कृषि है । हैवलॉक द्वीप में वन आधारित क्रियाकलाप भी व्यवसायिक समर्थन उपलब्ध कराती है।

90 के दशक के मध्य से हैवलॉक एक अत्यधिक प्रसिद्व गन्तव्य स्थान के रूप में उभर रहा है तथा लगभग 1000 पर्यटक प्रतिदिन इस द्वीप का भ्रमण करते है । हैवलॉक में आवास, भोजन तथा परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने में निजि क्षेत्र सक्रिय है । हाल के वर्षो में निर्मित ठहरने के अस्थाई स्थानों तथा शैरगाहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । तुलनात्मक रूप से नील में बहुत कम मात्रा में पर्यटक आते हैं, प्रतिदिन औसतन यहॉ लगभग 300 पर्यटक भ्रमण में आते है । निजि समुद्र–विहार बोट के शामिल होने पर अब हैवलॉक और नील द्वीपों में अधिक पर्यटक आने लगे है और इसके परिणामस्वरूप ठहरने और भोजन सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है ।

यद्यपि स्थानीय जनसंख्या का आकार छोटा है, तथापि अण्डमान पर्यटन में इन द्वीपों की बढ़ती प्रसिद्धि से हाल में महत्वपूर्ण भौतिक विकास क्रियाकलापों का सही उपयोग तथा नियंत्रित नहीं किया गया तो इन द्वीपों के पर्यटन संभावनाओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा । हैवलॉक और नील द्वीप में स्थाई पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक औजार के रूप में इस मास्टर प्लान पर विचार करना होगा, जिससे स्थानीय जनसंख्या को लाभ हो सकता है तथा अ. तथा नि. द्वीप समूहों के संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि कर सकता है ।

यह अध्याय हैवलॉक और नील द्वीप के वर्तमान परिदृश्य को झलकाता है तथा विकास कार्यनीति पर पहुॅचने एवं स्थानिक विकास योजना और विनियम के लिए उभरते स्थिति का विश्लेषण करता है, जो इस द्वीपों में फैले नाजुक परिस्थितिकी प्रणाली में बिना अतिक्रमण करे प्रकृति द्वारा इन द्वीपों को प्रदान किए गए संभावनाओं के उपयोग का संवाहक है ।

1-2 Hkfe

1-2-1 fufn"V iznkj dh Hkfe

हैवलॉक और नील द्वीप के मध्य की दूरी केवल 5 किमी. है । फिर भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप में पहुॅचने के लिए एक व्यक्ति को 20 किमी. से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, क्योंकि वन भूमि तथा समुद्र में जमा गूॅगा की स्थिति के कारण बोट घाटें अलग तरीके से स्थित की गई है । इन द्वीपों के मध्य दूरी को पूरा करने के लिए नौकाऍं 45 मिनट लेती है ।

हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में, 3 ग्राम पंचायतों–हैवलॉक में दो तथा नील में एक ग्राम पंचायत के तहत स्थानीय प्रशासन कार्य कर रही है । नाजुक स्थलाकृति, तट में 30–40 मीटर ऊँची अप्रत्याशित रूप में उठे हुए वितान वृक्षों के घने पुंज, आद्र जलवायु तथा वर्षा की उच्च तीव्रता हैवलॉक एवं नील द्वीप से सामान्य रूप से जुड़ी विशेषताएँ है । हैवलॉक द्वीप में बहुत अधिक मात्रा में पहाड़ी भूमि दिखाई देती है जो कि कुल भूमि का 20% है । इसकी तुलना में नील द्वीप में केवल 1% से कुछ अधिक भूमि पहाड़ी भूमि के रूप में वर्गीकृत है । हैवलॉक द्वीप में पहाड़ी भूमि का एक तिहाई से अधिक कृष्णनगर में स्थित है । हैवलॉक एवं नील द्वीप राजस्व गॉवों से संबंधित भूमि विवरण तथा इन गॉवों की जनसंख्या को क्रमशः तालिका 1.1 एवं 1.2 में प्रस्तुत किया गया है ।

rkfydk 1-1 tuli[;k rFkk Hkfe fooj.k & goyk d }hi

jktLo xkso d uke	tuli[;k¼2011½	{k= ¼gDVs;j½		igkMh Hkfe dk ifr'kr
		कुल	पहाड़ी भूमि	
गोविन्दनगर	2904	359.67	68.15	18.95
विजयनगर	1099	292.06	40.47	13.86
कृष्णनगर	769	363.24	123.38	33.97
श्यामनगर	906	311.14	71.82	23.08
राधानगर	637	391.24	34.81	8.90
हैवलॉक द्वीप	6315	1717.35	338.63	19.72

rkfydk 1-2 tuli[;k rFkk Hkfe fooj.k & uhy }hi

jktLo xkso d uke	tuli[;k¼2011½	{k= ¼gDVs;j½		igkMh Hkfe dk ifr'kr
		d y	igkMh Hkfe	
नील केन्द्र	1000	108.31	6.54	6.04
भरतपूर	629	187.92	0.15	0.08
सीतापूर	274	555.44	0.98	0.18
लक्ष्मणपूर	382	172.64	7.20	4.17
रामनगर	755	192.07	0.39	0.20
नील द्वीप	3040	1216.38	15.26	1.25

दोनों द्वीप आकार में अपेक्षाकृत संकीर्ण और लंबे है जिसमें द्वीपों के एक ओर वनभूमि की विशाल क्षेत्र है । अनेक स्थानों पर यह द्वीप वनस्पति, मूँगाभित्ति संरचना से घिरा हुआ है । जबकि प्रकृति विस्तार की विशेषता, इन द्वीपों में पर्यटन महत्व को बढ़ाती है, यह भूमि उपयोग नियोजन के लिए चुनौती भी प्रस्तुत कर सकती है ।

1-2-2 Hkfe mi;ksx

हैवलॉक एवं नील द्वीपों में राजस्व गॉवों में समाविष्ट पहाड़ी भूमि के अतिरिक्त एक अच्छी–खासी भूमिक्षेत्र वनों के अन्तर्गत आती है । हैवलॉक और नील द्वीपों के राजस्व गॉवों के भीतर भूमि उपयोजन की विशेषताओं को इस अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है । जैसा तालिका 1.1 एवं 1.2 में दिखाया गया है कि हैवलॉक और नील द्वीप में राजस्व गॉवों के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले कुल भूमि क्षेत्र का विस्तार क्रमशः 1717 हैक्टेयर तथा 1216 हैक्टेयर है । इन दो द्वीपों मे पर्यटन को गति प्राप्त होने के बावजूद भूमि उपयोजन अभी भी हमारे देश की प्रतीकात्मक कृषि प्रभावी गॉवों की विशेषता प्रस्तुत करता है ।

हैवलॉक एवं नील द्वीप में 70% से अधिक भूमि में कब्जा कर कृषि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।हैवलॉक द्वीप में भूमि का लगभग 1300 हैक्टेयर तथा नील द्वीप में भूमि का लगभग 850 हैक्टेयर अभी भी कृषि उपयोग के अंतर्गत है। हैवलॉक द्वीप में राजस्व गांवों में कृषि भूमि के समानुपात में 67% से 85% के बीच भिन्नता है। नील द्वीप में यही रेंज 58% से 89% है। हैवलॉक के गोविन्दनगर में कृषि भूमि का समानुपात सबसे कम (67%) है। यह मुख्यता यहां पर बोट घाट के होने के कारण है। इन राजस्व गांवों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रकार के विकास अधिक ध्यान देने ध्यान देने योग्य है। सीतानगर में कृषि भूमि का कम समानुपात (58%) रिकॉर्ड किया गया है, यह इस कारण से कि इस राजस्व गांवों में भूमि का 40% से अधिक वनों के अंतर्गत है। हैवलॉक एवं नील द्वीप में अलग ब्यौरा क्रमशः तालिका 1.3 और 1.4 में दर्शाया गया है।

राजस्व गॉवों के क्षेत्रों के बाहर आरक्षित वनों के प्रसार के अतिरिक्त हैवलॉक और नील द्वीपों में वन द्वारा कब्जा किए गए 9% से 21% भूमि राजस्व गॉव के भाग के रूप में संरचित है। इस तरह राजस्व क्षेत्र के भीतर भी वन दूसरी सबसे बड़ी भूमि दखलकार हो गई है। फिर भी नील द्वीप के राजस्व गॉवों में 85% से अधिक वन केवल सीतापूर में है। हैवलॉक राजस्व गॉवों में लगभग 1/3 वनों का विकास कृष्णानगर में हुआ है।

rkfydk 1-3 goyk d }hi dk Hkfe mi;kx oxhdj.k& 2014

Hkfe mi;kx@ jktLo xko	xkfoUnuxj		fot;uxj		d".kuxj		';keuxj		jk/kkuxj		goyk d }hi	
	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%
आवासीय	37.52	10.43	11.07	3.79	11.01	3.03	16.58	5.33	15.63	3.99	91.80	5.35
वाणिज्यिक	21.19	5.89	24.43	8.36	0.54	0.15	1.13	0.36	15.78	4.03	63.07	3.67
औद्योगिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.13	0.00	0.00	0.41	0.03
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	7.04	1.96	7.89	2.70	1.93	0.53	3.07	0.99	4.96	1.27	24.90	1.45
परिवहन एवं संचार	8.52	2.37	4.57	1.56	5.31	1.46	6.16	1.98	9.30	2.38	33.86	1.97
मनोरंजनात्मक	0.92	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.05
कृषि	280.45	77.97	197.08	67.48	307.22	73.92	241.03	77.47	297.83	76.13	1323.61	77.07
वन	0.00	0.00	46.94	16.07	29.44	18.76	37.81	12.15	43.41	11.09	157.59	9.17
जल निकाय	4.03	1.12	0.08	0.03	7.80	2.15	4.94	1.59	4.33	1.11	21.17	1.23
dy	359-67	100-00	292-06	100-00	363-24	100-00	311-14	100-00	391-24	100-00	1717-35	100-00

हैवलॉक और नील द्वीप में आवासीय विकास क्रमशः केवल 5% और 4% तक सीमित है। हैवलॉक द्वीप में गोविन्द नगर और नील द्वीप में नील केन्द्र ही ऐसे दो राजस्व गॉव है जहॉ आवासीय उपयोग के तहत उनकी भूमि 10% से अधिक है चूँकि ये दो बस्तियॉ अपने द्वीपों की प्रवेश केन्द्र है और यहॉ बोट घाट स्थित है, अतः इन स्थानों में आवासीय उपयोग की प्रधानता है। यह ध्यान रखें कि हैवलॉक द्वीप की लगभग आधी जनसंख्या और नील द्वीप की लगभग 1/3 जनसंख्या केवल उपरोक्त दो बस्तियों में बसी है।

rkfydk 1-4 uhy }hi dk Hkfe mi;kx oxhdj.k &2014

Hkfe mi;kx@ jktLo xko	uhy dUn		Hkjrij		lhrkij		y{e.kij		jkeuxj		uhy }hi	
	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%	{k= ¼gDVs½	%
आवासीय	15.55	14.35	08.19	4.36	5.34	0.96	2.67	1.55	16.21	8.44	47.95	3.94
वाणिज्यिक	8.79	8.12	0.68	0.36	01.30	0.23	7.94	4.60	2.60	1.35	21.31	1.75
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	7.64	7.05	0.79	0.42	0.00	0.00	1.49	0.86	0.38	0.20	10.30	0.85
परिवहन एवं संचार	6.63	6.12	1.59	0.85	0.81	0.15	3.80	2.20	4.26	2.22	17.09	1.40
मनोरंजनात्मक	1.06	0.97	0.47	0.25	0.33	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.15
कृषि	68.62	63.36	167.86	89.33	324.01	58.33	138.40	80.17	163.12	84.93	862.01	70.87
वन	0.00	0.00	5.44	2.89	223.43	40.23	18.04	10.45	5.51	2.87	252.42	20.75
जल निकाय	0.03	0.02	2.90	1.55	0.21	0.04	0.28	0.16	0.01	0.00	3.43	0.28
कुल	108.31	100.00	187.92	100.00	555.44	100.00	172.64	100.00	192.09	100.00	1216.46	100.00

हैवलॉक द्वीप में औसतन लगभग 4% राजस्व भूमि वाणिज्यक उपयोग के अंतर्गत है। यह औसत सबसे अधिक 8% विजयनगर में हैं, जहॉ पर अधिकतर नये होटल और शैरगाह विकसित हुए है। नील केन्द्र के अलावा नील द्वीप में वाणिज्यक उपयोग अधिकांशतः नगण्य है, जहॉ वाणिज्यक उपयोग 8% से थोड़ा अधिक है। (मानचित्र 2 एवं 3)

1-3 ykx

1-3-1 tuli[;k of) rFkk vkdkj

हैवलॉक द्वीप की जनसंख्या जो 1991 में 3681 थी, 2011 में बढ़कर 6315 तक हो गई, 72% की यह उल्लेखनीय वृद्धि दो दशकों में रिकार्ड की गई है । इस द्वीप में 1990 से आरंभ पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने जनसंख्या वृद्धि की गति को बढ़ाया है । राधानगर जहॉ विश्वप्रसिद्व समुद्री तट स्थित है, में 1991–2001 के दौरान 138% की धड़ाके की जनसंख्या वृद्धि रिकार्ड की गई है । इसी दौरान दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि (76%) विजयनगर में रिकार्ड की गई, जहॉ निजि क्षेत्रों द्वारा पर्यटकों के लिए अधिकतर आवास सुविधाओं का विकास किया गया है । हैवलॉक जहॉ 1991–2011 के दौरान 45% की उच्च वृद्वि दर थी, तदंतर दशक (2001–11) में वृद्वि स्थिर होकर 18% हो गई (तालिका 1.5) 1991–2001 तथा 2001–11 के दशकों में एक राजस्व गॉव, श्यामनगर में उच्च वृद्वि दर दिखाई दी । गोविन्दनगर और बोट घाट से समीपता के कारण अधिक लोग अपने घर के लिए इस स्थान को तुलनात्मक रूप से पसंद किया । 2001–11 के दौरान हैवलॉक की जनसंख्या में 961 व्यक्तियों की वृद्वि हुई, इसमें से 798 व्यक्तियों (83%) की वृद्वि केवल गोविन्दनगर और श्यामनगर में पाई गया ।

2011 जनगणना के अनुसार नील द्वीप की जनसंख्या 3040 है । (तालिका 1.6) पर्यटन का विकास जो कि हैवलॉक द्वीप में 1990 के मध्य के दौरान शुरू हुआ, उसी समय नील द्वीप में भी आरंभ हआ, लेकिन मंद गति और छोटे पैमाने पर । 1991–2011 के बीस वर्षों की अवधि के दौरान नील द्वीप की जनसंख्या में 23% की वृद्वि हुई जो हैवलॉक द्वीप के लिए 72% थी । वृद्वि दर जो 1991–2001 के दौरान 16% थी, तदंतर दशक 2001–11 घटकर 6% रह गई । राजस्व गॉव, नील केन्द्र जिसकी जनसंख्या इस द्वीप में सबसे अधिक है, जिसके बाद रामनगर और भरतपूर में है । नील द्वीप की 78% जनसंख्या इन तीन गॉवों मे सीमित है ।

Rkkfydk 1-5 goykd }hi e tuli[;k ,o of} ij

jktLo xkao dk uke	tuli[;k			of} nj		
	1991	2001	2011	1991&01	2001&2011	1991&2011
गोविन्दनगर	1823	2419	2904	32.69	20.05	59.30
विजयनगर	564	992	1099	75.89	10.79	94.86
कृष्णनगर	618	735	769	18.93	4.63	24.43
श्यामनगर	418	593	906	41.87	52.78	116.75
राधानगर	258	615	637	138.37	3.58	146.90
goykd }hi	3681	5354	6315	45-45	17-95	71-56

Rkkfydk 1-6 uhy }hi e tuli[;k ,o of} ij

jktLo xkao dk uke	tuli[;k			of} nj		
	1991	2001	2011	1991&01	2001&2011	1991&2011
नील केन्द्र	266	1064	1000	22.86	–6.02	15.47
भरतपूर	467	564	629	20.77	11.52	34.69
सीतापूर	248	267	274	7.66	2.62	10.48
लक्ष्मणपूर	331	372	382	12.39	2.69	15.41
रामनगर	551	601	755	9.07	25.62	37.02
uhy }hi	2463	2868	3040	16-44	6-00	23-43

1-3-2 ?kuRo

लोगों का सकल घनत्व, न केवल आर्थिक विशेषता पर प्रतिबिंबित होगा, बल्कि जीवन की गुणवन्ता तथा पर्यवरण पर भी होगा । लेकिन, फिर इन घटकों के मूल्यांकन में घनत्व का माप गुमराह कर सकता है, जब 85% से अधिक भूमि या तो कृषि या वन के अंतर्गत है, जैसा कि हैवलॉक एवं नील द्वीपों में। अतः लोगों के सघनीकरण पद्धति का अध्ययन शुद्ध

घनत्वों के आधार पर किया गया, जो कि आवासीय भूमि उपयोग के प्रति हैक्टेयर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार होता है।

Rkkfydk 1-7 goykd vkj uhy }hi e 'k) ?kuRo&2014

jktLo xko d uke	'k) ?kuRo gDVj	jktLo xko d uke	'k) ?kuRo 0;fDr@gDVj
गोविन्द नगर	70	नील केन्द्र	73
विजय नगर	120	भरतपूर	53
कृष्ण नगर	69	सीतापूर	57
श्याम नगर	54	लक्ष्मणपूर	165
राधानगर	27	रामनगर	50
goykd }hi	62	Ukhy }hi	63

कुल मिलाकर हैवलॉक तथा नील में शुद्ध घनत्व लगभग बराबर है। हैवलॉक में विजय नगर और नील द्वीप में लक्ष्मणपूर दो राजस्व गॉवों में उच्च स्तर की शुद्ध घनत्व–क्रमशः 120 व्यक्ति/हैक्टेयर और 165 व्यक्ति/हैक्टेयर रिकार्ड है। इन दोनों गॉवों तथा राधानगर को छोडकर, हैवलॉक और नील द्वीपों के सभी अन्य स्थानों में शुद्ध घनत्व की सीमा 50 व्यक्ति/हैक्टेयर से 73 व्यक्ति/हैक्टेयर तक है । राधानगर राजस्व गॉव, जहॉ शुद्ध घनत्व सबसे कम (27 व्यक्ति/हैक्टेयर) है।

1-3-3 fyx vuqikr] cPpk dh tula[;k ,oa lk{kjrk

लिंग अनुपात, बच्चों की जनसंख्या एवं साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार नील द्वीप का लिंग अनुपात 871 है, जो दक्षिण अण्डमान जिला के संबंधित सूची के अनुसार समान है। लेकिन हैवलॉक में अधिक पुरूष जनसंख्या की समानुपातिकता दर्शाता है, जो कि केवल 807 है, और यह इस द्वीप की प्राकार्यात्मक विशेषता को मुख्यतः लक्षित करता है। बढ़ती पर्यटन क्रियाकलापों से पुरूष प्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यह ध्यान देने योग्य है कि राधानगर और विजय नगर, जहां पर्यटकों की उपस्थिति अत्यधिक है, में लिंग अनुपात बहुत कम क्रमशः 736 और 775 है।

सीतापूर और लक्ष्मणपूर जैसे नील द्वीप के छोटे गॉव, जहॉ अभी भी जनसंख्या 400 के अन्दर है, उच्च लिंग अनुपात दर्शाता है । लक्ष्मणपूर में जहॉ कृषि महत्त्वपूर्ण प्रकार्य है, अनुपात बहुत ऊँची (1146) है । लिंग अनुपात से संबंधित विवरण तालिका 1.8 और 1.9 में उपलब्ध कराया गया है ।

rkfydk 1-8 lk{kjrk] cPpk dh tula[;k rFkk fyx vuqikr& goykd }hi&2011

jktLo xko d uke	dk ifr'kr		fyx vuqikr
	lk{kj	0&6 tula[;k	
गोविन्दनगर	79.55	10.54	798
विजयनगर	75.16	11.01	775
कृष्णनगर	69.65	12.36	894
श्यामनगर	81.92	10.92	857
राधानगर	78.02	8.63	736
goykd }hi	77-50	10-74	807

Rkkfydk 1-9 lk{kjrk] cPpk dh tula[;k rFkk fyx vuqikr & uhy}hi&2011

jktLo xko d uke	dk ifr'kr		fyx vuqikr
	lk{kj	0&6 tula[;k	
सीतापूर	76.64	12.04	916
भरतपूर	75.52	11.13	797
नील केन्द्र	76.70	10.90	812
लक्ष्मणपूर	74.87	13.61	1146
रामनगर	75.89	12.58	878
uhy }hi	76-02	11-81	871

0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या को बाल जनसंख्या माना गया है । दक्षिण अण्डमान जिला में बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत 10% है जबकि हैवलॉक और नील द्वीप में क्रमशः 11% और 12% है ।

दक्षिण अंडमान जिला में समान पैमाने की तुलना में साक्षरता स्तर भी बहुत कम है । दक्षिण अण्डमान जिला में 88% जनसंख्या साक्षर है जबकि हैवलॉक और नील द्वीप में केवल जनसंख्या का क्रमशः 78% और 76% है ।

1-4 vFk0;oLFkk

आर्थिक क्रियाकलापों में लोगों की भागीदारी की सीमा एक बड़ी संकेतक है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है । हैवलॉक में, जनसंख्या का 37% आर्थिक क्रियाकलापों में मुख्य कामगारों के रूप में जुड़ा है । यह पैमाना दक्षिण अण्डमान जिला में मुख्य कामगारों की प्रतिशत की तुलना में 1% अधिक है, जिसमें हैवलॉक और नील दोनों द्वीप स्थित है। 2001 तथा 2011 जनगणना के दौरान मुख्य कामगार जनसंख्या (37%) का प्रतिशत, हैवलॉक द्वीप में लगभग बराबर थी । लेकिन कृषि और सेवा क्षेत्रों में नियमित रोजगार न मिलने के कारण नील द्वीप में कामगारों की संख्या महत्त्वपूर्ण रूप से 40% से 33% तक नीचे आ गई, जिससे मुख्य कामगारों के प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन गौण–कामगारों के प्रतिशत में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है ।

हैवलॉक और नील द्वीपों में पारंपरिक रूप से कृषि जीवनयापन का मुख्य स्रोत नहीं रहा । फिर भी, सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से हैवलॉक द्वीप में पर्यटन उद्योग की वृद्धि ने 90 दशक के अन्त से इस मनोरम द्वीप में पर्यटक जनसंख्या की काफी बड़ी संख्या को आकर्षित करना आरंभ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायिक पद्धति में क्रमिक रूप से बदलाव हुआ । 2001–2011 की अवधि में 'अन्य कामगारों' (मुख्यतः पर्यटक से संबंधित रोजगार सहित) की संख्या हैवलॉक द्वीप में 527 बढ़ी है । इसी अवधि के दौरान 'कृषकों' की संख्या में 160 व्यक्तियों की समान्तर कमी देखी जा सकती है । यह उल्लेखनीय है कि विजयनगर राजस्व गॉव, जहॉ हाल ही में अधिकतर पर्यटक आवासों का विकास हुआ है, 2001–11 के दौरान वहॉ अकेले ही 145 कृषकों की कमी आई है । प्रतिशत में देखा जाए तो हैवलॉक द्वीप में कृषकों की संख्या में 41% से 28% की कमी आई है, जबकि वही 'अन्य कामगारों' में 55% से 69% की वृद्धि हुई है । पर्यटन क्रियाकलापों में वृद्धि के कारण पूरे हैवलॉक द्वीप में भूमि की कीमत में अनेक वृद्धि हुई है, तथा कृषक एकबारगी लाभ के लिए अपनी भूमि को शीघ्रता से बेचने लगे ।

गोविन्दनगर (पर्यटकों का आगमन स्थान) तथा राधानगर (विश्वप्रसिद्ध समुद्र तट की स्थिति) में रोजगार का 80% से अधिक केवल पर्यटकों को दिए जा रहे सेवाओं द्वारा कायम है । वर्ष 2011 तक इन राजस्व गॉवों के कृषि संबंधी निर्भरता में क्रमशः 17% और 19% की कमी आई है ।

यद्यपि नील द्वीप में पर्यटन का विकास एवं वृद्धि दिखाई देता है तथापि हैवलॉक द्वीप की तुलना में इसकी तीव्रता एवं आकार बहुत कम है । नील द्वीप में कृषि संबंधी निर्भरता 65% कामगारों के बीच देखा गया है, जबकि हैवलॉक में केवल 30% है । लेंकिन यह देखा गया है कि नील द्वीप में तेज दर से कृषकों की कमी हुई है । 2001–11 के दौरान हैवलॉक द्वीप की तुलना में यहॉ कृषकों की संख्या में अधिक कमी हुई है, जो कि 181 है । पर्यटन क्षेत्र का विकास भी हैवलॉक द्वीप की तुलना में यहॉ उस गति से नहीं हुआ हैं, परिणामस्वरूप कृषि श्रमिकों की संख्या में 73 से 268 की वृद्धि हुई । प्रतिशत की दृष्टि से, कृषक 49% से 38% नीचे आए जबकि कृषि संबंधी कामगार 6% से 27% ऊपर गए ।

rkfydk 1-10 jkt xkj i)fr e ifr'kr cnyko

fooj.k	goyk d }hi		uhy }hi	
	¼2001½	¼2011½	¼2001½	¼2011½
कुल जनसंख्या में मुख्य कामगारों का %	36.55	36.80	40.24	33.03
मुख्य कामगारों में से कृषिकों का %	40.93	27.67	48.61	37.85
मुख्य कामगारों में से कृषि श्रमिकों का %	3.57	2.84	6.33	26.69
मुख्य कामगारों में से अन्य कामगारों का %	55.05	69.15	44.37	35.06
कुल जनसंख्या में गौण कामगारों का %	15.63	5.51	4.39	16.84

rkfydk 1-11 jkstxkj i)fr esa cnyko

fooj.k	gloykld }hi		uhy }hi	
	¼2001½	¼2011½	¼2001½	¼2011½
कुल जनसंख्या	5354	6315	2868	3040
कुल जनसंख्या में मुख्य कामगार	1962	2324	1154	1004
मुख्य कामगारों में से कृषक	803	643	561	380
मुख्य कामगारों में से कृषि श्रमिक	70	66	73	268
मुख्य कामगारों में से अन्य कामगार	1080	1607	512	352
कुल जनसंख्या में गौण कामगार	837	348	126	512

rkfydk 1-12 gloykld }hi esa e[; dkexkjksa esa lsa 0;olkf;d i)fr

xkso dsa uke	dk ifr'kr							
	d"kd		df"k Jfed		ifjokj m|kx esa dkexkj		vU; dkexkj	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
गोविन्द नगर	19.66	16.80	3.86	1.15	0.01	0.44	75.91	81.61
विजय नगर	69.45	46.37	3.74	4.88	0.01	0.00	25.93	48.78
कृष्ण नगर	60.48	52.26	7.11	4.12	0.00	1.23	32.41	42.39
श्याम नगर	53.37	34.22	0.56	7.97	0.00	0.00	46.07	57.81
राधा नगर	33.67	18.57	0.00	0.36	0.00	0.00	66.33	81.07
gloykld }hi	40-92	27-67	3-57	2-84	0-00	0-34	55-05	69-15

rkfydk 1-13 uhy }hi esa e[; dkexkjksa esa lsa 0;olkf;d i)fr

xkso dsa uke	dk ifr'kr							
	d"kd		df"k Jfed		ifjokj m|kx esa dkexkj		vU; dkexkj	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
सीतापूर	5.65	65.17	2.56	19.10	0.00	0.00	21.79	15.73
भरतपूर	6.24	82.36	26.59	5.88	0.00	0.00	27.17	11.76
नील केन्द्र	7.16	6.86	4.51	38.73	0.00	0.24	78.33	54.17
लक्ष्मणपूर	70.86	59.68	2.29	8.87	0.00	0.81	26.85	30.64
रामनगर	77.89	46.21	0.35	28.41	2.81	0.76	18.95	24.62
uhy }hi	18-61	37-85	6-33	26-69	0-69	0-40	44-37	35-06

नील द्वीप में हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद रोजगार की संरचना में अभी भी महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करना है । सीतापूर, भरतपूर तथा रामनगर अभी भी लगातार बड़ी मात्रा में कृषि पर निर्भर है, जहॉ 75% से 89% मुख्य कामगार कृषक या कृषि श्रमिक के रूप में काम करते है । केवल नील केन्द्र में, जहॉ बोट घाट स्थित हैं, 50% से अधिक मुख्य कामगार गैर–कृषि क्रियाकलापों में लगे है ।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 'अवसंरचना पट्टे में देना तथा वित्तीय सेवाऍ' (आई.एल.एफ.एस) द्वारा किए गए अध्ययन ने अ.तथा नि. द्वीप समूह में विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिभ्रमण के रूप में पोर्ट ब्लेयर–नील–हैवलॉक–लिटिल अण्डमान की पहचान की है ।

विदेशी पर्यटकों के बीच हैवलॉक, बड़े पैमाने में अत्यधिक प्रसिद्ध द्वीप है, जिसके निकट में ही नील द्वीप है । हैवलॉक और नील प्रत्येक द्वीप में तीन समुद्री तट का आकर्षण है, जो आगंतुकों को यहॉ खींच लाता है । हैवलॉक में कालापत्थर, एलिफेंट तथा राधानगर तट है तथा नील द्वीप में भरतपूर, लक्ष्मणपूर तथा सीतापूर तट है । हैवलॉक की तरह नील द्वीप की तटें भी समान रूप से रूचिकर है, लेकिन वे ज्यादा शांत और निर्जन है । टाईम मैगजीन ने हैवलॉक के राधानगर समुद्री तट को 2004 वर्ष में एशिया के सबसे सुन्दर तटों में से एक माना है ।

1-5 lok,

1-5-1 tykifr

हैवलॉक और नील द्वीप अधिकांशतः वर्षाजल पर निर्भर है । कृष्णनगर नाला में बनाए गए गति मंद करने वाले बॉध का निर्माण, हैवलॉक द्वीप में जल का मुख्य स्रोत है, जिसकी कुल जल उपलब्धता 0.59 एम.एल.डी है । इस स्रोत से जल पंप द्वारा श्यामनगर जल शोधन संयंत्र में पहुॅचाया जाता है, जहॉ से सार्वजनिक टोंटी द्वारा जनता को आपूर्ति की जाती है । राधानगर और बम्बू नाला दो अन्य गौण जल स्रोत है जिसकी क्षमता क्रमशः 0.30 एम.एल.डी तथा 0.12 एम. एल.डी है । होटल और रेस्तरां भूमिगत जल का उपयोग करते है । मानसून के दौरान यहॉ के निवासियों को जलापूर्ति एक दिन–बाद एक दिन की जाती है । नील द्वीप में गड्ढा कुऑ एकमात्र जल स्रोत है जिससे 0.18 एम.एल.डी जल प्राप्त होती है ।

rkfydk 1-14 goykd vkj uhy }hi d ty lkr

Ø-l	Lkkr	miyC/k ty ¼,e-,y-Mh½	ty fudklh ¼,e-,y-Mh½
1.	कृष्णनगर नाला (हैवलॉक)	0.59	0.55
2.	राधानगर (हैवलॉक)	0.30	0.10
3.	बम्बूनाला (हैवलॉक)	0.12	0.10
4.	कुऑ (नील)	0.18	0.12

हैवलॉक और नील द्वीप में उपलब्ध जल की कुल मात्रा उपयोग की जाने वाली जल की कुल मात्रा से क्रमशः 0.26 मि.ली.प्र.दि. एवं 0.06 मि.ली.प्र.दि. अधिक है । जबकि नील द्वीप में जलापूर्ति अनुमानित (जल नुकसान के लिए किसी भी प्रकार के समायोजन के बिना) 40 ली.प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आसपास होगी, जो सी.पी.एच.ई.ई ओ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित जलापूर्ति के न्यूनतम स्तर की केवल पूर्ति करती है, हैवलॉक द्वीप के अनुमानित जलापूर्ति 120 ली.प्र.व्य.प्र. के स्तर से कही अधिक है । तालिका 1.14 हैवलॉक और नील द्वीप में जल उपलब्धता तथा उपयोग का ब्यौरा उपलब्ध कराता है ।

1-5-2 vif'k"V ic/ku

इन द्वीपों में छोटी जनसंख्या वाले स्थानों में कोई सीवर प्रणाली नहीं है तथा यहॉ अपने स्तर पर इसे प्रबंध करने के लिए छोड़ दिया गया है । चूॅकि इन द्वीपों में स्थानीय जनसंख्या के कार्य और जीवन शैली केवल ग्रामीण है, अतः अधिकतर स्थानीय जनसंख्या के परिसर में शौचालय सुविधाऍ नहीं है । इन द्वीपों के कुछ स्थानों में व्यक्तिगत तथा संयुक्त सेप्टिक टैंक प्रणाली उपयोग की जाती है । हैवलॉक और नील द्वीपों की प्राकृतिक स्थलाकृति तथा आकार और रूप वर्षाजल की तीव्र निकासी में सहायता करती है ।

हैवलॉक और नील द्वीप में श्यामनगर में कूड़ा करकट फेकनें के एक यार्ड को छोड़ कर उपयुक्त ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण और शोधन प्रणाली नहीं है । ठोस अपशिष्ट का निपटान प्रत्येक घर के सामने या तो पीछे किया जाता है । गोविन्दनगर (हैवलॉक) और नील केन्द्र जैसे सधन जनसंख्या वाली बस्तियॉ पहले से ही ठोस प्रबंधन की समस्या झेल रही है, तथा सार्वजनिक स्थानों में अपशिष्ट को डालते हुए देखा गया है । असावधानीपूर्वक अपशिष्ट डालना न केवल वायु गुणवत्ता के लिए संभावित खतरा है, बल्कि मिट्टी और भूमिगत जल की गुणवत्ता के लिए भी खतरा है । 400 ग्रा. प्रति व्यक्ति अपशिष्ट के औसत उत्पादन स्तर पर हैवलॉक और नील द्वीप में क्रमशः प्रतिदिन लगभग 2.5 मि.टन और 1.2 मि.टन कचरा उत्पन्न होगा ।

प्रति व्यक्ति 400 ग्रा. अपशिष्ट के औसत उत्पादन स्तर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हैवलॉक द्वीप में लगभग 2.5 मिट्रिक टन कूड़ा–करकट प्रतिदिन उत्पन्न होगा । लेकिन वास्तविक अपशिष्ट उत्पादन कहीं अधिक 4 से 4.5 टन है, जो मुख्यतः पर्यटक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु होटलों और रेस्तरांओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की बड़ी मात्रा के कारण होता है । इन अपशिष्टों में मुख्यतः पेट बोतल, ग्लास बोतल, डिब्बा एवं कनस्तर तथा रसोई अपशिष्ट शामिल है । बड़ी मात्रा में जमे अपशिष्ट तथा पुनर्विखण्डनीय अपशिष्ट को डीलरों द्वारा जमा किया जाता है और पुनर्चक्रण के लिए मुख्य भूमि भेजा जाता है ।

1-6 lkekftd volajpuk ,oa vU; lqfo/kk,a

प्रशासन द्वारा हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर तक की शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है । केवल उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को द्वीपों से बाहर जाने की जरूरत होती है । तालिका 1.5 में उपलब्ध शैक्षिक संस्थानों की संख्या का विवरण प्रस्तुत है ।

rkfydk 1-15 goyk d vkj uhy }hi d 'kf{kd lqfo/kkvksa dk fooj.k

Ø-la	lkr	goyk d }hi	uhy }hi
1.	प्राथमिक विद्यालय	4	1
2.	माध्यमिक विद्यालय	1	1
3.	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1	1

rkfydk 1-16 goyk d vkj uhy }hi d LokLF; lqfo/kkvksa dk fooj.k

Ø-la	lkr	goyk d }hi	uhy }hi
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	1
2.	उप–केन्द्र	2	1
3.	चिकित्सक	1	1
4.	नर्स / दाई / महिला स्वास्थ्य सेविका	9	7
5.	अर्ध–चिकित्सा कर्मचारी	21	17
6.	बिस्तरों की संख्या	10	10

rkfydk 1-17 goyk d vkj uhy }hi d vU; lqfo/kkvksa dk fooj.k

Ø-la	lkr	goyk d }hi	uhy }hi
1.	उप–डाक घर	1	1
2.	ई.डी शाखा डाकघर	2	2
3.	सहकारी बैंक	1	1
4.	अग्निशमन केन्द्र	1	1
5.	पुलिस थाना	1	1

प्रशासन द्वारा मूल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ भी संतोषजनक रूप से उपलब्ध कराई गई है । सामान्यतः शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थानों की सुगमता एवं उपलब्धता पर्याप्त है । लेकिन आपात एवं विशेषज्ञता रोगी देखभाल सुविधाएँ पूरी तरह अनुपलब्ध है, जो पर्यटन विकास के लिए अवरोधक का काम करता है । तालिका 1.16 एवं 1.17 में क्रमशः उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

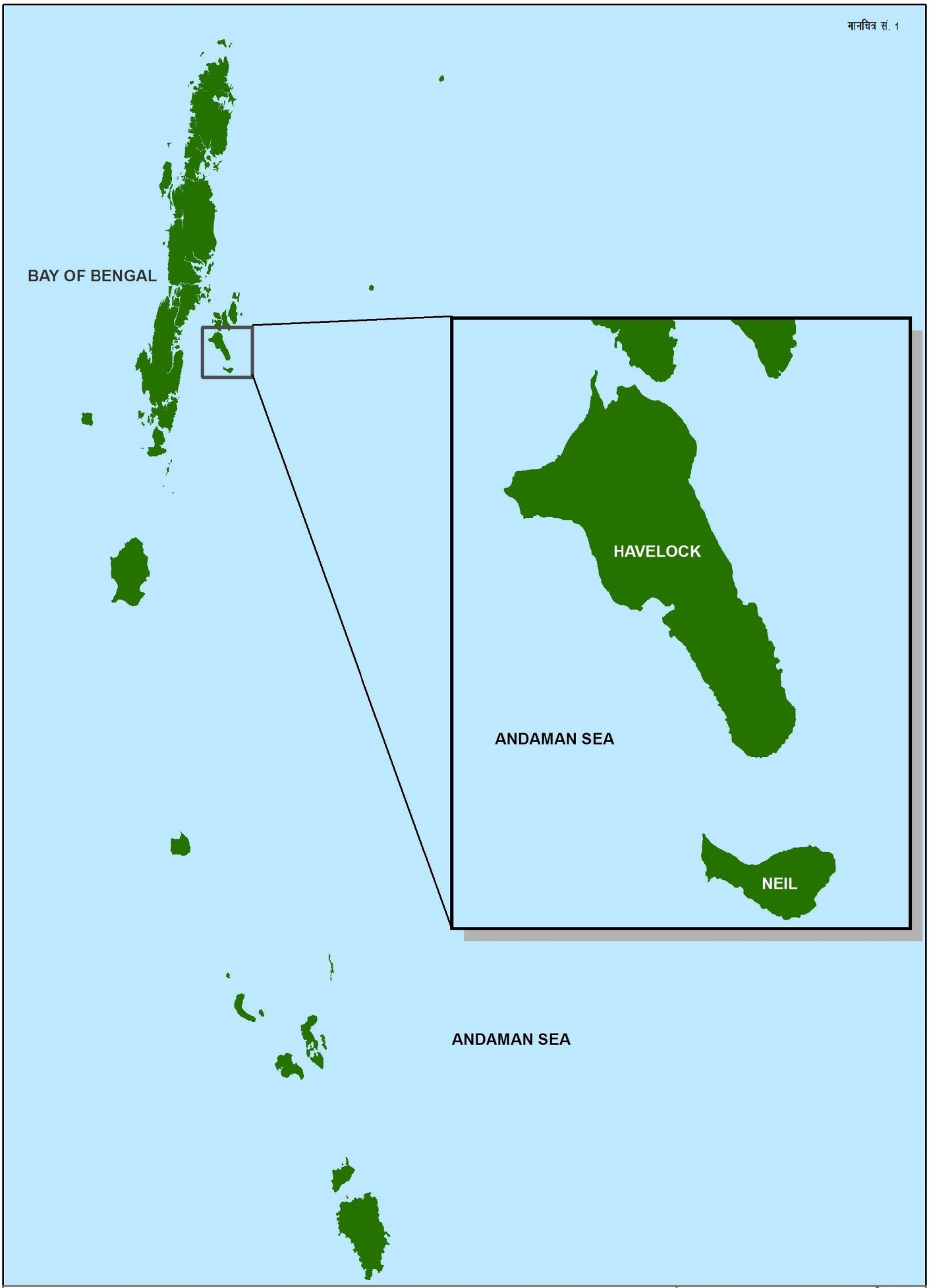

स्थान / स्थिति मानचित्र

हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान – 2034

0 15 30 60 90 KM

N

CLIENT
Andaman Public Works Department
A & N Administration, Port Blair

APWD

CONSULTANTS
School of Architecture & Planning
Anna University, Chennai-25

10

मानचित्र सं. 2

ANDAMAN SEA

ANDAMAN SEA

RESERVED FOREST

RESERVED FOREST

HAVELOCK AND NEIL ISLANDS

HAVELOCK ISLAND

LEGEND

- Residential
- Commercial
- Industrial
- Public & Semi-Public
- Transport & Communication
- Recreational
- Water bodies
- Agricultural
- Reserved Forest
- Other Forest
- Mangroves
- LPA Boundary
- Village Boundary
- Survey Boundary
- Roads

0 200 400 800 1,200 1,600 2,000 Meters

PROJECTION SYSTEM : UTM
DATUM : WGS84
SPHEROID : WGS84
ZONE : 46

DATE JUNE 2014

ISLAND NAME HAVELOCK

N

CLIENT Town and Country Planning Unit
Andaman Public Works Department
A & N Administration, Port Blair

APWD

CONSULTANTS School of Architecture & Planning
Anna University Chennai

हैवलॉक वर्तमान भूमि उपयोग – 2014
हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान – 2034

मानचित्र सं. 3

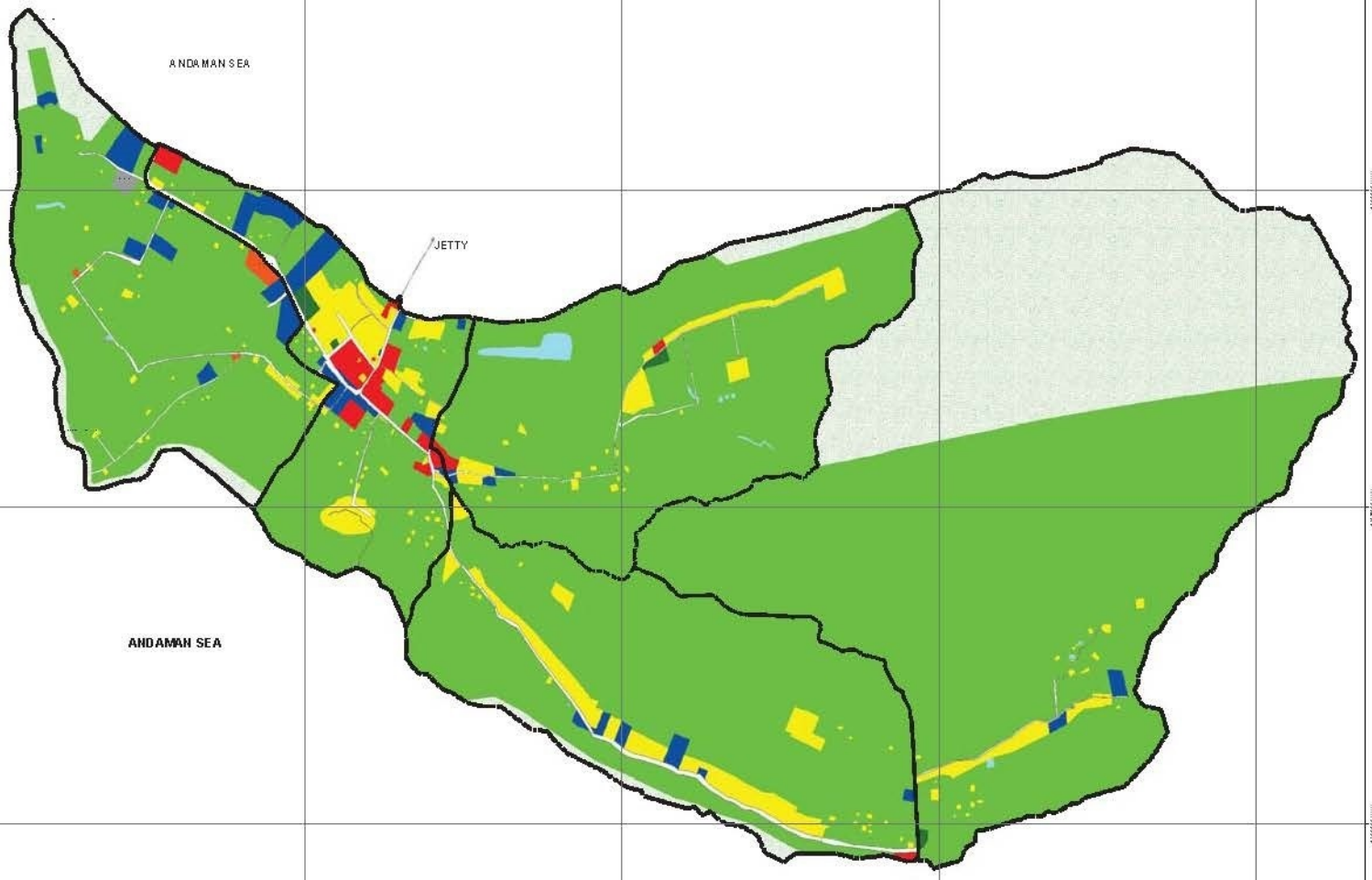

HAVELOCK AND NEIL ISLANDS

NEIL ISLAND

LEGEND

- Residential
- Commercial
- Public & Semi-Public
- Transport & Communication
- Recreational
- Water bodies
- Agricultural
- Reserved Forest
- Other Forest
- Mangroves
- LPA Boundary
- Village Boundary
- Roads

PROJECTION SYSTEM : UTM
DATUM : WGS84
SPHEROID : WGS84
ZONE : 46

DATE: June 2014

ISLAND NAME: NEIL

CLIENT: Andaman Public Works Department
A & N Administration, Port Blair

APWD

CONSULTANTS: School of Architecture & Planning
Anna University, Chennai

नील वर्तमान भूमि उपयोग –2014
हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान –2034

v/;k; 2
fodkl nf"Vdk.k

2-1 ekLVj lyku dk mí';

हैवलॉक और नील द्वीप में विद्यमान परिस्थितिकी तंत्र पेचीदा और उलझा हुआ है । इस द्वीपों की संपूर्ण सुन्दरता बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, पर्यटन विकास, अच्छी रोजगार अवसर तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए विशाल कार्य–क्षेत्र का सृजन करती है। बढ़ती पर्यटन प्रवाह के कारण लाभ कमाने के उद्देश्य से मुख्यतः निजी उद्यमियों द्वारा भौतिक विकास किया जा रहा है। इस प्रकार के विकास को वहन क्षमता की सीमा में निश्चित करना होगा, अन्यथा यहां की मृदुल परिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षति हो सकती है, जिससे इन द्वीपों में पर्यटकों की रूचि में कमी आ सकती है। अतः यह अत्यावश्यक है कि मास्टर प्लान का प्रयोग का ध्यान केवल पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं के लाभ पर न हो, बल्कि लंबे समय तक संभावनाओं को कायम रखने पर भी हो। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान से यह आशा की जाती है कि वह स्थानीय निवासियों की अभिरूचि की भी रक्षा करे तथा इन द्वीपों में पर्यटन विकास के लाभों के भागीदार में उनकी सहायता करें।

इन प्राथमिकताओं की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक विकास परियोजनाओं की पहचान, विभिन्न प्रकार्यात्मक क्रियाकलापों के लिए भूमि खण्डों का आबंटन तथा भूमि और भवन विकास की आवश्यक विनयमन क्रियाविधि की आवश्यकता होगी। हैवलॉक और नील द्वीपों की मास्टर प्लान उपरोक्त आवश्यकता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है, क्योंकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम 1994 के अंतर्गत इसे सांविधिक प्रपत्र निश्चित किया गया है, जो यह कहता है कि 'कोई भी व्यक्ति या निकाय; (सरकारी विभाग या प्रशासन सहित) किसी भी विकास क्षेत्र में कोई भी भूमि विकास नही करेगा, जब तक कि नगर योजनाकार से इस प्रकार के विकास के लिए लिखित में अनुमति प्राप्त न कर लिया गया हों।

हैवलॉक और नील द्वीपों में वर्तमान स्थितियों का मूल्यांकन मूल सुविधाओं और सेवाओं को सृदृढ़ करने की आवश्यकता का सुझाव देता है, जो आवश्यक पर्यटन अवसंरचना के विकास के साथ स्थानीय जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करता है । पर्यटन क्षेत्र के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि से स्थानीय जनसंख्या को अपनी आय और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी । मास्टर प्लान का उद्देश्य निम्नलिखित सूची अनुसार विशिष्ट ध्येय सहित इन दिशाओं में काम करना है ।

- स्थानीय जनसंख्या को दिए गए मूल सुविधाओं और सेवाओं के स्तर को बढ़ाना ।
- रोजगार के पारंपरिक और नये रूप में रोजगार के अवसरों में विस्तार के द्वारा इन द्वीपों में स्वयं को कायम रखने वाले समुदायों का विकास करना ।
- प्राचीन पर्यवरण को बनाए रखने के लिए नीतियॉ/विनियम तय करना तथा इन द्वीपों में स्थाई पर्यटन को बढ़ावा देना ।
- अद्वितीय एवं अव्याख्येय अनुभव प्रदान कर विश्व स्तरीय पर्यटकों की अवसंरचना का विकास करना, जो यथासंभव न्यूनतम परिस्थिति की पदचिहनों के साथ उच्च मूल्य पर्यटकों को आकर्षित कर सकेगा ।
- आकर्षण जो प्राकृतिक है, पर ध्यान केन्द्रित करना तथा कोमल परिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल विकास करना ।
- इन द्वीपों में स्थाई पर्यटन विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित स्थानिक विकास को बढ़ावा देना ।

मूलतः यह मास्टर प्लान विकास के लिए एक कार्य योजना होगी, जो निश्चित वर्षांत के लिए मॉग के साथ–साथ विकास का मार्गदर्शन करेगा । हैवलॉक और नील द्वीपों की यह मास्टर प्लान 20 वर्षों का परिप्रेक्ष्य प्लान सिद्ध होगा, जो भूमि विकास के लिए विनियम बनाएगा एवं चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किए जाने वाले भौतिक विकास कार्यनीति/परियोजनाओं की पहचान करेगा । इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्तमान जनसंख्या की आकांक्षाओं की पूर्ति करना है, योजना अवधि में भावी जनसंख्या की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है तथा पर्यटक जनसंख्या के सुख–सुविधा और आनंद की पूर्ति भी करना है । इस दिशा में विचार किया गया विकास दृष्टिकोण का वर्णन इस अध्याय के निम्नलिखित अनुभागों में किया गया है ।

2-2 fodkl fl)kr rFkk nf"Vdk.k

पर्यटन की संभावनों का लाभ उठाने तथा उसे बनाए रखना हैवलॉक और नील द्वीपों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा । मास्टर प्लान के भाग के रूप में विकास धारणा हैवलॉक द्वीप (मानचित्र 4) तथा नील द्वीप (मानचित्र 5) दोनों को विकसित करता है, जो द्वीपों के भौगोलिक स्थान पर प्रस्तावित विभिन्न अविष्कारशीलता को रूपांतरित करता है, जो इस अध्याय के निम्नलिखित अनुभागों में विचारित एवं व्याख्यातित विकास दृष्टिकोण के मूल सिद्धांत है ।

2-3 Hkwfe

2-3-1 Hkwfe mi;ksx {ks=hdj.k

भूमि की उपलब्धता सीमित है, जिससे अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका पूर्ण दोहन हो रहा है । फिर भी इस प्रकार के परिदृश्य से इन द्वीपों के स्थाई विकास में कोई खास असर नहीं पड़ेगा, अतएव मास्टर प्लान 'भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण' के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव करता है, जिसके द्वारा हैवलॉक और नील द्वीपों में सभी भूमियों को भूमि उपयोग क्षेत्र के निश्चित श्रेणी के तहत लाया गया है ।

हैवलॉक द्वीप के राजस्व गॉवों के अन्दर 900 हैक्टेयर से अधिक भूमि कृषि उपयोग के अन्तर्गत आता है । इसके अतिरिक्त 500 हैक्टेयर से अधिक भूमि वनों के अन्तर्गत आता है । कृषि और वन, दोनों मिलाकर हैवलॉक द्वीप के 5 राजस्व गॉवों की कुल क्षेत्र (17.17 वर्ग किमी.) का 87% भाग है । नील द्वीप में कृषि और वन भूमि, कुल क्षेत्र का प्रत्येक 47% घेरे हुए है, जिसका अर्थ इस द्वीप के कुल क्षेत्र का 97% विकास के लिए संवेदनशील है । जनसंख्या वृद्धि विशेषतया पर्यटन क्षेत्र में संभावित वृद्धि, विकास के लिए भूमियों की अच्छा खासा भाग पर कब्जा कर सकता है, यदि इसे विनियमित नहीं किया गया और बाजार क्रियाप्रणाली पर छोड़ दिया गया । जबतक विकास हेतु भूमि की व्यवस्था को नियोजित और विनियमित नहीं किया जाता, तबतक स्थाई विकास के उद्देश्य को समझा नहीं जा सकता ।

अतः मास्टर प्लान न केवल इन द्वीपों के सभी भूमि को भूमि उपयोग क्षेत्र के अन्तर्गत लाता है, बल्कि विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुमत्य विकास की प्रकृति और सीमा का उल्लेख भी करता है । भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण का विचार न केवल द्वीपों के पर्यवरणीय संवेदनशील क्षेत्रों तथा उपजाऊँ कृषि भूमियों की सुरक्षा करने में मदद करेगा, बल्कि खुले स्थानों के संरक्षण तथा व्यवस्थित भौतिक विकास सुनिश्चित भी करेगा, जो सामूहिक रूप से भूमि के मूल्य में वृद्धि करेगा और लोगों के जीवन की अर्थव्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार करेगा ।

2-3-2 rVh; Hkwfe;ksa dk fofu;e

तटीय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की अजीवन सुरक्षा की दृष्टि से, तटीय फैलाव में संरक्षण एवं सुरक्षा तथा तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक जोखिम पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने के खतरों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने वैज्ञानिक सिद्वान्तों के आधार पर स्थाई तरीके से विकास को बढ़ावा देने के लिए भी संपूर्ण अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय फैलाव तथा तटवर्ती समुद्री सीमा तक के जल क्षेत्र को द्वीप सुरक्षा क्षेत्र के रूप में घोषित किया है तथा वर्ष 2011 में एक अलग द्वीप सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना जारी किया गया । इस अधिसूचना के तहत अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यवरण प्रबंधन के लिए दो अलग दृष्टि कोण की कल्पना की गई । एक दस प्रमुख द्वीप– उत्तर, मध्य, दक्षिण अण्डमान, बाराटांग, लौंग आइलैंड, लिटिल अण्डमान, हैवलॉक, नील द्वीप, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के लिए द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र के रूप में तथा अन्य सभी शेष द्वीपों के लिए समन्वित द्वीप प्रबंधन योजना के रूप में । तटीय विनियम क्षेत्र के व्याप्ति के अन्तर्गत आने वाले द्वीपों के तटीय क्षेत्र के द्वी.त.वि. क्षे–I, द्वी.त.वि.क्षे–II, द्वी.त.वि.क्षे–III तथा द्वी.त.वि.क्षे–IV जैसे चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है । पहले तीनों श्रेणियों के तहत जमीन की ओर ज्वर रेखा से 200 मी. तक के क्षेत्र को विकास क्षेत्र नही के रूप में चिहिन्त किया गया है । ज्वर रेखा से 200 मी. के भीतर किसी भी प्रकार के नये निर्माण की अनुमति नहीं है । वर्ष 2013 में जारी संशोधित द्वीप सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना में पर्यवरण एवं वन मंत्रालय ने द्वी.त.वि. क्षे–III क्षेत्रों में ज्वर रेखा के 50 मी. से पर्यवरण अनुकूल पर्यटन के विकास की अनुमति दी है । द्वी.त.वि.क्षे–II एवं द्वी.त.वि.क्षे–III में 200–500 मी. के बीच के क्षेत्रों में स्थानीय नगर एवं ग्राम नियोजन के नियमों के आधार पर भवन की अनुमति दी जाएगी । भाटा रेखा से समुद्र की ओर 11 समुद्री मील तक के जल क्षेत्रों को द्वी.त.वि. क्षे–IV के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा, तटीय फैलाव के संरक्षण/सुरक्षा तथा स्थाई विकास के बढ़ावे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ, जो इस मास्टर प्लान का अत्यंत अभिन्न अंग है, द्वी.सु.क्षे (IPZ) नियमों को ढॉचागत किया गया है । अतः यह मास्टर प्लान द्वी.सु.क्षे (IPZ) के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तथा द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (ICRZ)/एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (IIMP) के अन्तर्गत समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार विकास के लिए अनुमति प्रदान करने में इन प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है ।

2-3-3 Hkfe mi;ksx {ks=ksa dk LFkkfud lxBu

हम जैसे अपने समुदायों के भौतिक अभिन्यास या भूमि उपयोग की योजना बनाते है, भूमि उपयोग नियोजन उसी प्रकार उल्लेख करता है तथा यह दीर्घावधि स्थानिक नियोजन प्रयोग का एक अनिवार्य घटक है । इन द्वीपों की लंबी तट रेखा भूमि उपयोग नियोजन में एक चुनौती है और तट के साथ–साथ विकास से बहुमूल्य मूँगाचट्टान परिस्थितिकी तंत्र संभवतः प्रदूषित और खराब हो सकती है । मूँगाभित्ति संरचना लहरों, ऑधी–तुफानों के विरूद्ध प्राकृतिक अवरोधक एवं प्रतिरोधक रेखा के रूप में कार्य करती है, जिससे क्षतियॉ रूकती है । इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्र हमेशा प्राकृतिक आपदा के लिए बहुत ही मृदुल होती है । अतः नियोजन दृष्टिकोण तट रेखा के साथ–साथ आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों को अस्वीकार करता है ।

2-3-4 gjk ifrjks/kd ¼cQj½

स्थाई पर्यटन का अर्थ न केवल पर्यटकों की अभिरूचि या पर्यटकों के मूल्य और मात्रा को कायम रखना है, बल्कि इसका अर्थ पर्यवरण पर यथासंभव न्यूनतम प्रभाव पड़ना तथा पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करना भी है। द्वीप पर्यटन, पर्यटन का सबसे अधिक मृदुल और संवेदनशील रूप होगा, अतएव स्थाई विकास को प्राप्त करने के प्रयास में, विकास दृष्टिकोण पर्यटन हितैषी को बढ़ावा देगा।

पर्यवरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र या हॉटस्पॉट तथा विकास के क्षेत्रों के बीच वनस्पतीय प्रतिरोधक, विकास के नाकारात्मक प्रभावों को कम करने में उपयोगी हो सकता है। इसीलिए जहॉ कहीं भी इस प्रकार के प्रतिरोधक वन/खाड़ी वनस्पति के रूप में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, मास्टर प्लान इन प्रतिरोधकों की रक्षा करेगा। और, ये हरे प्रतिरोधक पर्यटकों के बीच अभिरूचि उत्पन्न कर सकता है और स्थाई परिप्रेक्ष्य में द्वीप पर्यटन का अधिक विकास करेगा। अतः विकास दृष्टिकोण हैवलॉक और नील द्वीपों के बीच मुख्य परिवहन गलियारे के बारे में विचार करेगा, जिससे गलियारा हितैषी के रूप में पर्यटक यात्रा करेंगे। फिर भी विकास हेतु इन द्वीपों में भूमि की कमी पर विचार करते हुए हैवलॉक और नील द्वीपों में इन प्रतिरोधक क्षेत्रों की चौड़ाई रास्तों के दोनों ओर अधिकतम 3 मी. रखा गया है ।

2-3-5 vkoklh; mi;ksx {ks= dh vkdkj ,oa fLFkfr

भूमि उपयोग नियोजन प्रस्ताव लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा समाजार्थिक प्रभाव डालता है । भूमि के भाग एक या उससे अधिक विनिर्दिष्ट उपयोगों के लिए योग्य हो गया है, जिससे भूमि के प्रकार्यात्मक विशेषताओं तथा इसके आर्थिक मूल्यों का अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है । विकास के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि उपलब्ध कराना, विकास प्रक्रिया में अटकल और विलंब के रूप में परिणामित हो सकता है । इस प्रकार के मामले में विकास अनियमित होने की भी संभावना है तथा सेवाऍ देने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है । अतः मास्टर प्लान बस्तियों के वर्तमान और नये स्थानों के चारों ओर घने और समूह विकास प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है । इन बिन्दूओं पर ध्यान देते हुए मास्टर प्लान आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत घनत्वों की वर्तमान स्तर (योजना अवधि के दौरान) को बनाए रखने के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि को 1.5 गुणा से 1.75 गुणा लाने का प्रस्ताव करता है, ताकि अनियमित विकास को कम किया जा सके ।

2-4 ykx

2-4-1 tuli[;k vuekuu

इस अनुभाग में जनसंख्या का मूल्यांकन किया गया है, जो आगे योजना प्रस्तावों को विकसित करने के लिए मॉग मूल्यांकन करने में सहायता करेगा । पर्यटन इन द्वीपों की मुख्य प्रकार्य एवं विशेषता है, जिससे पर्यटकों की भागीदारी महत्त्वपूर्ण हो सकती है । अतः योजना अवधि की जनसंख्या अनुमान, स्थानीय निवासी जनसंख्या और पर्यटको की जनसंख्या के लिए अलग से किया गया है ।

2-4-1-1 fuokslh tuli[;k

हैवलॉक और नील जैसे द्वीपों के लिए जनसंख्या अनुमान एक कठिन कार्य है, जो इन द्वीपों में समाविष्ट क्षेत्रों के भीतर किसी भी गतिविधि प्रतिकृति या एकरूपता प्रतिबिम्बित नहीं करता । 1991–2001 के दौरान हैवलॉक और नील द्वीपों में क्रमशः 45% और 16% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई । तदंतर दशक 2001–11 में इन दो द्वीपों की जनसंख्या वृद्धि में 18% और 6% की अत्यधिक कमी आई । 20 वर्षों 1991–2011 की अवधि में हैवलॉक और नील द्वीपों की जनसंख्या में 72% और 23% दर्ज की गई, जो हैवलॉक के लिए 3.6% और नील द्वीप के लिए 1.2% वार्षिक वृद्धि रही ।

3.6% की उच्च वृद्धि दर, हैवलॉक में पर्यटन उद्योग की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारण बना, जिसकी अलगे 20 वर्षों के लिए बने रहने की संभावना नहीं हैं, बावजूद इसके कि इस क्षेत्र में क्रियाशीलता बनी रहे । फिर भी यह वांछित है कि इन द्वीपों में प्रत्येक दिन भ्रमण करने वाले 5000 पर्यटकों के लक्ष्य के अनुसार उसी वृद्धि दर पर जनसंख्या अनुमान लगाऍ । अगले 20 वर्षों में नील के लिए भी प्रतिदिन 2000 पर्यटकों के भ्रमण का लक्ष्य रखा गया है, अतएव पर्यटकों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए यहॉ आने वाले प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए 1.05% की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर के बढ़ने की आशा की जाती है ।

इन विचारों के तहत हैवलॉक और नील द्वीपों की जनसंख्या का अनुमान ज्यामिति प्रक्षेपण पद्वति के तहत 2.75% और 1.50% की वार्षिक वृद्धि दर पर किया गया है तथा इसे तालिका 2.1 में प्रस्तुत किया गया है ।

rkfydk 2-1 goykd ,oa uhy }hi dh vuekfur tuli[;k

}hi dk uke	2021	2031	2034
हैवलॉक द्वीप	8283	10864	11786
नील द्वीप	3528	4094	4281

2-4-1-2 i;Vd tuli[;k

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1990 के दशक के मध्य हैवलॉक द्वीप में पर्यटन उत्थान की ओर था तथा अंतिम 2 वर्षों में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण थी । पर्यटक जनसंख्या में वृद्धि के कारण सघन भौतिक विकास हुआ है, जिससे पर्यटकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है । प्रशासन भी विचार कर रहा है और उपायों को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है, जो अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगा । इस दृष्टि से, न केवल पर्यटक जनसंख्या के बढ़ने की संभावना है, बल्कि उनके ठहरने की अवधि भी निश्चित रूप से बढ़ेगी । अगले 20 वर्षों में यह आशा की जाती है कि हैवलॉक एवं नील द्वीप में प्रतिदिन क्रमशः 5000 तथा 2000 पर्यटकों का आगमन होगा और वहॉ रूकने की औसत अवधि बढ़कर न्यूनतम 2 दिन होगी । इस प्रकार के मामलों में 2034 तक लगभग क्रमशः लगभग 12000 तथा 4300 की अनुमानित निवासी जनसंख्या के अतिरिक्त किसी भी एक दिन में, हैवलॉक में 10,000 तथा नील द्वीप में 4000 पर्यटक जनसंख्या होगी ।

मास्टर प्लान का यह दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है, जो उस रूप में द्वीप के विकास और उसे कायम रखने में न केवल मदद करेगा, जिससे पर्यटकों को लगातार आकर्षित किया जा सके, बल्कि स्थानीय निवासियों की आकांक्षा की पूर्ति भी करेगा, पर्यटन क्षेत्र में प्रत्याशित वृद्धि का लाभ उठाते हुए उनकी अर्थव्यवस्था के सुधार में मदद करेगाा । उपरोक्त दृष्टिकोण के भीतर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को भी अनुभाग 2.1 में सूचीबद्ध किया गया है । लोगों के परिप्रेक्ष्य के संबंध में अपनाई जाने वाली विकास दृष्टिकोण की चर्चा इस अनुभाग में की गई है ।

2-4-2 cnyrh LFkykdfr iVu ij Hkfo"; e iMu okyk iHkko

स्थानीय जनसंख्या की सीमित आकार और कौशल स्तरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनसंख्या अकेले पर्यटन उद्योग हेतु समर्थन जनसंख्या उपलब्ध नहीं करा सकती । अतः हैवलॉक और नील द्वीपों में मुख्यतः अ. तथा नि. द्वीप समूह के अन्य भागों में महत्वपूर्ण अन्तर्प्रवासी की आशा की जाती है । यह जनसंख्या रोजगार योग्य आयु समूह के और यूवा होंगे, जो इन द्वीपों में अधिकतर अकेले आते है । ये जनसंख्या, लिंग अनुपात, इन द्वीपों में कार्यबल के अनुपात तथा विशेषतः राधानगर जैसे पर्यटन प्रभुत्व वाले राजस्व गॉवों में, जहॉ यह देखा गया है कि द्वीप के अन्य भागों की तुलना में बच्चों की जनसंख्या का अनुपात कम है, के आयु पैटर्न में परिवर्तन ला सकता है ।

उपरोक्त उल्लेखानुसार स्थलाकृति विशेषताओं में परिवर्तन तथा हैवलॉक और नील द्वीपों में आने वाले प्रवासियों की कामगार जनसंख्या में वृद्धि, आवासीय मॉगों में वृद्धि करेगी, जिसे आपूर्ति करने में स्थानीय समुदाय को कठिनाई होगी । द्वीपों के विकास प्रस्तावों को विकसित करते समय मास्टर प्लान इन परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान देगा ।

2-4-3 LFkkuh; tul[;k gr fuf'pr dk'ky dk c<kuk

स्थानीय जनसंख्या को पर्यटन उद्योग में वृद्धि से लाभ के लिए, इस क्षेत्र में अस्तिव में आए अवसरों को आत्मसात करने के लिए उनके कौशल स्तरों को बढ़ाने की आवश्यकता है । व्यवसाय के मुख्य स्रोत से स्थानीय समुदाय को बाहर करना, सामाजिक परेशानी का कारण बन सकता है, जिसे यह मास्टर प्लान हटाने का प्रस्ताव करता है । जैसा कि अनुभाग 1.3.3 में उल्लेख है कि हैवलॉक और नील द्वीप द्वीपों में साक्षरता स्तर दक्षिण अण्डमान जिला की तुलना में कम यानि 10% तक कम है । इन द्वीपों में विकास, स्थानीय जनसंख्या की साक्षरता स्तरों तथा रोजगार की योग्यता स्तरों को उठाने के काम को शामिल करने का प्रस्ताव करता है ।

2-5 vFk0;oLFkk

2-5-1 vkfFkd vk/kkj dk cuk, j[kuk

समुदाय अपने जीने के लिए किस प्रकार कमाता है, शहर/बस्ती के आर्थिक आधार का निर्धारण करता है । योजना अवधि के दौरान हैवलॉक और नील द्वीपों में पर्यटन और कृषि लगातार अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है । मास्टर प्लान का यह भरसक प्रयास होगा कि पर्यटन का अधिक उत्तरदायी और स्थाई तरीके तथा पर्यटन हितैषी तरीके से विकास करें । मास्टर प्लान द्वारा विचार किए गए विकास दृष्टिकोण को सही प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए पर्यटन हितैषी सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया है । विभिन्न लेखकों और अभिकरणों द्वारा पर्यवरण हितैषी विशिष्ट लक्षणों और घटकों की अत्यधिक संख्या लाई गई है । फिर भी, दृष्टिकोण की विशिष्ट दिशा को अपनाने पर बल देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पर्यटन–हितैषी के चार सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार है :–

i. क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए स्थानीय समुदाय को शामिल होना होगा ।
ii. पर्यटन–हितैषी के संसाधन उपयोग तथा स्थानीय निवासियों की अजिविका के बीच संभावित संघर्षों की पहचान करना होगा और उसे कम करने का प्रयास करना होगा ।
iii. पर्यटन–हितैषी विकास के प्रकार और आकार स्थानीय समुदाय के पर्यवरण और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ अनुकूल होगा ।
iv. अन्तर क्षेत्रकीय संघर्षों का परिहार करते हुए एक एकीकृत भूमि उपयोग योजना द्वारा मार्गदर्शित समग्र क्षेत्र विकास के भाग के रूप में इसे नियोजित करना होगा तथा जन सेवाओं की पर्याप्त विस्तार के सहयोग से क्षेत्रकीय एकता सुनिश्चित करना होगा ।

2-5-2 df"k Hkfe;k dh lqj{kk

हैवलॉक और नील द्वीपों में हाल के समय में पर्यटन कियाकलापों की उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में कृषि अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी बनाए रखी है। 2011 के अनुसार हैवलॉक और नील द्वीप में कमशः लगभग एक तिहाई और दो तिहाई कामगार कृषि पर आश्रित है। इस क्षेत्र में उनके कियाकलापों की निरंतरता कृषि भूमियों को बचाए रखने में बड़ी मात्रा में निर्भर करेगा। यद्यपि अनुभाग 2.3.1 में प्रस्तावित भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण कृषि भूमि को अन्य उपयोगों में परिवर्तन से सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराएगा तथापि यह अनिवार्य है कि

उपयुक्त कार्यनीति जैसे बाजार अर्थव्यवस्था के दबाव में हार मान लेने वाले कृषि भूमि मालिकों को अकेला रोक सके, के द्वारा कृषि भूमियों के उत्पादन स्तरों में आवर्द्धन करें।

2-5-3 ekRl;dh {k= dh lHkkouk dk 0;ofLFkr i;kx dju

पर्यटन और कृषि के अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने तथा स्थाई विकास सुनिश्चित करने के लिए मात्स्यकी पर भी संभावना क्षेत्र के रूप में विचार किया जाएगा । वर्तमान में महत्वपूर्ण संख्या में स्थानीय मछुवारे, मत्स्यहरण के लिए गैर–यांत्रिकी लकड़ी की डोंगी का प्रयोग करते है, जो गहरे समुद्र तथा बहुदिवस मत्स्य हरण की संभावना में बाधा उत्पन्न करती है । मछुवारों के पास न तो मछली भण्डारन की सुविधा है और न ही स्थानीय उपभोग से अधिक पकड़ी गई मछली को बाहर भेजने की सुविधा है । हैवलॉक और नील द्वीपों में मत्स्य अवतरण केन्द्रों के विकास से मछवारों को बड़े यांत्रिकी नावों के उपयोग तथा लम्बे समय तक मत्स्यहरण एवं तटीय क्षेत्रों में पहुॅच के लिए आसानी होगी, जो मत्स्यहरण के लिए सुगम नहीं है । इसके अतिरिक्त पकड़े गए मछली को संभालकर रखने, प्रसंस्करण तथा भण्डारन के लिए आवश्यक अवसंरचना की स्थापना से अधिक रोजगार सृजन करने तथा परिवारों की आय बढ़ाने में मदद हो सकेगी ।

2-5-4 xkeh.k i;Vu dk c<kok nuk

कृषि क्षेत्र में कृषि कामगारों के लिए नियमित रोजगार की गारंटी नहीं है, जो नील द्वीप में गौण कामगारों की उच्च अनुपात का मुख्य कारण है । चूॅकि कृषि क्षेत्र में नियमित रोजगार निश्चित नहीं है, अतः कामगार अन्य अजीविका विकल्पों की ओर प्रवृत्त हुए है, बाहरी सहायता एवं समर्थन द्वारा हालात से संघर्ष करने के अलावा मास्टर प्लान कृषिक्षेत्र में रोजगार अनुपूरित तथा नियमित कर पर्यटन क्षेत्र का लाभ लेने के लिए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है ।

हैवलॉक और नील द्वीप में 'ग्रामीण पर्यटन' के प्रचार–प्रसार से कार्यबल के लिए अधिक नियमित रोजगार हेतु सहायता प्राप्त होगा तथा इन द्वीपों के स्थाई विकास में भी सहायता मिलेगी, चूॅकि ग्रामीण पर्यटन पर्यटन–हितैषी के लिए उदार माना गया है। ग्रामीण पर्यटन कृषि क्षेत्र में ग्रामीण निवासियों के आय की वैकल्पिक स्रोत के सृजन की अनुमति देता है । ग्रामीण पर्यटन ग्रामीण जीवन, मूल जनसंख्या की संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकता है तथा पर्यटकों को कृषि क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर उपलब्ध करा सकता है, जिससे शहरी क्षेत्रों से आने वाले अधिकतर पर्यटकों के लिए अजीवन अनुभव हो सकता है । कृषक, पर्यटकों के लिए कृषिक्षेत्र में आवास उपलब्ध करा सकते है, जिससे वे न केवल अपना घनोपार्जन बढ़ा सकते है, बल्कि पर्यटकों को भी सहायक सेवाएॅ उपलब्ध करा सकते है । इस तरह ग्रामीण पर्यटन से स्थानीय समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित हो सकते है, जिससे बिना कानूनी साधनों की सहायता से भी कृषि भूमियों को बचाए रखा जा सकता है ।

वास्तव में, ग्रामीण पर्यटन के अनेक पहलू है, जिसमें प्रकृति पर्यटन और साहसिक पर्यटन शामिल है । हैवलॉक और नील द्वीप महत्वपूर्ण संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मेजबानी करते है और वे प्रकृति पर्यटन और साहसिक पर्यटन के अनुभव पर अत्यधिक रूचि रखते है । इस प्रकार के पर्यटकों द्वारा नियमित प्रकार के आवास और सेवाओं की मॉग नहीं की जाती है । कम अवधि के लिए कृषि क्षेत्र के मध्य में आवास तथा स्वदेशी समुदाय के साथ सहयोग से रहना इस श्रेणी के पर्यटकों की इच्छा होती है । यह प्रस्ताव किया गया है कि स्थानीय समुदाय संगठित तरीके से इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए योग्य और सशक्त है ।

2-5-5 leqnz&fogkj i;Vu }kjk mPp eY; i;Vdk dk yHkkuk

समुद्र–विहार पर्यटन का तात्पर्य, समुद्र–विहार जहाज (आरामदेह) में फुरसत से विश्राम के लिए विभिन्न गंतव्यों में यात्रा करना, जो नौका यात्रा या मालवाहक जहाजों जैसे परिवहन उद्योग में शामिल नहीं है, समुद्र–विहार जहाज आनन्दमय यात्रा के लिए उपयोग की जाने वाली यात्री जहाज है, जिसमें यात्रा अपने आप में और जहाज की सुविधाएं अनुभव का अंग है, साथ ही रास्ते के साथ पड़ने वाले विभिन्न गंतव्य स्थान भी । जैसा कि उल्लेख किया गया है, परिवहन मुख्य उद्देश्य नहीं है, चूॅकि समुद्र–विहार जहाज अधिकतर ऐसे मार्गों पर चलता है जो यात्रियों को उनके जहाज पर चढ़ने वाले पत्तन पर वापस उतारता है ।

विश्वव्यापी दृष्टि से हाल के दिनों में समुद्र–विहार पर्यटन ने बड़ी मात्रा में गति प्राप्त की है, तथा समुद्र–विहार पर्यटन में अनेक नये गंतव्य स्थान प्रकट हुए है । लंबी तट रेखा, स्थिति तथा अनेक सुन्दर बसे और खाली पड़े द्वीपों का फैलाव, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समुद्र का एक यू.एस.पी है, जो अ.तथा नि. द्वीप समूह में समुद्र–विहार पर्यटन के विकास के लिए विशाल अवसर प्रदान करता है । समुद्र–विहार पर्यटन के इन द्वीपों में विकास के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों तथा उच्च मूल्य घरेलू पर्यटकों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी जिससे पर्यटकों के प्रतिव्यक्ति व्यय के स्तर में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होगी । विदेशी पर्यटकों के बीच हैवलॉक और नील द्वीप पहले से ही बहुत लोकप्रिय है, तथा इक्वेसन (EQUATION) द्वारा कराई गई तथा 2008 में प्रकाशित प्राथमिक सर्वेक्षण यह प्रकट करती है कि अपने यात्रा के दौरान 55% से अधिक विदेशी पर्यटक केवल हैवलॉक का भ्रमण करते है और 26% हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों का भ्रमण करते है ।

अ.तथा नि. द्वीप समूह में समुद्र–विहार पर्यटन का प्रस्ताव करते समय हैवलॉक और नील द्वीपों को छोड़ा नहीं जा सकता है । हैवलॉक और पोर्ट ब्लेयर के बीच यात्रियों के समुद्री परिवहन में लगा हुआ । पूर्ण वातानुकूलित जहाज 'मेक्रुज' एवं 'कोस्टल क्रुज' की बढ़ती लोक प्रियता, समूद्र–विहार गंतव्य स्थानों के रूप में हैवलॉक और नील के साथ इन द्वीपों में समुद्र–विहार पर्यटन के संभावना की पुष्टि करता है ।

भागीदारियों के परामर्श और पर्यटन निदेशालय, अ. तथा निकोबार प्रशासन की शिफारिस के आधार पर वर्ष 2012 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अवसंरचना पट्टे में देने एवं वित्तीय सेवाएं (IL&FS) द्वारा तैयार किया गया 'पूरे भारत के पर्यटन परिभ्रमण की पहचान' पर अंतरिम रिपोर्ट, हैवलॉक–लिटिल अण्डमान को मुख्य परिभ्रमण के रूप में पहचान की है । इस परिभ्रमण में समुद्र–विहार पर्यटन को शामिल करना एक शुरूआत हो सकती है, जिसकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैलने की संभावना है ।

2-5-6 i;Vd d fy, vkd"k.k@lfo/kkvk dk foLrkj dju

हैवलॉक और नील द्वीपों के भ्रमण में आने वाले लोगों का मुख्य आकर्षण यहां के समुद्री तट है । इन द्वीपों के अन्य आकर्षण मूँगा चट्टान देखना और जलक्रीड़ा के अवसर है । लेकिन संपूर्ण अ. तथा नि. द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों को इस प्रकार की संपदाओं का वरदान मिला हुआ है और यह महत्वपूर्ण है कि हैवलॉक और नील द्वीप और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं तथा इनकी संख्या को दीर्घावधि तक कायम रखें । यह भी महत्वपूर्ण है कि आकर्षणों की श्रंखला का विकास करें, ताकि द्वीपों का भ्रमण नीरस न हो, बल्कि लगातार प्रेरणापूर्ण रहें । आकर्षणों की संख्या और सुविधाओं के स्तर में वृद्धि कर पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि को बाध्य किया जा सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में अधिक तेजी लाया जा सकता है ।

इससे अधिक यह सामान रूप से या अधिक महत्वपूर्ण है कि वर्तमान पर्यटन अवसंरचना को पूर्ण रूप से बदले, क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति, दूर स्थानों से इन द्वीपों को आश्वस्त करने में पूरी तरह विफल रही है । पर्यटकों द्वारा भ्रमण किए गए पर्यटक स्थलों/स्थानों की तुलना के लिए लगभग हमेंशा आकृष्ट करता है । और वे इस पर कम अंक देते है, जिससे दीर्घावधि में पर्यटन विकास को कायम रखने में विफलता मिलेगी ।

2-6 lok,

2-6-1 tykifr

योजना अवधि 2034 तक जलापूर्ति (120 ली.प्र.व्य.प्र) की वर्तमान स्तर को कायम रखने के उद्देश्य से, हैवलॉक द्वीप को 1.01 मि.ली.प्र. की वर्तमान उपलब्धता के स्थान पर निवासी आबादी की आपूर्ति के लिए 1.41 मि.ली.प्र. जल की आवश्यकता होगी । नील द्वीपों के निवासियों के लिए 1.20 ली.प्र.व्य.प्र के इसी स्तर को उपलब्ध कराने के लिए 0.18 मि.ली प्रतिदिन की वर्तमान उपलब्धता की तुलना में लगभग 0.51 की आवश्यकता होगी । आगे विकास–प्रतिदिन जलापूर्ति की मॉग करेगा, जो अभी एकदिन के बाद एक दिन या तीसरे दिन उपलब्ध कराया जा रहा है । जबकि इस

सीमा तक जलापूर्ति से संबंधित विकास को, भावी जनसंख्या, पर्यटक जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाना प्रशासन के लिए एक कठिन कार्य होगा ।

होटल और रिसॉर्ट वर्तमान में भूमिगत जल का उपयोग करते है । लेकिन पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से बड़ी मात्रा में निकाले गए भूमिगत जल से संकट आ सकती है । कृषि भी खुली और बोर कुएं द्वारा निकाली गई बड़ी मात्रा में जल का खपत करती है । भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप खारे पानी का निकलना; इन द्वीपों की पर्यवरणीय स्थायित्व पर खतरे का कारण बन सकता है । इन परिस्थितियों में मास्टर प्लान, होटल/पर्यटन उद्योग की भागीदारी से जल सरंक्षण और जल के पुनश्चक्रण एवं पुनः उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रस्ताव करता है । पर्यटकों के लिए आवास उपलब्ध कराने वाले को प्रशासन पर आश्रित न होकर अपनी जल की आवश्यकता हेतु योजना बनाना होगा ।

2-6-2 vif'k"V ic/ku

इन द्वीपों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों उपाय पूर्ण रूप से किया जाना बाकी है । जैसा कि अनुभाग 1.5.7 में उल्लेख किया गया है कि अधिकतर जनसंख्या के लिए शौचालय सुविधाएँ नहीं है । प्राकृतिक पर्यवरण की भलाई और हैवलॉक तथा नील द्वीप में उपलब्धि प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित एक प्रकार के पर्यटक विकास पर विचार करते हुए इस स्थिति को स्थाई रूप से जारी नहीं रखा सकता है । अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि हैवलॉक और नील द्वीपों की संपूर्ण जनसंख्या को व्यक्तिगत या सोकटिक सहित संयुक्त सेप्टिक टंकी से जुड़ा शौचालय उपलब्ध कराया जाए ।

अपने आकार, उपलब्ध संसाधन तथा समस्या की सीमा तथा धारणा पर निर्भर करते हुए यह द्वीप समूह विभिन्न दृष्टिकोण अपना रहा है । इस दृष्टिकोण का विस्तार छोटे अपशिष्ट डालने के स्थान के बाड़े से घेरना से लेकर द्वीपवार अपशिष्ट पृथककरण कार्यक्रम तक हो सकता है ।

इन द्वीपों में राजस्व गॉवों के आकार, उनका फैलाव और भूमि उपलब्धता यह सुझाता है कि प्रबंधन उपायों को अधिक विकेन्द्रीकृत तरीके से देखा जाना चाहिए । अपशिष्ट प्रबंधन में एक ऐसे दृष्टिकोण के अनुसरण का प्रस्ताव किया गया है, जिसके द्वारा इस द्वीप में उत्पन्न कोई भी अपशिष्ट बिना शोधन के नहीं निपटेगा । तदनुसार, प्रबंधन उपाय को नियोजित और निष्पपदित करना होगा ।

पर्यटन जनसंख्या के अपशिष्ट प्रबंधन में भी प्रवीणता की आवश्यकता है, ताकि पूरे द्वीप में केवल प्राकृतिक पर्यवरण बना रहें बल्कि पर्यटन विकास भी कायम रहे । पर्यटकों के आवासीय घरों में अपशिष्ट प्रबंधन, इस प्रकार की सुविधा, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने वालों के द्वारा संभाला जाना होगा । पर्यटकों के लिए वातावरण निर्माण करने, उसे आकार देने वाले निवेशकों को आरंभ में प्रोत्साहित करना होगा और बाद में प्राकृतिक भवनों के नियम के अनुपालन हेतु वियनियमित करना होगा ।

2-6-3 fc t yh

आबादी वाले गॉवों का समुद्र द्वारा अलग होने सहित भौगोलिक और स्थलाकृति बाध्यताओं की दृष्टि से इन द्वीपों में एक भी उर्जा ग्रिड नहीं है, बावजूद इसके इन क्षेत्रों में बिजलीघरों द्वारा स्वतंत्र रूप से इसकी पूर्ति हो रही है । हैवलॉक और नील द्वीप में क्रमशः 2004 और 2002 में प्रत्येक 50 किलोवाट शीर्ष क्षमता की सौर उर्जा संयंत्रों से जोड़कर दो ग्रिडों का संस्थापन किया गया था,जो तकनीकी कारणों से खराब पड़ा है । यहॉ पर केवल 1330 किलोवाट और 560 किलोवाट संस्थापित क्षमता सहित क्रमशः हैवलॉक और नील द्वीपों में डीज़ल बिजली उत्पादन घर है, जो 24 घंटे बिजली आपूर्ति उललब्ध करा रही है । यहॉ हैवलॉक में 1281 और नील द्वीप में 665 उपभोक्ता है जो इन बिजली घरों से बिजली की आपूर्ति प्राप्त कर रहे है ।

बिजली उत्पादन के लिए पूरी तरह डीजल पर आश्रित रहना, इस तथ्य को देखते हुए कि डीजल स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तु नहीं है, आदर्श परिस्थिति नहीं है। विद्युत विभाग, अ.तथा. नि. प्रशासन ने बिजली उत्पादन के पारंपरिक स्रोत, विशेष रूप से डीजल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में नई और नवीकरण उर्जा द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नई नीति तैयार की है, यह नीति, मिनि/माइक्रो हाइड्रो, सौर फोटो वोल्टाइक, और थर्मल, बायोमास, पवन, सह–उत्पादन, नगरपालिका कूड़ा–करकट, बायोगैस तथा महासागर जैसे नई एवं नवीकरण उर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रणाली संस्थापित करने के इच्छुक किसी भी पंजीकृत कम्पनी, सहकारी या पंजीकृत समीति पर विचार करने का जिक्र करता है । इस प्रकार की सुविधाओं को स्थापित करने के लिए हैवलॉक और नील द्वीपों को प्राथमिकता दिया जाएगा, चूँकि पर्यटन विकास की दृष्टि से आने वाले वर्षों में इन द्वीपों में बिजली की मॉग में विविध प्रकार की वृद्धि होगी ।

संपूर्ण अ.तथा.नि. द्वीप समूह में पहले से ही उत्पादित बिजली के 52% का उपयोग गैर–घरेलू, औद्योगिक तथा अन्य बड़ी मात्रा के उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। चूँकि अगले 20 वर्षों में पर्यटकों की जनसंख्या, यहॉ के निवासियों के बराबर होने का अनुमान है, अतः हैवलॉक और नील द्वीपों में गैर–घरेलू वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की भागीदारी कहीं अधिक (52%) होने की संभावना है । इस प्रकार के परिदृश्य में; उर्जा संरक्षण का उत्तरादायित्व लॉजिग एवं बोर्डिंग प्रचालकों सहित पर्यटकों को सेवा उपलब्ध कराने वालों पर अधिक रहेगा । गैर–घरेलू उपभोक्ताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपने उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करने हेतु अपनी योजना और करार सहित आए । बड़े वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक भवनों के लिए उर्जा दक्षता ब्यूरों के उर्जा संरक्षण भवन नियम के कार्यान्वयन पर प्रशासन को भी विचार करना होगा ।

2-7 ifjogu

हैवलॉक और नील दोनों द्वीप समुद्र एवं आकाश दोनों रास्तों द्वारा पोर्ट ब्लेयर से जुड़ा है । अनुमानित पर्यटक जनसंख्या को पोर्ट ब्लेयर और इन द्वीपों के बीच परिवहन सुविधाओं की बहुत अधिक आवर्द्धन की आवश्यकता है । आवर्द्धन की लागत बहुत अधिक होने की संभावना है और यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कार्य में प्रशासन निजि क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें ।

अन्तर्द्वीपीय परिवहन सुविधाओं के लिए विस्तृत नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि पर्यवरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव को न्यून करने का प्रस्ताव किया गया है । वाणिज्यिक वाहनों की अनियंत्रित संख्या के कारण हैवलॉक में पहले ही अधिक आबादी देखा गया है । हैवलॉक द्वीप में 99 वाणिज्यिक तीन पहिया तथा 180 वाणिज्यिक हल्के वाहन मुख्य रूप से पर्यटकों की सहायता के लिए चल रहे है । यदि इन वाहनों के संचालन को विनियमित नहीं किया गया तो पर्यटक आबादी के बढ़ने की अनुपात में कही अधिक वाहनों की बढ़ने की संभावना है । अतः मास्टर प्लान, जीवाश्मईधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग सीमित करने का प्रस्ताव करता है तथा प्रदूषणरहित वाहनों, साइकिल चलाने, पैदल चलने का समर्थन करता है ।

पार्किंग संबंधित मुद्दा है, जिससे प्रमुखता से हल करना है । पर्यटक वाहनों की पार्किंग के लिए कोई निर्दिष्ट स्थान न होने से वाहनों को रोड मार्जिन या जनता के उपयोग के क्षेत्रों पर छोड़ देने के कारण यातायात के बाधारहित प्रवाह में रूकावट आती है ।

2-8 lkekftd ,oa volajpukRed rFkk vU; lfo/kk,a

जबकि हैवलॉक और नील दोनों द्वीप में वर्तमान में शैक्षिक सुविधाओं को पर्याप्त माना गया है, फिर भी योजना अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि होने पर अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होगी । जहॉ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रश्न है, केवल न्यूनतम सेवाऍ उपलब्ध कराई गई है, जिसे, सेवाओं की महत्व को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त मानी गई है । स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी इन द्वीपों में पर्यटन विकास के लिए मुख्य अवरोधक बन गई है । क्योंकि पर्यटन को आर्थिक विकास के लिए मुख्य क्षेत्र माना गया है, इसीलिए मास्टर प्लान में योजना अवधि के दौरान उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाऍ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

पुलिस थाना तथा अग्नि–शमन केन्द्र जैसी सुविधाएँ, जो स्थानीय आबादी के साथ–साथ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी अति अनिवार्य है, हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में विस्तार की आवश्यकता है ।

1. Tourist Pavilion
2. Island Park
3. Boat House at Govinda Nagar
4. Rejuvenation of space around Boat Jetty
5. Boat House at Vijay Nagar
6. Residential neighborhood
7. Coral Museum
8. Shows on Elephant Centre
9. Link Road
10. Existing Road - Proposed for Improvement
11. Forest Trekking
12. View Tower
13. Eco-Friendly Tourist Cottages
14. Budget Accommodations
15. Rural Tourism
16. Dolphin Shows
17. Environmentally Sensitive Area for Protection
18. Beautification of Govinda Nagar Beach

N

not to scale

नील द्वीप
धारणा योजना

NEIL ISLAND
CONCEPT MASTER PLAN

मानचित्र सं.5

मानचित्र सं. 6

LEGEND

EXISTING ROADS

ISLAND BOUNDARY

0 0.5 1 2 3 KM

N

वर्तमान सड़क जाल

हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान – 2034

CLIENT

Andaman Public Works Department
A & N Administration, Port Blair

APWD

CONSULTANTS

School of Architecture & Planning
Anna University, Chennai-25

मानचित्र सं. 7

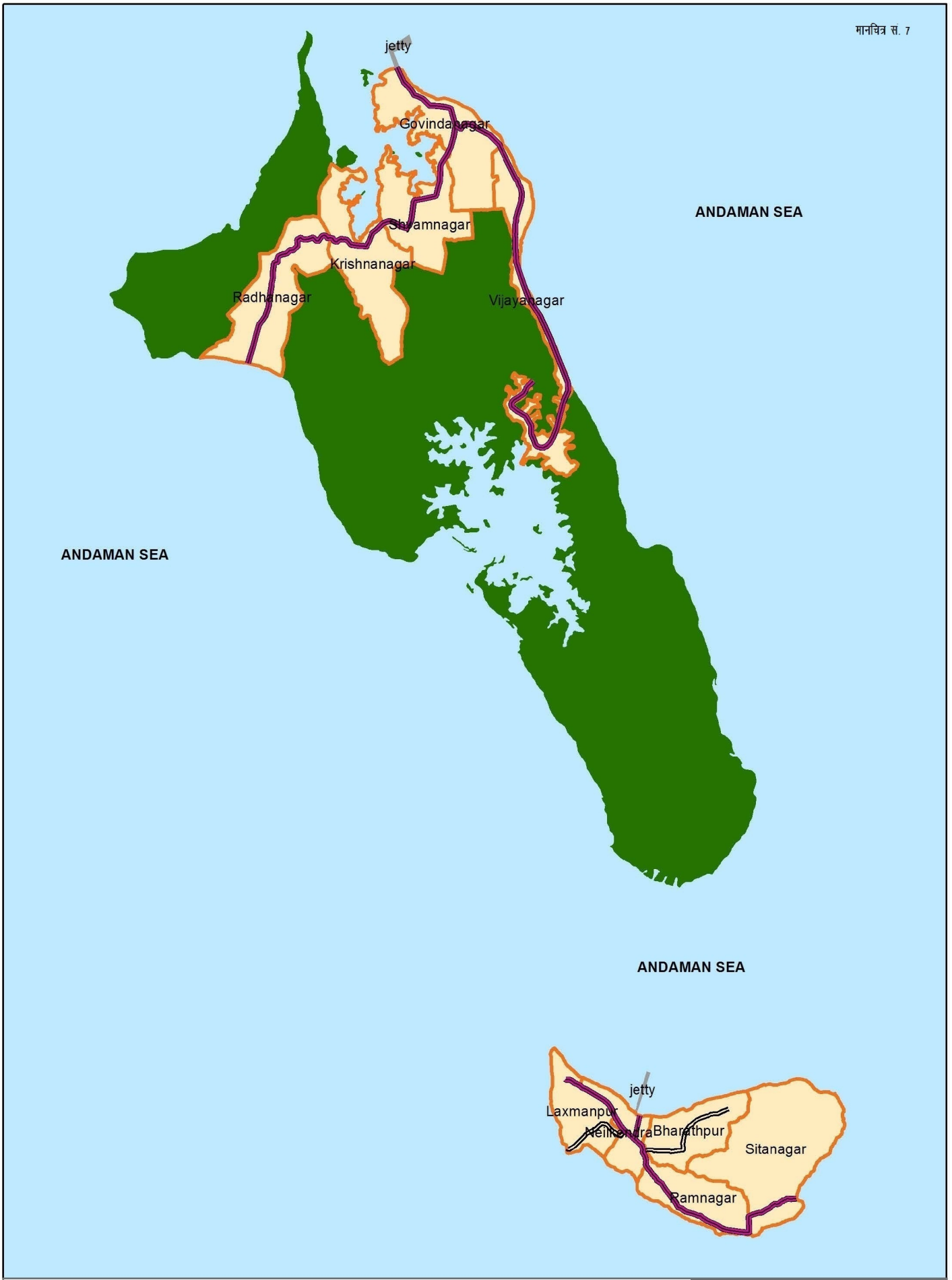

LEGEND

EXISTING ROADS | VILLAGE BOUNDARY | ECO CORRIDOR

0 0.5 1 2 3 KM

N

पारिस्थितिक कॉरिडोर

हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान – 2034

CLIENT
Andaman Public Works Department
A & N Administration, Port Blair

APWD

CONSULTANTS
School of Architecture & Planning
Anna University, Chennai-25

v/;k; 3

;k tuk iLrko

3-1 ;k tuk iLrkok dh i d'fr ,o i dkj

योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकास दृष्टिकोण की रूप रेखा पूर्व अध्याय में बताई गई है । इसके अतिरिक्त भौतिक विकास और उनके स्थानिक संगठन की पहचान; न केवल पर्यटकों की पूर्ति हेतु रास्ता दिखाएगा बल्कि स्थानीय समुदाय की आकांक्षाओं की पूर्ति भी करेगा तथा बस्तियों के सामाजिक आर्थिक प्रकार्यों में स्थायित्वता सुनिश्चित करेगा । भूमि उपयोगों की स्पर्धा में सौहार्दपूर्वक विकास हेतु अनुकूलता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है तथा हैवलॉक और नील द्वीपों का मास्टर प्लान, उपयुक्त भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा । मास्टर प्लान अनुमानित स्थानीय जनसंख्या, पर्यटकों की संभावित स्तर तथा उच्चतम नियोजन निकायों द्वारा सुझाया गया नियोजन मानदण्डों के आधार पर विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों के तहत लाई जाने वाली भूमि का निर्धारण भी करेगा । मुख्य नियोजन मानदण्डों में कुछ निश्चित न्यूनतम मानकों, जो 'विकास विनियम' के रूप में योजना प्रस्तावों का स्थान लेगा, के निर्धारण द्वारा व्यवस्थित भौतिक विकास प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अलावा इन द्वीपों में अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की ओर प्रशासन के विचार हेतु निश्चित नीतियॉ एवं कार्यक्रमों को भी मास्टर प्लान के प्रस्तावों में शामिल किया गया है । इस अध्याय के निम्नलिखित अनुभाग, उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराता है ।

अवसंरचना विकास की चाबी है और लोगों के जीवन स्तर का महत्वपूर्ण निर्धारक है । 'अवसंरचना' शब्द व्यापक है और स्थानीय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक अनेक चीजों को अपने अन्दर समाया है । हैवलॉक और नील द्वीप का मास्टर प्लान, स्थानीय जनसंख्या साथ ही पर्यटक जनसंख्या जो संख्या में काफी अधिक और अनुरूप हो सकता है, मूलभूत सेवाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है ।

3-2 e yHk r l ok,

3-2-1 t yk i fr

अध्याय 2 में जलापूर्ति की स्थिति पर चर्चा, इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि हैवलॉक द्वीप को योजना अवधि 2034 तक निवासी जनसंख्या के लिए 120 ली.प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए 0.40 मिट्रिक ली. प्रतिदिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी । इसी मानक द्वारा नील द्वीप को वर्ष 2034 तक 0.33 मि.ली. प्रतिदिन अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी । पर्यटक जनसंख्या को 120 ली.प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर पर जलापूर्ति का प्रावधान, हैवलॉक और नील द्वीपों में क्रमशः 1.60 मि.ली.प्रतिदिन तथा 0.57 मि.ली.प्रतिदिन के स्तर तक अतिरिक्त जल आवश्यकता को शामिल करेगी ।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की दृष्टि के अनुसार तथा के.लो.स्वा.प.अ.सं. द्वारा किए गए शिफाारिस अनुसार 70 ली. प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के न्यूनतम स्तर पर निवासी एवं र्प्यटक जनसंख्या के लिए जलापूर्ति के प्रावधानो को हैवलॉक एवं नील द्वीपों में क्रमशः 0.52 मि.ली.प्रतिदिन तथा 0.26 मि.ली.प्रतिदिन की सीमा तक अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी । बिना हिसाब–किताब के तथा जल बर्बादी से कम से कम 10% तक और अतिरिक्त आवश्यकता हो सकती है ।

आगे, यह ध्यान देने योग्य है कि हैवलॉक और नील द्वीपों में काफी अधिक मात्रा में कृषि की जाती है, उप–सतही–जल की बड़ी मात्रा का खपत करती है । न्यूनतम जल उपयोग के साथ सिचांई पद्वति के आधुनिकीकरण और फसल उगाने की पंक्तिबद्व पद्वति, घरेलू उपयोग हेतु जल संरक्षण और इसके बनाए रखने में मदद कर सकती है । जहॉ अत्यधिक मात्रा में जल का बह जाना अधिक प्रचलित है, वहॉ चेक बॉध के निर्माण के अतिरिक्त वर्तमान छोटे एवं स्थानीय स्तर के तालाबों को समर्थ करने का प्रस्ताव है, जिससे इन द्वीपों में वाटरशेड के विकास में मदद होगी ।

इन दोनों द्वीपों में अत्यधिक दिन अच्छी वर्षा होती है, तथा उपयोग योग्य जल संसाधनों के आवर्द्धन के लिए वर्षाजल का प्रत्यक्ष उपयोग एक कार्यनीति हो सकती है ।

पर्यटन क्रियाकलाप अधिक मात्रा में जल की मॉग करता है तथा वे भूमिगत जल के बढ़ती निकासी के लिए उत्तरदायी होंगे । पर्यटकों में वृद्धि की प्रत्याशित स्तर भी भूमिगत जल की तीव्र निःशेषण का कारण होगा । इन द्वीपों के स्थाई विकास के लिए पानी के खपत को कम कर तथा इसकी बर्बादी को रोकने के प्रबंधन से हैवलॉक और नील द्वीपों में फलते–फूलते पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना है । पर्यटन उद्योग की खपत को यदि विनियमित नहीं किया गया, तो यह स्थानीय समुदायों के ऊपर अत्यधिक अनैच्छिक प्रभाव का कारण बन सकता है ।

अ.तथा.नि. प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर निवासी आबादी की जल आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है तथा नये जल स्रोतों तथा जल संरक्षण की स्थापना करने के लिए आवश्यक अवसंरचना का विकास कर पर्यटन उद्योग की सहायता कर सकता है । पर्यटन उद्योग में की गई जलापूर्ति की लागत की वसूली प्रशासन द्वारा पूरी तरह की जानी होगी । पर्यटन उद्योग की जल आवश्यकता की सहायता के लिए विलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया जा सकता है । जो विलवणीकरण के द्वारा जल की लागत को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए ।

3-2-2 fudklh

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कि इन द्वीपों में वर्षा की मात्रा अच्छी है, लेकिन समुद्र की ओर इसके प्राकृतिक ढलान के साथ, सभी ओर समुद्र से घिरे होने के कारण, इन दोनों द्वीपों में जल का तीव्र गति से बह–जाना अनुपातिक रूप से अधिक है । कृषि और पर्यटन उद्योग के उपयोग के लिए खपत की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हए, तेजी से घट रही भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षाजल संरक्षण का प्रस्ताव किया गया है । अंतिम अनुभाग में वर्षाजल के प्रत्यक्ष उपयोग का सुझाव भी दिया गया है । उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त निकासी प्रणाली के निर्माण द्वारा वर्षाजल को ले जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

3-2-3 vif'k"V ic/ku

हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में अपशिष्ट प्रबंधन कार्य पर प्रमुखता से ध्यान देने का प्रस्ताव किया गया है । अपशिष्ट प्रबंधन में कमियों से क्षेत्रों की बड़ी संख्या के ऊपर तेजी से प्रभाव बढ़ेगा । यदि इस दिशा में समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो विशेषतः स्वास्थ्य, परिस्थिति एवं अर्थव्यवस्था पर अधिक हानि पहुॅनाने और पूर्ति न हो सकने वाले परिणाम हो सकते है ।

जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है कि इन द्वीपों में अभी भी पूरी तरह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन उपाय लिए जाने बाकी है । दोनों द्वीपों में स्थानीय जनसंख्या के लिए शौचालय की उपलब्धता केवल यथासंभव न्यूनतम है । कुछ मामलों में आय और कुछ मामलों में जीवनशैली, यहॉ के लोगों की अपनी शौचालय न होने के कारण है । लेकिन परिवारों की संख्या पर विचार करते हुए, इन द्वीपों की संपूर्ण जनसंख्या के लिए व्यक्तिगत शौचालय या सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराने तथा खुली–मलत्याग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का काम भी कठिन नहीं होगा ।

गंदा जल शोधन मानव और पर्यवरणीय स्वास्थ्य की रक्षा करता है, अतः इन द्वीपों में उत्सर्जित गंदे जल को पूरी तरह शोधन तथा पूरी मात्रा का पुर्नउपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है । गंदा जलशोधन पर विचार करने के लिए अनेक विकल्प और पद्धतियॉ है । जैसा कि अध्याय 2 में सुझाया गया है कि अपशिष्ट प्रबंधन में विकोन्द्रीकृत दृष्टिकोण को पसंद किया गया है, क्योंकि समुदायों की फैली प्रकृति, भूमि आवश्यकता तथा पर्यवरणीय संवेदनशीलताओं पर विचार करते हुए, ये संसाधनों के यहॉ वहॉ निकलने और उसके प्रभाव से बचाकर अपशिष्ट को शोधन के लिए केन्द्रीय स्थल पर ले जाता है ।

पारंपरिक सेप्टिक टंकी प्रणाली द्वारा सीवेज प्रबंधन व्यापक रूप से लोकप्रिय है तथा अनेक समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है । अतः विद्यमान मिट्टी की स्थिति, भूजल स्तर तथा जल निकायों के समीप समुदायों की निकटता को ध्यान में रखते हुए इन द्वीपों में इस पर विचार करने की आवश्यकता है । पर्यवरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सीवेज शोधन तकनीकी पर संक्षिप्त संग्रह प्रकाशित किया है, जो विभिन्न पद्धतियों की तथ्य पत्र प्रस्तुत करता है । प्रशासन, पर्यवरणीय नियोजन एवं प्रोद्योगिकी, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट शोधन प्रणाली का विचार भी कर सकता है, जिसे, 5000 जनसंख्या की सुविधा को स्थापित करने के लिए केवल लगभग 0.25 हैक्टेयर भूमिक्षेत्र की आवश्यकता है ।

होटल मालिक संघ को भी अपना व्यक्तिगत/संयुक्त गंदा जल शोधन संयंत्र रखने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा उन्हें खुले में गंदा जल छोड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए । आगे यह प्रस्ताव किया गया कि यदि भूमि उपलब्ध है, तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए और यदि नही है तो सामूदायिक सुविधाएँ स्थापित की जा सकती है । पर्यटक जमाव के सभी स्थानों में सार्वजनिक शौचालयों का प्रस्ताव भी किया गया है ।

ठोस अपशिष्ट का मुद्दा इन द्वीपों में बड़ी अस्पष्ट और घुँघली है, क्योंकि पर्यटन क्रियाकलापों के बढ़ने और स्थानीय समुदायों की जीवन शैली के आधुनिकीकरण के साथ अपशिष्टों की मात्रा में वर्षों के बीतने के साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है । पर्यटन से उत्पन्न अपशिष्ट, स्थानीय अपशिष्ट उत्पाद की दर से दोगुणा के आसपास हो सकती है । अपशिष्ट को खुले में डाला जाएगा, क्योंकि यह स्थानीय समुदाय/प्रशासन के प्रबंध करने की क्षमता से अधिक उत्पन्न होता है । इन द्वीपों के आकार और प्रकार्य, ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग में पूरी तरह सहयोग नहीं करता है । फिर भी स्थानीय रूप से अपशिष्ट तथा प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाने वाले अपशिष्ट को अलग करने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा । जिन अपशिष्टों को स्थानीय स्तर पर पुनः चक्रित और पुनः उपयोग करना संभव नहीं है, उसे इस द्वीप के बाहर स्थानांतरण करना होगा, अन्यथा इन द्वीपों में अपशिष्टों के रखे जाने की क्रिया बढ़ेगी ।

3-3 lkekft d vodlajpuk

3-3-1 LokLF;

आबादी वाले द्वीपों के अलग–थलग होने, कठिन स्थलाकृति और संचार की मंद गति पर विचार करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को उदार बनाया गया है और सुविधाओं के विभिन्न स्तरों की स्थापना के लिए मानदण्डों में ढील दी गई है । ढील दिए गए मानदण्डों के अनुसार जन–संख्या का विचार किए बिना प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केन्द्र 5 किमी. की दूरी पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10किमी. की दूरी पर स्थापित की गई है । यद्यपि सुविधाओं का यह स्तर यहॉ निवास करने वाले जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो सकती है तथापि पर्यटकों को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। उच्च मूल्य पर्यटक जनसंख्या की न्यूनतम आवश्कता,उनके ठहरने के स्थानों में 'बुलाने पर चिकित्सक सुविधा' तथा बहुत अधिक उच्च स्तर की आकस्मिक चिकित्सा देखभाल सुविधाएँ होनी है । हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में आकस्मिक देखभाल अस्पताल स्थापित करने के लिए निजि क्षेत्र की भागीदारी के साथ कार्य मॉडल विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कुशल चिकित्सा कार्मिक होगा, जिसे, उपलब्ध पर्यटन आकर्षणों का लाभ उठाने हेतु कम अवधि के लिए इन द्वीपों में लाया जा सकता है । इस प्रकार की सुविधा से पर्यटकों को बहुत मदद मिलेगी और स्थानीय जनसंख्या के लिए भी फायदेमंद होगी ।

इन द्वीपों से पोर्ट ब्लेयर में रोगियों के परिवहन के लिए 'एयर एम्बूलेंस' की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया गया है ।

3-3-2 f'k{kk

यद्यपि शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता वर्तमान के लिए पर्याप्त है, जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है, मुख्यतः समुदायों के फैलाव को ध्यान में रखते हुए योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होगी । हैवलॉक में 1 अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा नील में 2 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना से इस क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती है ।

3-3-3 vkokl h;

2011 जनगणना के अनुसार कुल 1641 परिवारों में से हैवलॉक द्वीप में 862 परिवार गोविन्द नगर में बसे है,जो 52% है । बोट घाट से समीपता तथा व्यापार एवं पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों के द्वारा अजीविका के लिए अच्छे अवसर, गोविन्द नगर को आवास के लिए एक बेहतर स्थान बनाता है । नील द्वीप के नील केन्द्र में भी इसी प्रकार की स्थिति है, जहॉ 40% परिवार रहते है । इन बस्तियों के बिना योजना और जैविक वृद्धि, निर्मित एवं प्राकृतिक पर्यवरण के

मध्य खराब आवासीय स्थिति और आसामंजस्य का संयोजन पर्यटन क्रियाकलापों के विकास के लिए हतोत्साहित करता है । आगे, आवासीय कॉलनियों के नियोजित एवं सघन विकास, सेवाओं की अच्छी गुणवत्ता और स्तर उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, जिसकी हैवलॉक और नील दोनो द्वीपों को अत्यधिक आवश्यकता है।

अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि गोविन्द नगर में सभी सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच की व्यवस्था कर एक नियोजित आवासीय मुहल्ला विकसित किया जाए। इसी प्रकार नील द्वीप में भी एक आवासीय मुहल्ला विकसित किया जा सकता है और भरतपुर उचित स्थान होगा, क्योंकि वहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है तथा यह नील केन्द्र के भी ज्यादा समीप स्थित है। यह प्रस्ताव किया गया है कि भूमि उपयोग नियोजन वर्तमान एवं नए स्थानो के चारों ओर के सघन एवं समूह विकास का ध्यान रखे।

आगे यह अनुमान लगाया गया है कि योजना अवधि के दौरान हैवलॉक और नील द्वीप में पर्यटकों का आगमन बढकर प्रतिदिन क्रमशः 5000 और 2000 हो जाएगी। पर्यटकों के यहां रूकने की संभावना कम से कम 2 दिन है, तथा यह परिदृश्य, सेवा आबादी के स्तर में काफी बढोतरी उत्पन्न कर सकती है, जिसके लिए आवासीय आवश्यकताओं के नियोजन की भी आवश्यकता है। भाडे पर आवास की आवश्यकता नया और महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, जहां वर्तमान में अधिकतर निवासी जनसंख्या अपने परिसर में रहते है। अनेक मामलों में, इन द्वीपों में आने वाले समर्थित जनसंख्या के लिए शुरू में एकल भाडा आवास की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव किया गया है कि निजि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों सहित भाडे पर आवास के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर प्रशासन विचार कर सकता है।

प्रशासन को, सार्वजनिक एवं पर्यटकों की सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के वैकल्पिक आवास के लिए भी योजना बनाने की आवश्यकता है ।

3-4 i;Vu fodkl

अ. तथा नि. प्रशासन द्वारा प्रकाशित अ. तथा नि. द्वीप समूह आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08 ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों को बिना नुकसान पहुॅचाए अवसंरचना के पर्यवरणीय रूप से स्थाई विकास द्वारा पर्यटक हितैषी हेतु भावी बाजार गंतव्य के रूप में अ. तथा नि. द्वीप समूह को विकसित करने की दृष्टि से निश्चित की है । इस दिशा में हैवलॉक और नील द्वीपों में पर्यटन विकास के लिए निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करना है :

- न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रभाव के साथ अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करना
- पर्यटक आवाजाही और उनके ठहरने की अवधि में वृद्धि करना ।
- पर्यटकों की रूचि को बनाए रखना ।

1) मास्टर प्लान में पहचान किए गए पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करना तथा पर्यटक केन्द्र/स्थानों की पहचान करना जो कम से कम अन्तः क्षेप सहित पर्यटकों को आकर्षित कर सके । कार्ययोजना का ध्यान, पहचान किए गए विभिन्न परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिक एवं प्रणालीबद्ध विश्लेषणों के द्वारा योग्य स्थलों की ओर केन्द्रित करना, लागत प्राक्कलन तैयार करना, विभिन्न परियोजनाओं के लिए वैज्ञानिक एवं प्रणालीबद्ध विश्लेषणों के द्वारा योग्य स्थलों की ओर केन्द्रित करना, लागत प्राक्कलन तैयार करना, वित्तीय मॉडल का सुझाव देना तथा परियोजना के निष्पादन एवं अनुरक्षण के लिए कार्यनीति विकसित करना है ।

2) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक, कम मात्रा से उच्च मूल्य पर्यटन की उपलब्धि में मदद करता है । हैवलॉक और नील द्वीप अण्डमान पर्यटन का चेहरा होने जा रहा है, जिससे विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी । अ. तथा नि. प्रशासन के पर्यटन विभाग को अपने आपको, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इन द्वीपों में लाने के लिए मुख्य भूमि में अन्य राज्यों के पर्यटन अभिकरणों के साथ आकृष्ट होना होगा ।

3) मेसर्स अवसंरचना को पट्टे में देना तथा वित्तीय सेवाऍ ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार (2012) को जमा किए गए अपने रिपोर्ट में पहचान किए गए अनुसार पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख परिभ्रमण के रूप में पोर्ट ब्लेयर–नील–हैवलॉक–लिटिल अण्डमान की पहचान को आगे ले जाना है । इस प्रकार के परिभ्रमण क्षेत्र की यात्रा प्रचालन हैवलॉक और नील द्वीपों में अधिक पर्यटक को लाने में मदद करेगाा तथा पर्यटकों के परिवहन में समय और उर्जा की बचत भी करेगा ।

4) हैवलॉक में प्रवेश, जिसे इस धरती पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, अत्यधिक अप्रीतिकर हैं। आगन्तुकों के स्वागत, या द्वीप के खजाने को सुस्पष्ट करने के लिए या भावी बडी खोज यात्रा के लिए पर्यटकों के निदेश हेतु कोई भी विज्ञापन पट्ट नहीं है। अतः गोविन्दनगर (हैवलॉक) में बोट घाट से सटे क्षेत्र में पर्यटन पैविलियन विकसित करने का प्रस्ताव है। पर्यटक हैवलॉक में पहुंचने पर पैविलियन में जाएंगे, जिसमें पर्यटन सूचना केन्द्र शयनकक्ष, अमानती सामानघर, रेस्तरा, छोटा अस्पताल, होटल/रिसार्ट/कैब इत्यादि की सुविधा होगी। यह भाड़े में द्वीपों के दिन की यात्रा की शुरूआत का स्थान भी हो सकता है। इसी प्रकार पर्यटक पैविलियन के विचार का प्रस्ताव राजस्व गांव नील केन्द्र में नील द्वीप के लिए भी किया गया है ।

5) गोविन्द नगर में बोट घाट के थोडी दूर तक चारों ओर पर्यटक और स्थानीय समुदाय का मिश्रण है। पर्यटक के इन द्वीपों में उतरने पर उन्हें स्थानीय जनसंख्या की क्रियाकलापों, भीडभाड और प्रदूषण के व्यवधान के बिना प्रीतिकर और रूचिकर अनुभव प्राप्त होता है। बोट घाट और प्रस्तावित पर्यटक पैविलियन के चारों ओर के क्षेत्रों में पूर्ण पुनर्यौवन लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए विस्तृत स्थानिक नियोजन का प्रस्ताव किया गया है।

6) गोविन्दनगर समुद्र तट बोट घाट से सटा हुआ है, जहॉ पर्यटक पहुॅचते है । वर्तमान में यह क्षेत्र परिवहन हेतु सामानों को जमा करने तथा कूड़ा–करकट को डालने के लिए इस्तेमाल होता है । प्रदूषणरहित तटीय पर्यवरण के रखरखाव तथा इस समुद्री–तट का सौन्दर्यकरण, पर्यटकों को उनके आगमन के घंटे के भीतर मनमोहक एहसास दिलाता है । समुद्री–तट/समुद्र के सामने के विकास का प्रस्ताव न केवल गोविन्दनगर में किया गया है, बल्कि काला पत्थर, राधानगर, सीतापूर, भरतपूर और लक्ष्मणपूर में भी इसकी आवश्यकता है ।

7) एलिफैंट समुद्री तट और दीपघर के आसपास के क्षेत्र में कम गहराई वाले पानी में मूॅगा देखा जा सकता है । मूॅगे को खुली ऑख से देखा जाता है तथा यूवा सोच वाले इसे श्वास लेने वाली नली के माध्यम से गोता लगाकर अधिक सम्मोहकता से देख सकते है । लेकिन ज्यादा पर्यटक इसका अनुभव नहीं ले सकते, क्योंकि मत्स्यहरण/फाईबर नौका में गोविन्दनगर से मूॅगा कालोनी तक यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, एवं वर्तमान में कोई लाईसेंस प्राप्त नौका प्रचालक भी नहीं है । गोविन्दनगर में बोटघर के निर्माण से इन मूॅगा कालोनियों में लाइसेंस वाले बोट सेवाओं के प्रचालन में सहायता होगी । हैवलॉक द्वीप के उत्तरपूर्व की ओर, विजयनगर से सटे तट में शीट चट्टानों के आगे भी मूॅगा कालोनियॉ देखी जा सकती है । गोविन्दनगर की तरह विजयनगर में भी बोटघर का प्रस्ताव किया गया है, जिससे श्वासयंत्र के साथ गोताखोरी (स्क्यूबा डाइविंग) के लिए यात्राओं के आयोजन में मदद मिल सकती है ।

8) मनोरंजनात्मक एवं विश्राम उद्देश्यों से सेवा देने के अलावा खुला स्थान एवं पार्क भी पर्यटक जनसंख्या में अचानक वृद्धि को प्रबंध करने में सहायता करती है । विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण करते समय पार्कें, पर्यटकों के लिए मध्यवर्ती स्थान के रूप में भी काम करती है । दुर्भाग्य से हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में कोई भी पार्क नहीं है, अतः इन द्वीपों में प्रत्येक स्थान पर एक–एक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो बोट घाटों से समीप होगा ।

9) मूॅगा दिखाने के लिए श्वासयंत्र के साथ गोताखोरी एक साहसिक एवं प्रसिद्ध मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है । लेकिन इस क्रियाकलाप में शारीरिक फूर्ती की आवश्यकता होती है अतः सभी श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अनुकूल नहीं है । अतः बोटघर के बहुत पास मूॅगों की आकर्षक प्रकारों के साथ मूॅगा संग्रहालय का प्रस्ताव किया गया है, ताकि जो श्वासयंत्र के साथ गोताखोरी में जाना पसंद नहीं करते, वे यहॉ पर भी अधिक सुविधाजनक रूप से इस प्रकृति के आश्चर्यों का आनन्द उठा सकते है । मूॅगा संग्रहालय के विकल्प के रूप में जलजीवशाला भी पर्यटकों को अधिक आकर्षित कर सकता है ।

10) द्वीपों की शांत प्रकृति का हवाई दृश्य, स्मृति में हमेंशा चमकता रहेगा । हैवलॉक को विश्व की उच्च स्तर की समुद्री–तटों, विस्तृत कृषि भूमि, बागवानी तथा प्राकृतिक वनस्पति का दान स्वरूप मिलना, जिसे ऊॅचाई से एकटक देखने पर असीम आनंद मिलता है । इस द्वीप की समुद्र तल से अधिकतम ऊॅचाई लगभग 185 मीटर है और इन द्वीपों की स्थान विशेष की झलक प्राप्त करने के लिए इस बिन्दु पर एक दृश्य मीनार के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है । मीनार में लगे दूरबीन की सहायता से पर्यटक अन्य द्वीपों के स्थान भी देख सकते है ।

11) दृश्य मीनार को देखने के लिए शांत वन पर्यवरण में प्राकृतिक ट्रेल के लिए लंबी पदयात्रा मार्ग का प्रस्ताव किया गया है । मीनार से द्वीप की पक्षी के ऑख सी नजर रखने के पश्चात् पर्यटक वन मार्ग पर नीचे उतरकर राधानगर समुद्र–तट तक जा सकते है । लंबी पदयात्रा मार्ग के नीचे अंत में एक पर्यटक सूचना बूथ का भी प्रस्ताव है, जहॉ आरामदेह कमरा, पर्यटक के लिए सूचना बूथ, रेस्तरां, कला संस्कृति, इंटरनेट कैफे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है ।

12) मास्टर प्लान में विकास हेतु सारा ध्यान पर्यटक आवाजाही में वृद्धि और ठहरने की अवधि में विस्तार पर केन्द्रित है । पर्यटकों में अधिक रूचि उत्पन्न करने के लिए इस मास्टर प्लान में अनेक प्रस्ताव किया जा रहा है, जिससे इन द्वीपों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायता मिल सकती है । यह अनिवार्य है कि आवासीय सुविधाऍ भी पर्यटन घटकों का एक भाग हो, अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे पर्यवरण पर कम से कम प्रभाव पड़े । इस दिशा में यह प्रस्ताव किया गया है कि भूमि उपयोग नियोजन में पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट की स्थापना पड़े । को, वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने वाले क्रियाकलाप के रूप में बड़ी मात्रा में देखा नहीं गया है ।

13) पर्यटन का आनन्द, ठहरने के स्थानों की प्रकृति तथा विशेषताओं द्वारा महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है । सृजित विभिन्न प्रकार की ठहरने की सुविधाऍ; मनोभाव की सीमा तथा पर्यटक इस संबंध में सामान्यतः संवेदनशील होते है । ठहरने के स्थान की लागत पर्यटकों की संख्या और उनके आर्थिक स्तर पर प्रभाव भी डालती है । यद्यपि इन द्वीपों में पर्यटन विकास का उद्देश्य 'उच्च मूल्य न्यून मात्रा' पर निश्चित है तथापि यह प्रस्ताव किया गया है कि सभी श्रेणियों के पर्यटकों के लिए इन द्वीपों की शांत वातावरण और सुन्दरता का आनन्द लेने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कराया जाए । इस दिशा में यह प्रस्ताव किया गया है कि विभिन्न स्थानों में चार प्रकार के पर्यटक आवास जैसे– शयनकक्ष, किफायती लॉज, ग्रामीण– अस्थाई गृह तथा पर्यवरण अनुकुल रिसॉर्ट विकसित किया जाए ।

जबकि पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट स्थापित करने हेतु राधानगर सबसे अधिक वांछित गॉव हो सकता है, फिर भी कृष्णनगर किफायती आवास तथा ग्रामीण अस्थाई स्थानों के लिए आदर्श स्थान हो सकता है । हैवलॉक में गोविन्दनगर और नील में नील केन्द्र जैसे प्रवेश बिंदू ऐसे स्थान है जहॉ शयनकक्ष की सुविधाऍ उपलब्ध होने वाली है । पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट के प्रोत्साहन के उद्देश्य से खुले स्थानों और पार्कों के अन्तर्गत क्षेत्रीकृत भूभागों में भी इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने के लिए अनुमति दी जा सकती है ।

14) कृष्णनगर में ग्रामीण अस्थाई ठहरने के स्थानों के विकास से इस गॉव को 'ग्रामीण पर्यटन' के केन्द्र के रूप में विकसित करने में सहायता मिलेगी । कृष्णानगर में चारों ओर निवास स्थानों, कृषि क्षेत्रों तथा विद्यमान मंदिरों से भी इस संबंध में लाभ मिल सकता है ।

3-4-1 i;|oj.k vu|d|y fuek|.k dh LFkkiuk d| fy, ekx|nf'k|dk

क्योंकि पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट का इस अर्थ में प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव किया गया है कि पर्यवरण पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े, अतः पर्यटकों की इन सुविधाओं के लिए अनुमति प्रदान करने में सावधानी बरतनी होगी । प्रस्तावित क्रियाकलापों को पर्यवरण हितैषी के रूप में स्पष्टतयः स्थापित करना होगा तथा इस सबंधं में यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थाई अभिकल्प के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए स्थानीय प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यवरण के साथ सामंजस्य में प्रस्तावित पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट का अभिकल्प किया जाए । यह गैर–नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के उपयोग को कम करेगा तथा निर्माण के लिए गैर–नवीकरणीय सामग्रियों का उपयोग भी कम करेगा; जहॉ संभव हो, यह पुनर्चक्रित सामग्रियॉ होगी; यह व्यापक सीमा में उत्तरदायित्वों और रोजगार सहित नौकरियों का अवसर प्रदान कर स्थानीय समुदाय के साथ सामंजस्य से कार्य करेगा; यह स्थानीय संरक्षणों का लाभ उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगा और पर्यटकों को स्थानीय पर्यवरण और संस्कृति के बारे में शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा । कुल मिलाकर उनके द्वारा उपलब्ध आवास की आवश्यकता है – i) अनुभव का भाग ii) सरंक्षण स्थल का विस्तार iii) आसपास के पर्यवरण के साथ एकीकृत होना तथा iv) नियोजन अभिकल्प एवं प्रचालन की दृष्टि से पर्यवरणीय रूप से संवेदनशील होना ।

3-5 ifjogu

हैवलॉक द्वीप परिवहन अवसंरचना में सड़क, समुद्र एवं हवाई परिवहन शामिल है । समुद्री एवं हवाई परिवहन संयोजन, जो अन्तर्द्वीपीय संबंध प्रदान करता है, को योजना अवधि तक पर्यटकों के अनुमातित स्तर (5000) तक पहुॅचने

के उद्देश्य से और मजबूत करने की आवश्यकता है । इस संबंध में जहाजरानी सेवा निदेशालय ने चरणबद्व तरीके से और अधिक संख्या में आरामदेह यात्रा हेतु बोट शामिल करने के विचार का प्रस्ताव किया है । पर्यटक जनसंख्या के लिए अनन्य बोट यात्रा पर भी विचार किया गया है । पर्यटकों की प्रत्याशित स्तर तथा और बोट यात्रा के प्रचालन की पूर्ति हेतु हैवलॉक द्वीप में बोट घाट की सभी प्रकार से सुधार तथा विस्तार की आवश्यकता है । मेसर्स अवसंरचना पट्टे में उपलब्ध और वित्तीय सेवा द्वारा उनके रिपोर्ट (2012) में प्रतीक्षा टिकट, पार्किंग एवं शौचालय कमरे की सुविधाओं में प्रस्तावित स्तरोन्नयन; क्रियान्वयन हेतु योजना अवधि में पर्यटकों की अनुमानित स्तर के अनुसार विचार किया जाना है ।

योजना अवधि में बोट यात्रा और पर्यटक की संख्या में वृद्धि की मॉग की पूर्ति हेतु नील द्वीप में भी बोट घाट के सुधार और विस्तार का प्रस्ताव किया गया है । नील द्वीप में आरामदेह बोट यात्रा का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे इस द्वीप में और ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भ्रमण करने में सहायता मिलेगी । जहाजरानी सेवा निदेशालय हैवलॉक और नील द्वीप के बीच बारंबर और स्थानीय बोट यात्रा आरंभ करने पर विचार करेगाा ।

योजना उद्देश्यों को समझने के लिए, हैवलॉक और नील दोनों द्वीपों में पर्यटकों के अन्तर्द्वीपीय परिवहन के संबंध में, आगे नीति निर्णयों की आवश्यकता होगी । यदि विनियमित नहीं किया गया, तो पर्यटक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों की संख्या योजना अवधि तक बढ़कर अनुमानित 10 गुणा हो जाएगी, जो पर्यवरण के लिए भारी खतरा का कारण बन सकती है । अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि पर्यटकों के परिवहन के लिए पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा परिवहन प्रचालकों द्वारा चरणबद्व तरीके से गैर पारंपरिक ईंधन पर चलने वाले एल.एन.जी, बैटरी चलित/ पर्यवरण हितैषी वाहनों के उपयोग की अनुमति दिया जाए ।

सुविधाजनक द्वीप शटल सेवाऍं, जल्दी सवार होने और जल्दी उतरने वाली बस सेवाऍं (होप ऑन, होप ऑफ), बैटरी चलित मिनी बस सेवाऍं, निजि परिवहन पर निर्भरता को बहुत सीमा तक कम कर सकती है, जो इन द्वीपों में प्रदूषण स्तर को भी कम करने में मदद कर सकती है ।

पर्यटन स्थल तथा परिवहन टर्मिनल में उचित पार्किंग सुविधाओं की आवश्यकता है । हैवलॉक द्वीप में यातायात प्रवाह में अंकुश लगाने के अतिरिक्त पार्किंग सुविधाओं में कमी भी पर्यटन पर नाकारात्मक प्रभाव डालती है । यह प्रस्ताव किया गया है कि बोट घाटों और पर्यटकों के पसंदीदा समुद्री तटों के पास पार्किंग लॉट का निर्माण किया जाए । इन द्वीपों के प्रत्येक पर्यटक गंतव्य के विकास के भाग के रूप में पार्किंग लॉटों का प्रस्ताव किया गया है ।

आगे, द्वीपों के भीतर सभी पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए एक परिभ्रमण वृत्त विकसित करने से पर्यटन रूचि और सुविधा निर्माण में सहायता होगी । हैवलॉक में; विजयनगर समुद्री–तट के भ्रमण के पश्चात् पर्यटकों को उसी सड़क से वापस लौटना पड़ता है । सड़क जाल में परिभ्रमण स्थापित करने हेतु वर्तमान सड़क वन के रास्ते से संयोजन का प्रस्ताव है । यह विजयनगर और राधानगर को सीधे जोड़ने में मदद करेगा, जो सड़क दूरी और समय को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करेगा । प्रस्तावित संयोजन सड़क वन द्वारा घिरे ऊँची स्थलाकृति से होकर गुजरेगी, जो अपने आप में पर्यटन का घटक हो जाएगी ।

हैवलॉक और नील द्वीपों का अधिक पसंदीदा पर्यटक गंतव्य स्थान होने के कारण सड़कों की संपूर्ण स्थिति में सुधार और उसे चौड़ा किया जाना है, जिसमें साईकिल मार्ग सहित कम से कम दोनों ओर से यातायात संचलन हो ।

3-6 Hkfemi;ksx {ks=hdj.k ,oa fu;kstu ekun.M

हैवलॉक और नील द्वीप हेतु मास्टर प्लान; इन द्वीपों में विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों की पहचान कर व्यवस्थित तरीके से भौतिक विकास को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है, योजना अवधि और उसके आगे आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यवरणीय स्थायित्वता तथा सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित कर सके । भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण तथा नियोजन मानदण्ड; व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी औजार के रूप में उपयोग करने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्माण तथा भूमि विकास क्रियाकलापों के लिए अनुबंधित किया गया है ।

3-6-1 Hkfe mi;kx {k=hdj.k

भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण भूमि उपयोग में द्वंद्व को स्थानिक पृथककरण प्रदान करता है तथा साकारात्मक बाह्यता को बढ़ाता है, क्योंकि अनेक उपयोग, अनुकूल भूमि उपयोग के साथ समुहबद्ध होने पर लाभ मिलता है । हैवलॉक तथा नील द्वीप हेतु मास्टर प्लान, विकास के लिए भूमि की उपयोगिता में मॉगों की व्यापक सीमा विनियमित करने हेतु भूमि उपयोग क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणी पदनामित करता है:

i) आवासीय (आ)
ii) वाणिज्यिक (वा)
iii) सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक (सा.अ.सा)
iv) परिवहन एवं संचार (प..सं)
v) उद्यान एवं खुला स्थान (उ.खु.स्था)
vi) कृषि (कृ)
vii) विशेष आरक्षण (वि.आ)

प्रत्येक पदनामित क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से पहचान करता है कि (क) सामान्यतः अनुमत्य क्रियाकलाप (ख) विशेष मंजूरी सहित अनुमत्य क्रियाकलाप तथा (ग) प्रतिबंधित क्रियाकलाप । यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्रों में अनुमत्य विकासात्मक क्रियाकलाप, प्रमुख भूमि उपयोग के अनुकूल हो । इसे आसान बनाने के लिए प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्रों के तहत अनुमत्य क्रियाकलापों को कम प्रबलता से आरंभ होकर अधिक प्रबलता के क्रियाकलापों के पदानुक्रम में वर्गबद्ध किया गया है ।

3-6-2 fuekZ.k fØ;kdykiksa d fy, fu;ked ekun.M

i) निर्माण क्रियाकलाप हेतु नियोजन मानदण्ड, विचारार्थ महत्वपूर्ण नियोजन मानदण्डों की पहचान की है । वे है, न्यूनतम प्लॉट आकार, न्यूनतम प्लॉट सम्मुख, अपेक्षित न्यूनतम सड़क की चौड़ाई, अधिकतम अनुमत्य तल क्षेत्र अनुपात, अधिकतम प्लॉट आवरण, अधिकतम अनुमत्य ऊँचाई तथा अधिकतम अनुमत्य तल । यह मानदण्ड भूमि की आवश्कता, वहन क्षमता तथा उपलब्ध अवसंरचना पर निर्भर करते हुए प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए अलग–अलग होता है । 7 निर्धारकों के अतिरिक्त सेटबेक स्थानों के निर्धारक और पार्किंग मानदण्ड बनाया गया है और वे सामान्यतः सभी भूमि उपयोग क्षेत्रों में लागू होते है ।

ii) नियोजन मानदण्ड निर्धारण में वृक्षारोपण, तटीय विनियम क्षेत्र तथा भूकंप रोधी संरचनाओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है ।

iii) हैवलॉक और नील द्वीप में अधिकतम अनुमत्य ऊँचाई, भूमि के प्रकार की विचित्र प्रकृति, परिदृश्यात्मक स्थलों तथा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केवल भूतल+ 1 तल या 12मी. तक प्रतिबंधित किया गया है ।

iv) हैवलॉक और नील द्वीपों में अधिकतम तलक्षेत्र अनुपात वाणिज्यिक भूमि उपयोग क्षेत्र के लिए 125 तथा आवासीय एवं सार्वजनिक तथा अर्ध–सार्वजनिक भूमि उपयोग क्षेत्र के लिए 100 है । इसे द्वीप की वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक धारण किया गया है ।

v) अन्य सभी मानदण्डों जैसे प्लॉट आकार, प्लॉट सम्मुख, आवश्यक सड़क चौड़ाई, प्लॉट आवरण को विभिन्न क्रियाकलापों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक भूमि उपयोगों के लिए अलग निर्धारण किया गया है । वे यह सुनिश्चित करते है कि भूमि का प्रत्येक भाग सार्वजनिक सड़क द्वारा उचित तरीके से निर्धारित हो तथा सभी विकासों के लिए पर्याप्त प्रकाश, हवा की आवाजाही, सुरक्षा तथा निजिता सुनिश्चित हो । पार्किंग मानदण्ड सुनिश्चित करता है कि पार्किंग की आवश्यकताएँ प्लॉटों के भीतर होने तथा सार्वजनिक सड़कों पर चलने में बाधा न आने पर विचार हो रहा है ।

3-6-3 Hkfe fodkl d fy, fu;ked ekud

भूमि के अभिन्यास और उप–विभाजन के रूप में आवासीस क्रियाकलापों के लिए भूमि विकास हेतु अलग मानदण्ड का नया तरीका निकाला गया है । यह मानदण्ड सुनिश्चित करता है कि बड़े पैमाने पर भूमि विकास, विशेष

रूप से सुगमता, सड़कों का पदानुक्रम, उद्यान और खुला स्थान के लिए भूमि का आरक्षण तथा नागरिक सुविधाएँ व्यवस्थित है ।

विकास विनियमों पर निम्नलिखित अध्याय, आवासीय एवं औद्योगिक अभिन्यासों और उप–विभाजनों के रूप में निर्माण क्रियाकलापों तथा भूमि विकास के लिए भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण विनियम एवं नियोजन मानदण्ड का विवरण प्रस्तुत करता है ।

3-7 Hkfe mi;kx fu;ktu

मास्टर प्लान में प्रस्तावित विकास दृष्टिकोण तथा भौतिक विकास के लिए प्रस्तावित विनियमों के लिए हैवलॉक और नील द्वीपों के राजस्व गॉवों में सभी भूभागों को कुछ निश्चित भूमि उपयोग क्षेत्रों के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है । अतः मास्टर प्लान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन द्वीपों में भूमियों का उनकी उपयुक्तता एवं संभावना के आधार पर विशिष्ट भूमि उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत (सर्वेक्षण संख्या वार) किया गया है । अनुमानित जनसंख्या तथा नियोजन मानदण्ड के आधार पर व्युत्पन्न, विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि उपयोग वर्गीकरण तथा भूमि की सीमा को तालिका 3.1 तथा तालिका 3.2 (मानचित्र 6 व 7) में प्रस्तुत किया गया है ।

rkfydk 3-1 gOyk'd }hi d fy, iLrkfor Hkfe mi;kx forj.k&2034

Hkfe mi;kx@ jktLo xko	xkfoUnuxj		fot;uxj		d".kuxj		';keuxj		jk/kkuxj		gOyk'd }hi	
	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%
आवासीय	95.39	26.52	44.40	15.20	41.73	11.49	87.99	28.28	17.68	4.52	287.31	16.72
वाणिज्यिक	35.73	9.93	76.01	26.03	19.13	5.27	4.14	1.33	8.43	2.16	144.43	8.35
सार्व. एवं अर्ध. सार्व	60.20	16.74	60.12	20.58	31.18	8.58	5.98	1.92	5.31	1.36	162.79	9.48
परिवहन एवं संचार	12.14	3.38	4.57	1.57	5.40	1.49	6.12	1.97	9.30	2.38	37.53	2.19
पार्क एवं खुला स्थान	23.42	6.51	40.96	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	279.64	71.48	344.03	20.03
कृषि	129.59	36.03	65.99	22.60	229.14	63.08	164.50	52.87	26.69	6.82	615.92	35.86
विशेष आरक्षण												
वन	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46	8.11	38.01	12.22	39.93	10.21	107.41	6.25
जल निकाय	3.20	0.89	0.00	0.00	7.20	1.98	4.39	1.41	4.25	1.09	19.05	1.11
dy	359-67	100-00	292-06	100-00	363-24	100-00	311-14	100-00	391-24	100-00	1717-35	100-00

rkfydk 3-2 uhy }hi d fy, iLrkfor Hkfe mi;kx forj.k&2034

Hkfe mi;kx@jkt Lo xko	uhy dUn		Hkjrij		lhrkij		y{e.kij		jkeuxj		uhy }hi	
	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%	{k= ¼gDV½	%
आवासीय	41.39	38.21	37.42	19.91	16.68	3.00	13.94	8.07	20.98	10.92	130.40	10.72
वाणिज्यिक	4.57	4.22	0.31	0.17	0.44	0.08	14.36	8.32	8.73	4.54	28.41	2.34
सार्व. एवं अर्ध. सार्व	14.77	13.64	2.88	1.53	2.21	0.40	7.22	4.18	6.00	3.12	33.07	2.72
परिवहन एवं संचार	6.61	6.11	1.59	0.85	0.81	0.15	6.56	3.80	4.26	2.22	19.83	1.63
उद्यान एवं खुला स्थान	22.11	20.42	62.94	33.49	16.40	2.95	30.74	17.81	0.00	0.00	132.19	10.87
कृषि	18.83	17.39	74.24	39.51	295.27	53.16	91.31	52.89	152.10	79.19	631.76	51.94
विशेष आरक्षण												
वन	0.00	0.00	5.44	2.89	223.43	40.23	8.03	4.05	0.00	0.00	236.90	19.48
जल निकाय	0.02	0.02	3.11	1.65	0.20	0.04	0.47	0.27	0.01	0.00	3.81	0.31
dy	108-31	100-00	187-92	100-00	555-44	100-00	172-64	100-00	192-07	100-00	1216-38	100-00

हैवलॉक और नील द्वीपों की प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना 2034 को क्रमशः मानचित्र सं. 8 और 9 में दर्शाया गया है । इन द्वीपों के राजस्व गॉवों की प्रस्तावित और वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र भी अ.लो.नि.वि, पोर्ट ब्लेयर के नगर नियोजन ईकाई में उपलब्ध है । प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना की कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे सूचीबद्ध है ।

1) वर्तमान में आवासीय उपयोग के अंतर्गत भूमियों के अतिरिक्त, हैवलॉक द्वीप में आवासीय विकास की गुणवत्ता को बढाने के लिए मास्टर प्लान, और 185 हैक्टेयर से अधिक भूमि उद्दिष्ट करने का प्रस्ताव करता है। आवासीय उपयोग में यह तीन गुणा वृद्धि तथा इन अतिरिक्त भूमि का लगभग 70% श्यामनगर और गोविन्दनगर का होगा।

2) इसी प्रकार नील द्वीप में भी 82 हैक्टेयरभूमि को आवासीय उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से लाया गया है, तथा इन भूमियों का लगभग 66% राजस्व गॉव नील केन्द्र तथा भरतपुर से है।

3) जैसा कि विकास और रोजगार उत्पन्न करने के लिए पर्यटन को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है, अतः यह अनिवार्य हो गया है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि का काफी बडा क्षेत्र आबंटित करें। हैवलॉक में 90 हैक्टेयर भूमि को वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से लाया गया है तथा नील द्वीप में संबंधित अतिरिक्त भूमि 82 हैक्टेयर है।

4) सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना जो स्थानीय आबदी और पर्यटकों दोनों के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण है, को सुदृढ करने के उद्देश्य से काफी बडी मात्रा में भूमि को सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत लाया गया है। हैवलॉक द्वीप में सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत 138 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाने का प्रस्ताव है, जो 6 गुणा वृद्धि दर्शाता है। नील द्वीप में वृद्धि लगभग 3 गुणा है, जहां 23 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है।

5) खुले और प्राकृतिक स्थानों की संरक्षण के उद्देश्य से उद्यान एवं खुला स्थान, वर्गीकरण्रा के अंतर्गत भूमि उपयोग योजना कुछ निश्चित भूमियों को विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित करता है, जो सत्त विकास के लिए अनिवार्य है। यह पर्यटन विकास की संभावनाओं की पूर्ति में भी मदद कर सकता है। हैवलॉक और नील द्वीप में कुल क्षेत्र का लगभग 20% और 10% इस वर्गीकरण के अंतर्गत लाया गया है।

6) भूमि उपयोग योजना वन भूमि एवं जल राशियों को सुरक्षित भी करता है, क्योंकि इन भूमियों को विशेष आरक्षण वर्गीकरण के अंतर्गत लाया गया है।

3-8 ifj;k'tuk ,o pj.kh dj.k

मास्टर प्लान के पिछले अध्याय में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करता है कि पहचान किए गए कार्यक्रम एवं परियोजना प्रस्तावों को व्यवहार्य परियोजनाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया तथा सफलतापूर्वक क्रिर्यान्वित किया गया है । प्रस्तावों के लिए पूर्ण रूप से आबंटित सार्वजनिक निधि सरकार की स्पर्धात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार–साध्य नहीं हो सकती है । निजि निधि को आवश्यक रूप से लगाना है तथा योजना उद्देश्यों की सिद्धि के लिए परियोजनाओं को चरणबद्ध करना है । लेकिन परियोजना कार्यान्वयन के लिए 20 वर्षों की पूरी योजना अवधि का खपत करना, इन द्वीपों में विकास संभावनाओं का लाभ उठाने तथा विकास को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से अवांछनीय है । तदनुसार इसके नीचे परियोजनाओं की पहचान की गई है और दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया है जिसे 10 वर्षावधि में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

pj.k A ¼2014&19½

1) वर्तमान जलापूर्ति स्रोतो का आवर्द्धन एवं जल स्रोतों के जल संरक्षण/रिचार्ज एवं आवर्द्धन के लिए आवश्यक परियोजनाओं की पहचान कर हैवलॉक एवं नील दोनों द्वीपों के लिए जल प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना ।

2) दोनों द्वीपों में नई जलापूर्ति वितरण प्रणाली का अभिकल्पन एवं विकास।

3) अधिक जल भण्डारन के लिए वर्तमान छोटे एवं स्थानीय स्तर के तालाबों को और अच्छा बनाना ।

4) हैवलॉक तथा नील द्वीपों में राज्य राजमार्ग के साथ–साथ वर्षा जल नाले का निर्माण ।

5) हैवलॉक द्वीप के गोविन्दनगर एवं कृष्णानगर तथा नील द्वीप के नील केन्द्र में विकेन्द्रीकृत गंदा जल शोधन प्रणाली का निर्माण ।

6) राजस्व गॉव जहॉ, परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय सुविधाऍ नहीं है, वहॉ सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना ।

7) हैवलॉक और नील द्वीपों के सभी पर्यटन स्थानों में आधुनिक शौचालयों का निर्माण करना ।

8) अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निवासियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना एवं स्रोत कार्यक्रम पर अपशिष्ट पृथककरण एवं हैवलॉक द्वीप के लिए उपयुक्त योजना बनाकर पूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना ।

9) जैवविखण्डनीय अपशिष्टों के शोधन के लिए स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट यार्ड का निर्माण करना ।

10) हैवलॉक द्वीप में उन्नत आपात देखभाल अस्पताल की स्थापना ।

11) हैवलॉक द्वीप के गोविन्द नगर तथा नील द्वीप के भरतपुर में आवासीय मोहल्ला का निर्माण ।

12) हैवलॉक द्वीप के श्यामनगर में भाड़े पर आवासीय भवन का निर्माण ।

13) हैवलॉक और नील द्वीप में मत्स्य अवतरण केन्द्रों का निर्माण ।

14) हैवलॉक एवं नील द्वीप में बर्फ संयंत्रों तथा शीत भण्डारन की स्थापना ।

15) मास्टर प्लान में पहचान किए गए विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की विस्तृत नियोजन के लिए कार्ययोजना तैयार करना तथा उपयुक्त आर्थिक प्रबंध एवं क्रियान्वयन कार्यनीति का सुझाव भी देना ।

16) हैवलॉक और नील द्वीपों में अधिक विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ पर्यटन विभाग नेटवर्क प्राप्त करेगा ।

17) द्वीप में अधिक पर्यटकों के आगमन में मदद के लिए पोर्ट ब्लेयर–नील–हैवलॉक–लिटिल अण्डमान परिभ्रमण पर्यटन को बढ़ावा देना ।

18) बोट घाट क्षेत्र सहित गोविन्द नगर और नील केन्द्र के लिए विस्तृत स्थानिक विकास योजना तैयार करना ।

19) गोविन्द नगर, नील केन्द्र, काला पत्थर, राधानगर, सीतापूर, भरतपूर तथा लक्ष्मणपूर में समुद्री तट/सागर सम्मुख विकास ।

20) मूॅगा चट्टान/कालोनी देखने के लिए गोविन्द नगर और विजयनगर में बोटघर का निर्माण तथा प्रचालन ।

21) हैवलॉक और नील द्वीप में बृहत द्वीप पार्क का विकास ।

22) हैवलॉक द्वीप के उच्चतम स्थान में 'पदयात्रा मार्ग' का निर्माण ।

23) स्थानिक योजना के साथ ग्रामीण पर्यटन योजना को बढ़ावा देने तथा एकीकरण के लिए क्रियाकलापों की प्रकृति की पहचान के लिए 'ग्रामीण पर्यटन योजना' का निर्माण करना । यह योजना उपयुक्त योजना कार्यान्वयन कार्यनीति का सुझाव भी दे सकता है ।

24) हैवलॉक और नील द्वीपों में बोट घाटों तथा यात्री सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार ।

25) वैकल्पिक गैर–प्रदूषण ईंधन का प्रयोग करते हुए पर्यटकों के लिए नवाचारी परिवहन सेवाऍ, द्वीप शटल सेवाऍ आरंभ करना ।

26) विजयनगर और कृष्णानगर को जोड़ने के लिए संयोजन सड़क का निर्माण ।

27) साईकिल मार्ग और पगडंडी सहित दो तरफ से यातायात संचलन के लिए हैवलॉक और नील द्वीप में मुख्य सड़क नेटवर्क का चौड़ीकरण और सुधार ।

28) राज्य राजमार्ग के साथ अच्छी संयोजन सुनिश्चित करने तथा संचरण में जटिल संयोजन स्थापित करने के लिए हैवलॉक द्वीप में ग्रामीण सड़क जालों का निर्माण ।

29) नील द्वीप में ग्रामीण सड़कों का विस्तार, संयोजन सड़को का निर्माण तथा ग्रामीण सड़क जालों का सामान्य सुधार ।

30) परिवहन टर्मिनल (बोट घाट एवं हैलीपेड) पर्यटकों के पसंदीदा समुद्री तटों तथा पर्यटकों के पसंद के सभी स्थानों के समीप चार्जिंग केन्द्र सहित पार्किंग लॉट का निर्माण ।

31) हैवलॉक एवं नील दोनों द्वीपों में गैर–पारंपरिक स्रोतों के द्वारा उर्जा उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन ।

32) समुद्री विहार टर्मिनल ।

pj.k AA ¼2019&24½

33) हैवलॉक तथा नील द्वीपों में विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना ।

34) हैवलॉक द्वीप और पोर्ट ब्लेयर के बीच 'हवाई एम्बूलेंस सेवा' आरंभ करना ।

35) हैवलॉक एवं नील द्वीपों में क्रमशः अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय की स्थापना ।

36) गोविन्दनगर एवं नील केन्द्र के बोट घाट के पास 'पर्यटक पैविलियन' विकसित करना ।

37) विजयनगर में 'मूँगा संग्रहालय' की स्थापना करना ।

38) द्वीप की 360 डिग्री नजारें के लिए हैवलॉक 'दृश्य मीनार' का निर्माण ।

3-9 ifj;kstuk Hkfe vko';drk, ,o ykxr

मास्टर प्लान परियोजना प्रस्ताव की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन अधिकांशतः विकास हेतु भूमि की उपलब्धता और आवश्यक निधि पर निर्भर करता है । प्रस्तावों के तहन अनेक क्षेत्र आते है और संबंधित अभिकरण/विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की ओर उपयुक्त कार्रवाई आरंभ करें । मास्टर प्लान में विचार किए गए विकास परियोजनओं को अनेक मामलों में विस्तृत अध्ययन और जॉचों द्वारा और ब्यौरे की आवश्यकता है । अर्जित की जाने वाली भूमि, लोगों का विस्थापन, समुदायों को लाभ तथा प्रभावित लोगों की नाकारात्मक प्रभाव का अध्ययन परियोजना प्रस्तावों के भाग के रूप में प्रभाव कम करने वाली सहयोगी उपयुक्त योजनाओं के लिए करना होगा हॉलाकि मुख्य परियोजना प्रस्तावों के लिए भूमि की वित्तीय आवश्यकताओं के संकेत तालिका 3.3 में दर्शाया गया है ।

rkfydk 3-3 ieq[k ifj;kstukvksa dh dk;kZUo;u dh fy, Hkwfe ,oa foÙkh; vko'drk

Ø-l-	ifj;kstuk 'kh"kZd	ifj;kstuk dh vko';drk	
		Hkwfe ¼gDVs½	foÙk ¼djksM+ :- esa½
1.	विकेन्द्रीकृत गंदा जल शोधन प्रणाली–गोविन्दनगर, कृष्णनगर एवं नील केन्द्र	1	10
2.	सभी राजस्व गॉवों में कम्पोस्ट यार्ड	1	10
3.	हैवलॉक में आपात देखभाल अस्पताल	1	50
4.	हेलीपेड का विस्तार एवं सुधार	2	20
5.	रिहायसी मोहल्ला का निर्माण	5	100
6.	श्यामनगर में भाड़े पर आवास भवन का निर्माण	5	30
7.	सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	––	5
8.	हैवलॉक और नील में द्वीप पार्क	5	20
9.	हैवलॉक और नील द्वीप के लिए विलवणीकरण संयंत्र	3	50
10.	विजयनगर में मूँगा संग्रहालय	1	20
11.	हैवलॉक बोट घाट क्षेत्र का विकास	––	10
12.	नील बोट घाट क्षेत्र का विकास	––	10
13.	समुद्री तट/सागर सम्मुख विकास	––	5
14.	गोविन्दनगर तथा नील केन्द्र में पर्यटक पैविलियन	प्रत्येक 2 हैक्ट	100
15.	बोट घरों का निर्माण	––	20
16.	हैवलॉक दृश्य मीनार	1	20
17.	पदयात्रा मार्ग का निर्माण	––	2
18.	विजयनगर एवं कृष्णानगर के बीच संयोजन सड़क	––	10
19.	सड़क सुधार	––	25
	dqy	29	517

मानचित्र सं.8

ANDAMAN SEA

ANDAMAN SEA

RESERVED FOREST

RESERVED FOREST

HAVELOCK AND NEIL ISLANDS

HAVELOCK ISLAND

LEGEND

- Residential
- Commercial
- Public & Semi-Public
- Transport & Communication
- Parks and Open Space
- Water bodies
- Agricultural
- Reserved Forest
- Other Forest
- Mangroves
- LPA Boundary
- Village Boundary
- Roads

0 200 400 800 1,200 1,600 2,000 Meters

PROJECTION SYSTEM : UTM
DATUM : WGS84
SPHEROID : WGS84
ZONE : 46

DATE AUGEST 2014

ISLAND NAME HAVELOCK

N

CLIENT Town and Country Planning Unit
Andaman Public Works Department
A & N Administration, Port Blair

APWD

CONSULTANTS School of Architecture & Planning
Anna University Chennai

हैवलॉक प्रस्तावित भूमि उपयोग

हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान – 2034

मानचित्र स. 9

ANDAMAN SEA

ANDAMAN SEA

ANDAMAN SEA

HAVELOCK AND NEIL ISLANDS

NEIL ISLAND

LEGEND

- Residential
- Commercial
- Public & Semi-Public
- Transport & Communication
- Parks and Open Space
- Water bodies
- Agricultural
- Reserved Forest
- Other Forest
- Mangroves
- LPA Boundary
- Village Boundary
- Roads

0 150 300 600 900 1,200 1,500 Meters

PROJECTION SYSTEM : UTM
DATUM : WGS84
SPHEROID : WGS84
ZONE : 46

DATE AUGUST 2014	ISLAND NAME NEIL	N
CLIENT Andaman Public Works Department, A & N Administration, Port Blair		APWD
CONSULTANTS School of Architecture & Planning, Anna University Chennai		

नील प्रस्तावित भूमि उपयोग – 2034

हैवलॉक तथा नील द्वीप के लिए मास्टर प्लान – 2034

v/;k; 4

fodkl fofu;e

4-1 rduhdh 'kCn ,o ifjHkk"kk,

1. igqp : गलिया या सड़कों के अलावा प्लॉट या भवन का रास्ता ।

2. df"k eaMh : कृषि उत्पादों के लिए गॉव/नगर चौक या खाली स्थानों तथा विपणन केन्द्र पर स्थानीय किसानों के लिए बाजार लगाना ।

3. ,dhdj.k% दो या दो से अधिक प्लॉटों को एकल प्लॉट से जोड़ना ।

4. lqfo/kk : इसमें सड़क, जलापूर्ति, गली का प्रकाश, निकासी भूमिगत नाला, लोक निर्माण शामिल है तथा इस विनियम के उद्देश्य के लिए प्रशासक, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर, इस प्रकार के अन्य सुविधाओं का उल्लेख सुविधा के रूप में कर सकता है ।

5. vikVesaV % तीन आवास ईकायों से बने भवन खण्ड के भीतर कमरों के युग्म से बना व्यक्गित घर ।

6. ckydkuh: बाहर बैठने के उपयोग के लिए रेलिंग (हैंडरेल) या वेंदिका या ऊॅची दीवार के साथ उर्ध्वाधर प्रक्षेपण जो गहराई में 1.2 मी. से अधिक न हो तथा भवन की पूरी लम्बाई और चौड़ाई तक लगातार न हो ।

7. f}Hkkt u : इसका अर्थ एकल प्लॉट को दो भागों में विभाजित करना ।

8. Hkou : इसमें घर, झोपड़ी या अन्य छत वाली संरचना, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए हो तथा किसी भी सामग्री से निर्मित हो एवं उसके प्रत्येक भाग तथा दीवार एवं कूऑ शामिल हो, लेकिन इसमें तंबू या इस प्रकार के सुवाह्य या लगभग अस्थाई आश्रम तथा भवन का भाग जिसमें भूमिगत कमरे का कोई दीवार या गली, बरामदा, स्थिर चौकी, सीढ़ी या दहलीज संलग्न हो या विद्यमान भवन या प्रस्तावित भवन के भीतर का क्षेत्र हो ।

9. Hkou j[kk : पंक्तिबद्ध, जिसमें गली से सटा भवन या कुरसी या गली का विस्तार या भावी गली पर विधिक रूप से विस्तार । किसी भी योजना में यदि कोई रेखा निर्धारित है, तो वह इसमें सम्मिलित होगी । न.ग्रा.नि. विभाग द्वारा किए गए निर्णय अनुसार भवन रेखा समय–समय पर परिवर्तन हो सकता है ।

10. dqukih ¼forku½ : भवन के प्रवेश के ऊपर खिड़की का ऊपरी हिस्सा या छत की ऊॅचाई में बहुधरण प्रक्षेपण ।

11. lkeqnkf;d lHkkxkj : समुदायों के एकत्र होने तथा सामाजिक अवसरों के आयोजन के उद्देश्य के लिए सभागार ।

12. Øfed Hkou : बिना किसी किनारे सेटबेक के निर्मित भवन । पंक्ति प्रकार की आवास भी इस श्रेणी में आते है ।

13. dkuk LFky : दो सड़कों का एक दूसरें में मिलने वाला तथा दो या दो से अधिक सड़कों/गलियों के आमने–सामने का स्थल ।

14. xfy;kjk : भवन के भीतर सभी के लिए बना तंग रास्ता या यहॉ–वहॉ घूमने के लिए स्थान ।

15. vkofjr {k= : भवन द्वारा कुरसी स्तर से ऊपर आवरित भू–क्षेत्र तथा भवन का भाग जो अन्य तल के कारण आवरित है ।

16. fodkl : इसका तात्पर्य जमीन में/पर/ ऊपर या भूमि के नीचे भवन का निर्माण, अभियांत्रिकी या अन्य प्रचालन या भवन/भूमि में कोई भी भौतिक बदलाव तथा पुनर्विकास सम्मिलित है ।

17. fodkl {k= : हैवलॉक और नील द्वीपों के सभी राजस्व गॉव के विशिष्ट भाग ।

18. /ke'kkyk : तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह, जिसका निर्माण धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया है ।

19. 'k;u vkokl : सोने के लिए बनी आवासों का निवास सभागार या भवन जो बड़ी संख्या में लोगों के लिए मुख्य रूप से सोने तथा रिहायसी आवास उपलब्ध कराता है, जो अक्सर बोर्डिंग स्कूल, महाविद्यालय या विद्यापीठ से संबद्ध रहता है ।

20. ukyk : मल से जाने वाली भूमिगत नाली, पाईंप, खाई, खुली नाली या बाल्टी, सिंक टंकी, फ्लश टंकी या उससे संबंधित अन्य जुड़नारों के साथ अन्य भूमि नालियों में बहता मल, दूषित जल, वर्षाजल या उप–मृदा जल ले जाने के कोई अन्य साधन ।

21. vkokl xg bdkbZ : रहने, भोजन बनाने तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं तथा भवन के किसी भाग के लिए अलग–अलग सुविधाओं सहित एक स्वतंत्र आवासीय ईकाई ।

22. i;koj.k vuqdwy xfy;kjk : हैवलॉक द्वीप में विजयनगर समुद्रीतट और राधानगर समुद्री–तट के साथ गोविन्दनगर बोट घाट के साथ सड़क संयोजन और नील द्वीप में सीतापूर और लक्ष्मणपूर समुद्रीतट के साथ नील केन्द्र बोट घाट के साथ सड़क संयोजन ।

23. i;koj.k vuqdwy lkefxz;k % पारंपरिक सीमेंट कंकरीट, हॉलो ब्लॉक तथा पुनर्चक्रण योग्य,पुनर्उपयोग, कम उर्जा उपभोगीय तथा कम कार्बन फुटप्रिंट सामग्रियॉ ।

24. i;koj.k vuqdwy fjlkVZ : रिसॉर्ट, जिसे पर्यवरणीय हितैषी सामग्रियों से निर्माण करने का इरादा रखते है तथा अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव में परिस्थितिकी के ऊपर सहित निर्मित क्षेत्र । इसे संबंधित तलों के तल स्तर में मापा जाता है ।

25. ry {k= % भूतल सहित सभी तलों के ऊपरी छत के साथ तरणताल सहित निर्मित क्षेत्र । यह संबंधित तलों के तल स्तर पर मापी जाती है ।

26. ry {k= vuqikr : कुल तल क्षेत्र का गुणज तथा प्लॉट के क्षेत्र द्वारा 100 को भाग करने पर प्राप्त भागफल ।

$$\text{तल क्षेत्र अनुपात} : \frac{\text{कुल तल क्षेत्र}}{\text{प्लॉट क्षेत्र}} \times 100$$

27. xksnke : निर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं, परिवहन, व्यापार आदि द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामानों के भण्डारण के लिए वाणिज्यिक भवन ।

28. leg fodkl : इसका तात्पर्य, इन संरचनाओं में अन्तसंबंध है या नहीं, इसका विचार किए बिना किसी निश्चित स्थल पर दो या इससे अधिक भवन खण्डों में स्थापित आवासीय या वाणिज्यिक या इस प्रकार की संयुक्त क्रियाकलापों का स्थान ।

29. vfrfFk xg : इसमें किसी संस्थान के अतिथियों के आवास के लिए उपयोग में लाने वाले भवन या भवनों का समूह या किसी भवन का भाग शामिल है ।

30. Hkou dh ÅapkbZ : लम्बाई में माप, सपाट छत के मामलों में भवन के चारों ओर तथा पास या न.ग्रा.नि.वि द्वारा निर्णित भूमि के औसत स्तर से बाहरी दीवारों के बगल भवन के अंतिम रहने योग्य तल के छत के ऊपरी हिस्से तक, ढालू छतों के मामलें में उस बिन्दू तक जहॉ पर बाहरी दीवारों के बाह्य सतह से आपस में मिलती हो, सड़क की आरे सम्मुख बाहरी दीवार के बाह्य सतह, ढालू छत के अंतिम सतह से आपस में मिलती हो, सड़क की ओर सम्मुख तिकोना के मामले में छज्जा स्तर एवं ऊपर उठा हुआ भाग के बीच का मध्यबिंदू । ऊॅचाई को मापने के उद्देश्य से वास्तु संबंधी तत्वों को इसमें शामिल नहीं किया गया है ।

31. gksVy : इसमें भवन या कई भवनों का समूह जिसमें यात्रियों या पर्यटक के आवास तथा सराय के लिए प्रावधान शामिल है ।

32. Hkfe : वे सभी भूमि सम्मिलत है जिस पर कुछ बनाई जा रही है या जल अच्दादित, जिसमें भूमि से बाहर पहुॅचने में मदद मिलती है, धरती से संबंद्ध वस्तुऍ या किसी गली द्वारा सृजित धरती या ड्राईवें से संबद्ध किसी भी वस्तु के साथ स्थाई रूप से जुड़ी हुई ।

33. vfHkU;kl : किसी व्यक्तिगत या निकाय या व्यक्ति चाहे सहयोगी हो या नही, के द्वारा 8 से अधिक संख्या में भूमि का प्लॉटों में विभाजन ।

34. LFkkuh; fudk; : का अर्थ अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 या अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (नगरपालिका) विनियम, 1994 के तहत गठित ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय ।

35. vLFkkbZ vkokl xg : इसमें भवन या कई भवनों का समूह या भवन का भाग, जिसे यात्रियों या पर्यटकों के आवास के लिए उपयोग में लाया जाता है, शामिल है ।

36. fookg gkWy : विवाह/स्वागत समारोह आदि जैसे सामाजिक अवसरों के आयोजन के उद्देश्य के लिए कार्यक्रम हॉल ।

37. Lokeh@fdjk,nkj : किसी भी भूमि के संबंध में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप भूमि–सुधार एवं भू–राजस्व विनियम–1966 के अधीन कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए लाइसेंस, परमिट या अनुदान अपने पास रखता हो, कुछ समय के लिए किसी भूमि या भवन का किराया प्राप्त करता हो, चाहे अपने खाते पर या किसी व्यक्ति या समीति या किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए अभिकर्त्ता या न्यासी के रूप में या जो भूमि या भवन किराएदार को दिया है, इसमें शामिल है ।

38. okgu [kMk djus dk LFkku : आवरित या खुला स्थान जो वाहन खड़ा करने के लिए आकार में पर्याप्त हो, जो पार्किंग स्थान को सड़क या गली से जोड़ता हो तथा जिसमें वाहन प्रवेश और निर्गम कर सकें ।

39. dqjlh {k= % भवन/भवनों की भूमि/स्टिल्ट तल स्तर पर मापी गई निर्मित आवरित क्षेत्र ।

40. IykWV lhek : निश्चायक सीमाओं द्वारा संलग्न भूमि का समीपस्थ खण्ड क्षेत्र । नोट : यदि प्लॉट का विस्तार कार्यस्थल स्थिति के अनुसार पी.एल.आर.सार/पट्टा तथा पंजीकृत स्वामित्व दस्तावेज से भिन्न है, तो तल क्षेत्र अनुपात तथा प्लॉट आवरण विनियम के आवेदन हेतु उस क्षेत्र के न्यूनतम की गणना की जाएगी (किसी भी अतिक्रमण को छोड़कर) सेटबेक विनियम के आवेदन हेतु किसी भी अतिक्रमण या भूमि के भाग, जिसके ऊपर आवेदक/डेवलॉपर का कोई अधिकार नहीं होगा, को छोड़कर आंतरिक सीमा इसका आधार होगा ।

41. IykWV vkoj.k : भवन या संरचना सहित आवरित प्लॉट का विस्तार तथा भू–स्तर से प्लॉट आकार पर निर्मित क्षेत्र अनुपात की प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है ।

42. IykWV lEeq[k : कार्यस्थल के किनारे प्लॉट की चौड़ाई या प्लॉट का किनारा संपर्क सड़क से मिला होना ।

43. fuft xyh : कोई भी गली, सड़क चौक, संकीर्ण स्थान गलियारा या यात्री मार्ग, जो सार्वजनिक गली नहीं है, लेकिन परिसर के मालिक द्वारा अपनी भूमि पर सुरक्षित पहुॅचने के लिए या उस परिसर के सुविधापूर्वक उपयोग के लिए बनाई गई पगडंडी इसमें शामिल नहीं होगी ।

44. lkoZtfud LFkku % योजना क्षेत्र का वह स्थान जो निजि संपति नही है और जो लोगो के उपयोग या आनन्द के लिए होता है ।

45. lMd@ xyh% नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी गली, सड़क, पुल, पगडंडी, तंग सड़क या गलियारा, जिससे आम लोगों को आने जाने का अधिकार है तथा नाली या दोनों ओर के गटर तथा कोई भी सटे हुए संपति के परिभाषित सीमा तक की भूमि । किसी भी वरामदा या अन्य सुपर संरचना के इस प्रकार की भूमि के ऊपर शेड प्रक्षेपण होने के बावजूद भी यह क्षेत्र इसमें शामिल होगा ।

46. lM d@xyh dh pkMkb % इसका अर्थ इस प्रकार के सड़क/गली के दिशा के सही कोणों में मापीय सड़क/गली की सीमाओं के भीतर स्थानों का पूर्ण विस्तार ।

47. dej dh Åpkb % का अर्थ समाप्त तल फर्श से समाप्त छत की भीतरी ऊँचाई के फर्श तक की मापी गई उर्ध्वाधर दूरी । जहाँ समाप्त छत की भीतरी ऊँचाई उपलब्ध नही है वहाँ के लिए कड़ीधरन का आंतरिक ओर या धरन या टाई धरन शीर्षांतर को निश्चित करने हेतु माप के ऊपरी बिन्दु को निश्चित करेगा ।

48. lLohd r ;k tuk % मुहर सहित यथा अनुमोदित एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन या विकास के संबंध में प्रस्तुत किया गया आरेखों का सेट एवं विनिर्देशन ।

49. lok ¼lfo l ½lM d % प्लॉट के किसी भी ओर सेवा उद्देश्यों के लिए उपलब्ध सड़क/गली ।

50. lVc d j[kk % रेखा जो सामान्यतः प्लॉट सीमा के समानान्तर होती है तथा प्रत्येक मामले में स्थानीय निकाय/न.ग्रा.नि.वि. द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके बाहर कार्यस्थल सीमा की ओर किसी भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता है ।

51. dk;LFky % निश्चित सीमाओं द्वारा संलग्न प्लॉट सहित भूमि का समीपस्थ भाग ।

52. fLVYV ¼Åij mBk gvk½ % 2.7मी. या उससे कम ऊचाँई की स्टिल्ट क्षेत्र सहित भू–स्तर से ऊपर उठा भवन, जिसे पर्याप्त सरंचनात्मक घटकों सहित सभी ओर पर खुला रखा गया है और वाहन के खड़ा करने या सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है ।

53. xyh lj[k.k % का अर्थ भूमियों को एक रेखा द्वारा द्विभाजित करना तथा यह सटे भूमि से गली का आरंभिक भाग होगा ।

54. mi foHkk tu % का अर्थ भूमि का प्लॉटों में विभाजन जोकि संख्या में 8 से अधिक न हो ।

55. dy ry {k= % भूतल सहित सभी तलों के तल क्षेत्र का योग, लेकिन आवरित पार्किग एवं स्टिल्ट तल में पार्किंग, सीढ़ी के ऊपर छत के बीच का कक्ष, लिफ्ट मशीन कक्ष तथा वास्तुकीय विशेषताओं के अलावा ।

56. foyk ¼cMk edku½ % कोई भी बड़ा उपनगरीय मकान जो मैदान के दृश्यभूमि में स्वतंत्र रूप से बना हो ।

57. o;jgkÅl ¼eky xknke½% सामानों के भण्डारन के लिए वाणिज्यिक भवन । वेयरहाऊस का इस्तेमाल निर्माताओं, आयातकों, थोक विक्रेतओं, परिवहन व्यापारी, सीमा शुल्क विभाग आदि द्वारा किया जाता है ।

4-2 Hkfe mi;kx {k=hdj.k fofu;e

4-2-1 Hkkxkfyd lhek

यह विनियम अण्डमान तथा निकोबार द्वीप नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचित विकास क्षेत्र (हैवलॉक और नील द्वीपों के सभी राजस्व गॉवों निर्दिष्ट भाग) में लागू होगा । इस दस्तावेज के प्रावधान अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 की धारा 8 से 10 के संयोजक अव्यव के रूप के पढ़ा जाएगा । bld lkFk iLrkfor fofu;e lHkkfor g । विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों तथा उसमें अनुमत्य विकास क्रियाकलापों का चित्रण का इरादा विकास प्रस्तावों में भूमि उपयोग कार्यनीतियों के अनुसार व्यवस्थित विकास प्राप्त करने के लिए किया गया है ।

4-2-2 Hkfe mi;kx {k=

हैवलॉक और नील द्वीप हेतु मास्टर प्लान ने निम्नलिखित 7 मुख्य भूमि उपयोग क्षेत्र को अंगीकृत किया है :–

i) आवासीय (आ)
ii) वाणिज्यिक (वा)
iii) सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक (सा.अ.सा)
iv) परिवहन एवं संचार (पं.सं.)
v) उद्यान एवं खुला–स्थान (उ.खु.स्था)
vi) कृषि (कृ)
vii) विशेष आरक्षण (वि.आ)

4-2-3 fofHkUu Hkfe mi;kx {k=k esa Hkfe mi;kx dk oxhdj.k

प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमत्य उपयोगों एवं क्रियाकलापों को कम प्रबलता की क्रियाकलापों से आरंभ कर अधिक प्रबलता की क्रियाकलापों के अधिक्रम में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि तालिका 4.2.3 में दिया गया है । प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्र में अन्य भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गीकरणों की अनुमत्यता को मुख्य भूमि उपयोग क्षेत्रों के विनियमों के अधीन 4.2.4 में शामिल किया गया है ।

rkfydk l-4-2-3 ¼d½ vkoklh; {k= d vUrxZr vuqeR; mi;kx ,oa fØ;kdyki

vkoklh; {k= d vUrxZr vuqeR; lHkh i:dkj ;k vkoklh; fodkl dk fuEui:dkj oxhZd`r fd;k x;k g\	
oxZ d	oxZ [k
• किया गया प्लॉट का विकास • बृहत एवं असंबद्ध आवास • अर्ध–असंबद्ध आवास • कच्चा घर • अपार्टमेंट • समूह आवास	• अतिथि गृह • सेवा अपार्टमेंट • फ्लैट/शयन आवास
नोट : i) वर्ग क के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप 300 वर्ग. मी के कुल तल क्षेत्र तक सीमित है । ii) वर्ग क के अन्तर्गत अनुमत्य 300 वर्ग. मी के कुल तल क्षेत्र से अधिक के सभी क्रियाकलापों को वर्ग ख के अन्तर्गत विचार किया जाएगा । iii) वर्ग क और ख के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप तालिका 4.3.2 में उल्लेख अनुसार लागू नियोजन मानकों पर आधारित है ।	

Rkkfydk 4-2-3 ¼[k½ okf.kfT;d {k= d vUrxZr vuqeR; mi;ksx ,oa fØ;kdyki

okf.kfT;d {k= d vUrxZr vuqeR; lHkh izdkj d okf.kfT;d fodklksa dk fuEuizdkj oxhZd`r fd;k x;k gS A		
oxZ d	oxZ [k	oxZ x
• प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं के व्यापार करने वाले छोटे दुकान जो 30 वर्ग मी. से अधिक न हो । • एस.टी.डी/फैक्स/इंटरनेट/ए.टी.एम केन्द्र जो 30 वर्ग मी. से अधिक न हो • केश सज्जा तथा सौन्दर्य पार्लर, जो 30 वर्ग मी. से अधिक न हो । • ड्राई क्लिनर/सिलाई ईकाई/बेकरी/मिठाई दुकान /चाय स्टाल 30 वर्ग मी. से अधिक न हो । • व्यवसायिक परामर्श कार्यालय, अनुशिक्षण केन्द्र, वाणिज्य विद्यालय तथा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत केन्द्र, पर्यटक सुविधा केन्द्र 50 वर्ग मी. से अधिक न हो • रेस्त्रां/कॉफी दुकान, 100 वर्ग मी. से अधिक न हो ।	• बैंक व बीमा कार्यालय / सुरक्षित जमा कक्ष, कार्यालय, 300 वर्गमी. से अधिक न हो । • होटल/रेस्त्रां/स्वास्थ्य स्पा/सौन्दर्य पार्लर, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो । • खुदरा दुकान/गोदाम 300 वर्ग मी.से अधिक न हो ।	• कार्यालय • खुदरा दुकानें/मॉल • सिनेमा थियेटर, दर्शकदीर्घा एवं संगीत समारोह हॉल • रेस्त्रां, स्वास्थ्य स्पा, सौन्दर्य पार्लर, फिटनेस केन्द्र • परिपाटी केन्द्र, कला बाजार, हस्तकला इम्पोरियम एवं पर्यटक पैवेलियन • होटल, अवकाश रिसॉर्ट, लॉज स्थापनाऍं • गोदाम
नोट : i) अनुबंधित क्षेत्र से अधिक के वर्ग क के अंतर्गत क्रियाकलापों को वर्ग ख के अन्तर्गत विचार किया जाएगा । ii) वर्ग ख के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप 300 वर्ग. मी के कुल तल क्षेत्र तक सीमित है । iii) 300 वर्ग. मी के कुल तल क्षेत्र से अधिक के वर्ग क और ख के अन्तर्गत सभी क्रियाकलापों को वर्ग ग के अन्तर्गत विचार किया जाएगा । iv) वर्ग ग के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप के बिना किसी तल क्षेत्र प्रतिबंध के है । v) वर्ग क, ख और ग के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप तालिका 4.3.2 में उल्लेख अनुसार लागू नियोजन मानकों पर आधारित है ।		

Rkkfydk l- 4-2-3 ¼x½ vkS|kfxd {k= d vUrxZr vuqeR; mi;ksx ,oa fØ;kdyki

oxZ&d	oxZ&[k
• विद्युत उर्जा का उपयोग करने वाले कुटीर उद्योग, जो 5 एच.पी. से अधिक के यंत्रों का उपयोग नहीं करते है एवं जिसमें 8 व्यक्ति से अधिक कार्यरत नहीं है । • कुक्कुटशाला, दुग्धशाला, कृषि आधारित कुटीर उद्योग, 100 वर्गमी. तल क्षेत्र से अधिक प्लॉट का आकार न हो । • मोटर कार/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत केन्द्र, 100 वर्ग मी. तल क्षेत्र से अधिक प्लॉट का आकार न हो ।	• तल क्षेत्र के प्रतिबंध के बिना हल्के उद्योग– विद्युत उर्जा का उपयोग करने वाले सभी उद्योग, 10एच.पी से अधिक के यंत्रों का उपयोग नहीं करते या जिसमें 15 व्यक्ति से अधिक कार्यरत नहीं है । mnkgj.kkFk m|ksx • खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, लट्टा एवं लकड़ी उत्पाद, कागज उत्पाद एवं मुद्रण, धातू कार्य, विद्युत सामान, परिवहन, उपस्कर, कांच कार्य एवं बोट मरम्मत।

Rkkfydk l- 4-2-3 ¼?k½ lkoZtfud ,o v/k&lkoZtfud {k= d vUrxZr vuqeR; mi;kx ,o fØ;kdyki

जनता की सुविधा और सेवा के लिए अभिप्रेरित सभी प्रकार के विकासों को सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और वे इस प्रकार है :

oxZ d	oxZ [k	oxZ t
<u>सरकारी कार्यालय</u> • सरकारी विभाग के कार्यालय, 300 वर्ग मी. तक • बिल जमा केन्द्र (पानी/मल, बिजली आदि) पुलिस थाना एवं डाकघर, 300 वर्ग मी. तक • अग्नि शमन केन्द्र <u>शैक्षिक संस्थान</u> • नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालय, शिशुगृह • सार्वजनिक पुस्तकालय <u>स्वास्थ्य सुविधाएं</u> • नर्सिग गृह, पॉली–क्लिनिक, औषधालय, फिसियोंथेरेपी केन्द्र, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो । • पशुचिकित्सा क्लिनिक, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो । • स्वास्थ्य क्लिनिक, रोग विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला, रोग निदान केन्द्र, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो <u>धार्मिक एवं सामुदायिक सेवाएँ</u> • पूजा स्थल, 100 वर्ग मी. से अधिक न हो • समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक संस्थान, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो • सामूदायिक सभागार, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो <u>अन्य</u> • सार्वजनिक सुविधाएं • धोबीघाट • घरेलू गैस सिलिंडर, 300 वर्ग मी. से अधिक न हो	<u>सरकारी कार्यालय</u> • सरकारी विभाग के कार्यालय, 600 वर्ग मी. तक <u>शैक्षिक संस्थान</u> • माध्यमिक, उच्च एंव उच्चर माध्यमिक विद्यालय • तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान <u>स्वास्थ्य सुविधाए</u> • रोग विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला, फिसियोथेरेपी केन्द्र तथा रोग निदान केन्द्र • सामान्य अस्पताल, विशेषज्ञता अस्पताल–तल क्षेत्र के प्रतिबंध के बिना। <u>धार्मिक एवं सामुदायिक सेवाएँ</u> • पूजा स्थल, 200 वर्ग मी. से अधिक न हो • समाज, कल्याण एवं सांस्कृतिक संस्थान/संग्रहालय 600 वर्ग मी. से अधिक न हो • सामूदायिक सभागार, 600 वर्ग मी. से अधिक न हो <u>अन्य</u> • जल एवं मल शोधन संयंत्र, जमीन क्षेत्र में 0.25 हैक्टेयर से अधिक न हो	• जलापूर्ति, सीवेज, बरसाती पानी के नाले, ठोस अपशिष्ट निपटान, प्रणाली, बिजली, दूर संचार इत्यादि जैसे भौतिक अवसंरचना के धारण के लिए विचार किए गए सभी भूमियों को सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया है । • शमशान घाट, शवदाह गृह इत्यादि जैसे सामाजिक अवसरंचना के धारण के लिए विचार किए गए सभी भूमियॉ । •

नोट : 1) अनुबंधित क्षेत्र से अधिक के वर्ग क के अंतर्गत क्रियाकलापों को वर्ग ख के अन्तर्गत विचार किया जाएगा ।
2) अनुबंधित क्षेत्र से अधिक के वर्ग ख के अंतर्गत क्रियाकलापों को वर्ग ग के अन्तर्गत विचार किया जाएगा ।
3) वर्ग ग के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप बिना तल क्षेत्र के प्रतिबंध के है तथा समय–समय पर मामले दर मामले के आधार पर न.ग्रा.नि.वि द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर होगा।
4) वर्ग क, ख और ग के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप तालिका 4.3.2 में उल्लेख अनुसार लागू नियोजन मानकों पर आधारित है ।

rkfydk l-4-2-3 ¼M-½ ifjogu ,o lapkj {k= d vUrxZr vuqeR; mi;ksx ,o fØ;kdyki

परिवहन एवं संचार से संबंधित सभी प्रकार के विकासों को परिवहन एवं संचार क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है और इसे निम्नप्रकार वर्गीकृत किया गया है : सभी प्रकार के सड़कों और गलियों को इस क्षेत्र में शामिल किया गया है ।		
oxZ d	oxZ [k	oxZ x
• बस खड़ा करने का स्थान, ऑटो/टैक्सी स्टैंड, बस अड्डा, सूचना बूथ • संचार मीनार, बुकिंग कार्यालय • ईंधन भरने का केन्द्र, मरम्मत केन्द्र, 5 एच.पी से अधिक संस्थापित न हो • पार्किंग लॉट	• ईंधन भरने का केन्द्र 30 एच.पी.से अधिक संस्थापित न हो । • मोटर गैराज एवं कार्यशाला 100 वर्ग मी. तल क्षेत्र से अधिक न हो • बस अड्डा/डिपो • बोट घाट • दूरभाष केन्द्र भवन	• ईंधन भरने का केन्द्र एच.पी.पर बिना प्रतिबंध के • मोटर गैराज एवं कार्यशाला • परिवहन कार्यालय • माल टर्मिनल • भारी सामान घर गोदाम, माल पारगमन यार्ड • लदने और उतारने का प्लेट फार्म, भार मापने का ब्रिज • हैलीपेड
नोटः 1. वर्ग क, ख और ग के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप वर्ग ख के अंतर्गत मोटर गैराज एवं कार्यशाला को छोड़कर तलक्षेत्र के बिना प्रतिबंध है । 2. वर्ग क, ख और ग के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप तालिका 4.3.2 में उल्लेख अनुसार लागू नियोजन मानकों पर आधारित है ।		

rkfydk l-4-2-3 ¼p½ m|ku ,o [kyk LFkku {k= d vUrxZr vuqeR; mi;ksx ,o fØ;kdyki

किसी भी विशेष आरक्षण के अन्तर्गत न आने वाले तथा पदनामित उपयोगों के अनुषंगिक भवन क्रियाकलापों सहित क्रियाशील और प्रतिक्रियाशील मनोरंजन हेतु विचार किए गए सभी भूमि इस क्षेत्र के अन्तर्गत आती है ।			
oxZ d	oxZ [k	oxZ x	oxZ ?k
• मोहल्ला उद्यान • क्रीड़ागन • पौधशाला • तरणताल • पादप गृह • जड़ी–बूटीशाला	• खेलकूद क्लब • खेलकूद स्टेडियम (इनडोर एवं आऊटडोर) • मनोरंजनात्मक परिसर • खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र • समाजिक एवं मंनोरजनात्मक क्लब • खुली स्थान में थियेटर • पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट	• प्रदर्शनी मैदान • त्यौहार मैदान • मेला मैदान • सर्कस मैदान • कैंपिग मैदान • मनोरंजन एवं मनोविनोद उद्यान • जल/साहसिक खेलकूद • एकत्र होने का स्थान (मैदान)	• वाटर फ्रंट का विकास • चिड़ियाखाना • वनस्पति उद्यान • पक्षी विहार
नोट : 1) वर्ग क, ख, ग और घ के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप बिना भूमि क्षेत्र के प्रतिबंध के है तथा क्रियाकलापों का निर्माण की अनुमति न.ग्रा.नि.वि की विशेष मंजूरी पर निर्भर होगा । 2) वर्ग–क के अंतर्गत वर्गीकृत आवासीय क्रियाकलाप, वर्ग–क एवं वर्ग ख के अंतर्गत वर्गीकृत वाणिज्यिक क्रियाकलाप, वर्ग–क के अंतर्गत वर्गीकृत सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक क्रियाकलाप, वर्ग–क के अंतर्गत वर्गीकृत परिवहन एवं संचार क्रियाकलाप को विशेष स्वीकृति से अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि निर्माण के लिए उपयोग मे लाई गई सामग्रियॉ पर्यवरण अनुकुल हो । 3) 100 वर्ग मी. या उससे कम तल क्षेत्र के पॉल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, कृषि आधारित कुटीर उद्योग को विशेष स्वीकृति से अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि निर्माण के लिए उपयोग मे लाई गई सामग्रियॉ पर्यवरण अनुकुल हो । 4) वर्ग क, ख, ग और घ के अन्तर्गत अनुमत्य सभी क्रियाकलाप तालिका 4.3.2 में उल्लेख अनुसार लागू नियोजन मानकों पर आधारित है । 5) विशेष अनुमति प्रधान करने के लिए प्राधिकरण अतिरिक्त शर्तें लगा सकती है ।			

rkfydk l-4-2-3 ¼N½ df"k {k= d vUrxZr vuqeR; mi;kx ,o fØ;kdyki

कृषि, बागवानी तथा कृषि क्षेत्र में पशुपालन क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित, आरक्षित किए जाने वाले सभी भूमि इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते है । कृषि क्रियाकलापों तथा जो पर्यटकों की आवश्यकता की पूर्ति करते है, जो कृषि क्रियाकलापों को देखने और उसमें शामिल होने में रूचि रखते है से इतर कोई भी निर्माण क्रियाकलाप इस क्षेत्र में सामान्यतः अनुमत्य नहीं है ।
d½ आवासीय विकास, (इस शर्त पर कि इस प्रकार का विकास अधिकतम 3 आवास ईकाई तक सीमित हो, प्रत्येक 100 वर्ग मी. के तल क्षेत्र से अधिक न हो) पशुपालन क्रियाकलाप, बीज/खाद डिपो, कृषि क्रियाकलापों के आनुषंगिक क्रियाकलाप, बशर्ते कि इस प्रकार के सभी क्रियाकलापों की कुल तल क्षेत्र, कुल भूमि क्षेत्र का 10% से अधिक न हो । [k½ निर्माण क्रियाकलाप, जो पर्यटकों के लिए पर्यवरण अनुकूल कुटिया/विश्राम कक्ष, प्रत्येक 40 वर्ग मी. के तल क्षेत्र से अधिक नहीं हो तथा खाद्य बाजार अनुभाग सं. 4.5.5 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार हो बशर्ते कि इस प्रकार की सभी क्रियाकलापों की कुल तल क्षेत्र, कुल भूमि सीमा की एक तिहाई में फैले कुल प्लॉट क्षेत्र के 10% से अधिक न हो । लेकिन प्लॉट की शेष दो तिहाई सीमा कृषि के अंतर्गत रहेगी । x½ निर्माण क्रियाकलाप जो कुक्कुट/दुग्ध उत्पाद कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग, भूमि क्षेत्र के 20% से अधिक न हो ।
ukV % i) उपरोल्लिखित क्रियाकलाप संयोजन में अनुमत्य है, बशर्ते कि इस प्रकार के सभी क्रियाकलापों के तल क्षेत्र कुल प्लॉट क्षेत्र के 20% से अधिक न हो तथा प्रत्येक मामले के अंतर्गत अनुबंधित शर्तों की पूर्ति करता हो। ii) सभी कियाकलाप केवल भू–स्तर या स्टिल्ट + 1 तल स्तर तक अनुमत्य है तथा अनुभाग 4.3.1 में उल्लेख अनुसार सेटबेक अपेक्षाओं तथा तालिका 4.3.2 में उल्लिखितत अनुसार नियोजन मानक को पूरा करने की आशा रखता हो। iii) अधिकतम 1 मी की स्टिल्ट ऊँचाई अनुमत्य है। iv) सभी क्रियाकलाप न.ग्रा.नि.वि. की विशेष स्वीकृति से अनुमत्य है। v) उप विभाजित भूमि, जो भूमि का निर्दिष्ट भाग था, जिस पर निर्माण हेतु नियोजन अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है, पर निर्माण की अनुमति नही है।

rkfydk l-4-2-3 ¼t½ fo'k"k vkj{k.k d vUrxZr Hkfe d çdkj

सतत विकास के लिए सुरक्षित, संरक्षित एवं आरक्षित किए जाने वाले सभी भूमि इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते है । इस क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि उपयोग श्रेणियॉ निम्न प्रकार है
d½ ouHkfe % सामान्यतः आरक्षित वनों के अधीन वे सभी भूमि शामिल है जो भारतीय वन अधिनियम तथा राजस्व विभाग और राजस्व भूमियों के वनों सहित अन्य वनों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । वनभूमि में पेड़ों को काटना तथा किसी भी प्रकार की निर्माण क्रियाकलाप पूर्णतः निषिध है । [k½ eSxzko % सामान्यतः वे पेड़ एवं झाड़ियॉ शामिल है, जो उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में खारे पानी के तटीय क्षेत्र में पाए जाते है । इस शब्द का व्यापक रूप में अर्थ लगाया जाता है । यह झुण्ड में भी होता है और अलग–अलग भी । इसे मैंग्रोव दलदल तथा मैंग्रोव वन भी कहते है । x½ ty jkf'k % इसका तात्पर्य विद्यमान सभी जलराशि, अप्रवाही जल, नदी का मुहाना, नदी, नाला, झील, तालाब तथा टंकी से है । जल राशियों की सीमाओं का संबंध अधिकतम बाढ़ स्तर से है । जलराशि क्षेत्र में जल फैलाव में कोई निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है तथा सीमा से 30 मी. की प्रतिरोधक क्षेत्र को छोड़ना होगा । मछली पकड़ना, नौका चालन तथा मौज–मस्ती केवल किनारे के साथ –साथ करने की अनुमति है । जल राशि के चारों ओर केवल नौका चालन के लिए खुली घाट, मछली पकड़ने का प्लेटफार्म तथा वर्षा से बचने हेतु छत एवं स्नैकबार के निर्माण की ही अनुमति है और वह भी 10 वर्ग मी. से अधिक न हो तथा जल राशि के चारों ओर संख्या में 4 से अधिक भी न हो । ?k½ i;koj.k vuqdwy xfy;kjk % सामान्यतः पर्यवरण अनुकूल गलियारे के रूप में विकास योजना/विनियम में प्रस्तावित सड़कों के दोनों ओर 3 मी. अन्दर तक सभी भूमियॉ शामिल है । किराएदार पर्यावरण अनुकूल गलियारे में वनस्पति फैलाव को हरा–भरा बफर के रूप में विकसित करेगा । हरा–भरा बफर क्षेत्र बनाने के पीछे का उद्देश्य विकास क्षेत्र की परिस्थिति की विशेषता और व्याप्त बहुमूल्य जैव–विविधता का संरक्षण करना है, जिसका स्थाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर सकते है । 3 मी. का बफर क्षेत्र का प्रस्ताव इसलिए भी किया गया है ताकि भविष्य में होने वाले विकास क्रियाकलापों के प्रभाव को कम किया जा सके । यद्यपि हरे–भरे बफर क्षेत्र में सामान्यतः क्रियाकलाप की अनुमति नहीं है तथापि हरा–भरा बफर क्षेत्र से होकर पर्यवरण अनुकूल गलियारे से लगी संपत्तियों के लिए पहुॅच मार्ग अनुमत्य है, जिसमें 20 मी. तक के सामने का हिस्सा वाले प्लॉटों के लिए 4 मी. चौड़ी गली हो, 20 मी. से अधिक तथा 40 मी. तक सामने का हिस्सा वाले प्लॉटों के लिए 7 मी. की गली हो तथा 40 मी. से अधिक सामने का हिस्सा वाले प्लॉटों के लिए 10 मी. की गली हो ।
ukV % हॉलाकि विशेष आरक्षण क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत भूमियों को सुरक्षित और परिरक्षित करना है, उपयोग के आनुषंगिक को छोड़कर कोई भी निर्माण क्रियाकलाप अनुमत्य नहीं है । उपयोग के आनुषंगिक क्रियाकलाप भी न.ग्रा.वि की विशेष मंजूरी भी निर्भर करता है । पर्यवरण एवं वन विभाग, अ तथा नि प्रशासन, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार आरक्षित वनों के विकास और प्रबंधन के लिए संक्षम अभिकरण होगी ।

4-2-4 e[; Hkkfe mi;kx {k= fofu;e

सामान्यता अनुमत्य तथा न.ग्रा.नि.वि की विशेष स्वीकृति सहित एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों के विभिन्न वर्गीकरण में निषिद्ध 'उपयोग एवं क्रियाकलापों' को तालिका 4.2.4 में प्रत्येक क्षेत्रों के सामने प्रस्तुत किया गया है ।

rkfydk 4-2-4 fofHkUu Hkkfe mi;kx {k=ksa esa vuqeR; ,oa fuf"k) mi;kx rFkk fØ;kdykiksa dk

Hkkfe mi;kx {k=	lkekU; r% vuqeR; mi;kx						fo'ks"k e;tjh lfgr vuqefr nh xbZ mi;kx						ifrcf/kr mi;kx					
	vk	ok	l-v-l-	i-l	m-[k-LFkk	vkS	vk	ok	l-v-l-	i-l	m-[k-LFkk	vkS	vk	ok	l-v-l-	i-l	m-[k-LFkk	vkS
आवासीय	क	क	क	क	क	–	ख	ख	ख	ख	ख	क	–	ग	ग	ग	ग घ	ख
वाणिज्यिक	क	क ख	क	क	क ख	क	ख	ग	ख ग	ख ग	ग	ख	–	–	–	–	घ	–
सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक	–	क	क ख	क	क	क	क ख	ख	ग	ख ग	ख ग घ	ख	–	ग	–	–	–	–
परिवहन एवं संचार	–	क	क	क ख	–	क	क	ख	ख	ग	क	ख	ख	ग	ग	–	ख ग घ	–
उद्यान एवं खुला स्थान	–	–	–	–	क	–	क	क ख	क	क	ख ग घ	–	ख	ग	ख ग	ख ग	–	क ख
कृषि	अनुमत्य उपयोगों और क्रियाकलापों के लिए तालिका सं 4.2.3(छ) देखे																	
विशेष आरक्षण	अनुमत्य उपयोगों और क्रियाकलापों के लिए तालिका सं 4.2.3(ज) देखे																	

vk–आवासीय, ok–वाणिज्यिक, l-v-l.–सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक, i-l–परिवहन एवं संचार, m-[k- LFkk–उद्यान एवं खुला स्थान, vkS–औद्योगिक

नोट : न. ग्रा.नि.वि द्वारा विशेष मंजूरी सहित अनुमति दी गई उपयोग, मामले–दर–मामले में न.ग्रा.नि.वि द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों पर निर्भर होगा ।

4-3 fuekZ.k fØ;kdykiksa d fy, fu;ked ekud

विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों में सभी निर्माण क्रियाकलापों के लिए नीचे निर्धारित नियोजन मानक, हैवलॉक और नील द्वीपों के सभी राजस्व गॉवों के लिए लागू होगी ।

इस नियोजन मानक का उद्देश्य विकास क्षेत्र में विद्यमान नाजुक परिस्थितिकी पर बिना प्रभाव डाले व्यवस्थित और स्थाई विकास सुनिश्चित करना है । निर्धारित मानक, मास्टर प्लान में विचार किए गए विकास प्रस्तावों की भावना को प्रतिबिंबित करता है ।

निर्माण क्रियाकलापों के लिए विनिर्दिष्ट नियोजन मानकों को दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया है; पहले वर्ग में मानक समाविष्ट है, जो सभी भूमि उपयोगों के लिए सामान्य है तथा दूसरें में वह समाविष्ट है जो विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों के लिए भिन्न है । ये दो मानक वर्ग क्रमशः अनुभाग 4.3.1 और 4.3.2 में उपलब्ध है ।

4-3-1 lHkh Hkfe mi;ksx {ks=ksa d fy, leku fu;ekt u ekud

¼d½ lVcd vi{kk,a

सभी प्रकार के विकास के लिए सामने, पीछे एवं किनारे में सेटबेक स्थान अनिवार्य है । नीचे दिया गया सेटबेक अपेक्षाएँ प्लॉट के सामने, पीछे तथा दोनों स्थानों को नियंत्रित करता है ।

lkeus dk lVcd

सामने का सेटबेक प्लॉट से जुड़ी सड़क की चौड़ाई द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यूनतम अपेक्षित स्थान निम्न प्रकार होगा :

rkfydk d

lM+d l s lVs LFkku dh pkSMkbZ ¼vkj-vk-MCY;½	lkeus dk U;wure lVcd	Lkkeus d lVcd d Hkhrj vuqeR; ckgj dh vkj fudyk ckydkuh
7 मी. तक	1.5 मी.	–
7 मी. से अधिक	2.5 मी.	1.2 मी.

ukV : पर्यवरण अनुकूल गलियारे के मामले में, सेटबेक पर्यवरण अनुकूल गलियारे के आगे मापा जाएगा ।

ihNs dk lVcd

पीछे का सेटबेक प्लॉअ की पीछे की ओर लम्बाई द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यूनतम अपेक्षित स्थान निम्न प्रकार होगा :

rkfydk [k

lykV dh vklr xgjkbZ	ihNs dk U;wure lVcd	ihNs d lVcd d Hkhrj vuqeR; ckydkuh i{kk.k
20 मी. तक	2.0 मी.	1.0 मी.
20 मी. से अधिक तथा 30 मी. तक	4.0 मी.	1.2 मी.
30 मी. से अधिक	6.0 मी.	1.2 मी.

fdukjs dk lVcd %

ऐसे भवनों के दोनों ओर उपलब्ध कराई जाने वाली किनारा सेटबेक प्लॉट की चौड़ाई द्वारा नियंत्रित होती है, जो एक तल का है तथा भवनों या मकानों या आवासों की प्रस्तावित भवन ऊँचाई असंबद्ध भवनों के लिए ऊँचाई में एक तल से अधिक है । अर्ध असंबद्ध भवन के लिए केवल एक ही ओर किनारा सेटबेक अनिवार्य है । न्यूनतम अपेक्षित स्थान निम्न प्रकार होगा ।

rkfydk x

ryk dh l[;k	lykV dh vklr pkSMkbZ	vif{kr fdukjs dk lVcd@fdukjs d lVcd d Hkhrj ckydkuh i{kk.k vuqefr¼eh- e½		
		vlc) Hkou d fy,		v/k&vlc) Hkou d fy,
		,d fdukjs ij	nlj fdukjs ij	fdlh Hkh ,d fdukjs ij
dsoy Hkkry	10 मी. तक	1.0/0.0	1.0/0.0	2.0/1.0
	10 मी. से अधिक तथा 15 मी. तक	1.5/0.0	1.5/0.0	3.0/1.2
	15 मी. से अधिक	2.0/1.0	2.0/1.0	4.0/1.2
fLVYV +1 ry	10 मी. तक	1.5/1.0	1.5/0.0	3.0/1.2
	10 मी. से अधिक तथा 15 मी. तक	2.0/1.0	2.0/1.0	4.0/1.2
	15 मी. से अधिक	2.25/1.2	2.25/1.2	4.5/1.2
Hkry + 1 ;k fLVYV + 2 ry	10 मी. तक	1.5/0.00	1.5/0.0	लागू नहीं है ।
	10 मी. से अधिक तथा 15 मी. तक	2.0/1.0	2.0/1.0	
	15 मी. से अधिक	2.25/1.2	2.25/1.2	

ukV %

I) सभी सेटबेक स्थानों में बिना सहारा के सनशेड, अलमिरा तथा अन्तःनिर्मित अलमिरा 0.6 मी. गहराई तक अनुमत्य है ।

II) खुला एक जीना/दो जीना या सर्पिल सीढ़ी सामने और पीछे सेटबेक में अनुमत्य है, बशर्ते कि इस प्रकार की सीढ़ी सामने की सीमा से 0.5 मी. या पीछे की सीमा से 1.0 मी. के भीतर न आता है ।

[k½ ikfdax ekud ,oa ekun.M

दो पहिया, चार पहिया तथा भारी वाहन, जैसी स्थिति हो, की पार्किंग कुल तल क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होगी तथा जहॉ कहीं आवश्यक हो, निम्न विवरण अनुसार अधिभोक्ताओं तथा परिसरों का दौरा करने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए न.ग्रा.नि.वि की संतुष्टि से मानकों के अनुसार स्थल के भीतर उसे उपलब्ध कराया जाएगा ।

rkfydk l- 4-3-1 lHkh Hkkfe mi;ksx {k=ksa esa mi;ksx ds fofHkUu izdkjksa ds fy, ikfdax ekud

Ø-l-	mi;ksx dk izdkj	Ekkud
1.	vkoklh;	
	तलक्षेत्र सहित आवास ईकाईयों के लिए 50 वर्ग.मी. तक	प्रत्येक आवास ईकाई के लिए 1 दुपहिया का स्थान
	50 वर्ग मी. और 75 वर्ग मी. तक के माप वाले आवास ईकाईयों के लिए	प्रत्येक आवास ईकाई के लिए 2 दुपहिया का स्थान
	75 वर्ग मी. से अधिक तथा 150 वर्ग मी. तक के माप के आवास ईकाईयों के लिए	प्रत्येक आवास ईकाई के लिए 1 कार एवं 1 दुपहिया का स्थान
	150 वर्ग मी. से अधिक के माप के आवास ईकाईयों के लिए	प्रत्येक 150 वर्ग मी. या उसके भाग के लिए 1 कार पार्किंग का स्थान तथा प्रत्येक आवास ईकाई के लिए 1 दुपहिया का स्थान
	नोट : अपार्टमेंट और समूह आवास के लिए, उपरोक्त उल्लिखित पार्किंग स्थानों के अतिरिक्त आगन्तुकों के पार्किंग के लिए 10% अतिरिक्त पार्किंग का आरक्षण होगा ।	
2.	[knjk 0;kikj (दुकान; दुकान संकुल, विभागीय भंडार इत्यादि)	
	50 वर्ग.मी.तक	2 दुपहिया का स्थान
	50 वर्ग.मी. से अधिक	प्रत्येक 100 वर्ग.मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान तथा प्रत्येक 50 वर्ग.मी या उसके भाग के लिए 2 दुपहिया का स्थान
3.	dk;kZy; (सरकारी)	
	200 वर्ग.मी. तक	4 दुपहिया का स्थान
	200 वर्ग.मी. से अधिक	प्रत्येक 200 वर्ग.मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान तथा प्रत्येक 50 वर्ग.मी या उसके भाग के लिए 1 दुपहिया का स्थान
	vU; dk;kZy; (बैंक सहित)	
	500 वर्ग.मी.तक	प्रत्येक 100 वर्ग.मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान एवं प्रत्येक 50 वर्ग.मी या उसके भाग के लिए 1 दुपहिया का स्थान
	500 वर्ग.मी. से अधिक	प्रत्येक 150 वर्ग.मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान एवं प्रत्येक 50 वर्ग.मी या उसके भाग के लिए 1 दुपहिया का स्थान
4.	jLrjk	प्रत्येक 100 वर्ग.मी. तल क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान (कम से कम 2 कार पार्किंग स्थान सहित)
5.	ykt LFkkiuk] gkVy] i;Vd xg rFkk fjlkVZ	प्रत्येक 10 अतिथि कमरों के लिए 1 कार का स्थान तथा गैर कमरा क्षेत्र के लिए प्रत्येक 200 वर्ग मी तल क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान ।

6.	fl rkjk gkVy	प्रत्येक 5 अतिथि कमरों के लिए 1 कार का स्थान तथा गैर कमरा क्षेत्र के लिए 200 वर्ग मी. तल क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान ।
7.	jxep]n'kdnh?kk] vk;kt u ¼lxhr vkfn½ gky] lkeqnkf;d lHkkxkj] fookg gky	प्रत्येक 100 वर्ग मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान, न्यूनतम 5 कारों के लिए पार्किंग स्थान पर आधारित ।
8.	vLirky rFkk ufl"kx gke	
	नर्सिंग होम	200 वर्ग मी. तल क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान
	अस्पताल	
	2000 वर्ग.मी. तक	प्रत्येक 300 वर्ग.मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान ।
	2000 वर्ग. मी. से अधिक	प्रत्येक 400 वर्ग मी. या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान ।
9.	LokLF; Dyc] LokLF; Lik] fQVul dUnz] eukjatu Dyc	न्यूनतम 2 कार का स्थान सहित प्रत्येक 200 वर्ग मी. क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान ।
10.	vkS|kfxd fØ;kdyki	
	कुटीर उद्योग एवं मरम्मत केन्द्र	प्रत्येक 50 वर्ग.मी. क्षेत्र के लिए 1 दुपहिया का स्थान
	हल्के उद्योग के लिए	प्रत्येक 300 वर्ग.मी. क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान तथा 50 वर्ग.मी. क्षेत्र के लिए 1 दुपहिया का स्थान
11.	xkneke]Fkksd ,oa Hkkjh eky xkneke Hkou	प्रत्येक 1000 वर्ग मी. भण्डारन स्थान या उसके भाग के लिए 1 लॉरी का स्थान
12.	/kkfeZd Hkou	प्रत्येक 200 वर्ग मी. तल क्षेत्र या उसके भाग के लिए 1 कार का स्थान

नोट :

i) विभिन्न वाहनों के लिए पार्किंग स्टॉल का आयाम कारों के लिए 2.5 मी. X 5 मी. दुपहिया के लिए 1.2 मी. X 1.8मी. तथा लॉरियों के लिए 10 मी. X 3.5 मी.

ii) समूह विकास और अपार्टमेंट के लिए आवश्यक कार/दुपहिया पार्किंग स्थान का 10% शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश के पास आरक्षित रखना होगा लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वहॉ पर कम से कम 1 कार तथा 2 दुपहिया का स्थान हो ।

iii) ड्राईव करने के रास्ते की चौड़ाई एक ओर के संचलन के लिए 3.5 मी. तथा दोनों ओर के संचलन के लिए 6मी. होगी । प्रवेश एवं निकास द्वारों की चौड़ाई कम से कम 3.5 मी. होगी ।

iv) ड्राईव रास्ते एवं रैम्पों में कारों के लिए न्यूनतम आंतरिक मोड़ का अर्धव्यास 3.5 मी. होगा । ट्रकों और लॉरियों के लिए आंतरिक मोड़ का अर्धव्यास 7 मी. से कम नहीं होगा ।

v) रैम्पों में ढलान या चढ़ाई 1:8 से अधिक नहीं होगी तथा पार्किंग स्थानों की ढलान किसी भी दिशा में 4% से अधिक नहीं होगी ।

vi) वाहन के पार्किंग हेतु उपलब्ध स्टिल्टतल की अधिकतम ऊँचाई छत स्लैब के नीचे के तल स्तर के माप से 2.7 मी. से अधिक नहीं होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऊपरी तल क्षेत्र से ऊपरी धरण के नीचे तक

अधिकतम 2.4 मी. उपलब्ध कराया गया हो । स्टिल्ट तल में उपलब्ध पार्किंग स्थान को तल क्षेत्र अनुपात की गणना से छूट दी गई है ।

vii) पार्किंग लॉटों में मध्यविधि की चौड़ाई निम्न विवरणानुसार होगा :

fooj.k	lekukrj ikfdx	dk.kh; ikfdx 60 rd	60 l vf/kd dk.k rFkk ycor ikfdx
दुपहिया	2.5 मी.	2.5 मी.	2.5 मी.
चार पहियॉ	3.5 मी.	3.5 मी.	6.0 मी.
ट्रक एवं लॉरी	7.0 मी.	3.5 मी.	10.0 मी.

x½ o{kkjki.k

शहरी विकास के कारण हरियाली क्षेत्र में हुई हानि की क्षतिपूर्ण के लिए वृक्षारोपण हेतु मानदण्ड निर्धारित किए गए है, जो नियोजन अनुमति प्राप्त करने की पूर्वापेक्षा है । स्थानीय निकाय/न.ग्रा.नि.वि जिसके पास क्षेत्राधिकार है, इस शर्तों के आधार पर भवन निर्माण की अनुमति देगा कि मालिक द्वारा निर्धारित जाति की निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण किया गया है । परिसर या मकान मालिक वृक्षों की देखरेख करेगा तथा वे संबंधित अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना वृक्षों को नहीं काटेंगे । वृक्षारोपण के लिए निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार होगा :

vkoklh; Hkfe mi;ksx		0kf.kT;d Hkfe mi;ksx		lkoZtfud ,oa v/kZ lkoZtfud Hkfe mi;ksx	
कुरसी क्षेत्र (वर्ग.मी.)	रोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या	कुरसी क्षेत्र (वर्ग.मी.)	रोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या	कुरसी क्षेत्र (वर्ग.मी.)	रोपण किए जाने वाले वृक्षों की संख्या
50 से कम	शून्य	100 से कम	शून्य	200 से कम	2
51–100	1	101–200	1	201–500	4
101–200	2	201–300	2	501–1000	6
201–300	3	301–500	3	1000 से अधिक	
300 से अधिक	प्रत्येक 200 वर्ग मी. की वृद्धि के लिए 3+1	500 से अधिक	प्रत्येक 300 वर्ग मी. की वृद्धि के लिए 3+1		प्रत्येक 200 वर्ग मी. की वृद्धि के लिए 6+1

नोट : वृक्षों के प्रकार, भवन से वृक्षों/पौधों की दूरी तथा वृक्षों के बीच की दूरी भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा तथा सौंदर्यविषयक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक लगाया जाएगा।

?k½ o"kkZty lj{k.k

मालिक द्वारा प्रत्येक परिसर के भीतर वर्षाजल संरक्षण द्वारा न.ग्रा.नि.वि के नियमानुसार अधिकतम संभव सीमा तक पुनःचक्रित जल के उपयोग तथा वर्षा जल संचय उपायों द्वारा वर्षाजल संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करना होगा । छतों एवं टेरेस से वर्षाजल संग्रह तथा उसे भण्डारन टंकी या रिचार्ज कुएँ में छोड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा आग्रह किया जा सकता है । राष्ट्रीय भवन कोड, 2005 (भाग 9 अनुभाग 1, पैरा 5.2.12) के अनुसार वर्षाजल संरक्षण सरंचना मालिक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा रखरखाव की जाएगी ।

M½ mtk dk vko}u

भवनों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए आनुषंगिक सौर्य/पवन या गैर–पारंपरिक उर्जा प्रणाली के किसी भी प्रकार उपलब्ध करानी होगी तथा नियोजन अनुमति हेतु जमा किए गए नक्शों में इसे दर्शाना होगा । इस प्रकार की प्रणाली अनुमानित उर्जा की कम से कम 25% आवश्यक्ताओं को पूरा करने के योग्य होगी ।

fofHkUu Hkkfe mi;ksx {ks=ksa d vUrxZr fodkl d fy, ykxw		dqy ry {ks=
आवासीय	वर्ग ख	2000 वर्ग मी. से अधिक
वाणिज्यिक	वर्ग ग	750 वर्ग मी. से अधिक
सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक	वर्ग ख तथा वर्ग ग	1000 वर्ग मी. से अधिक
उद्यान एवं खुला स्थान	वर्ग ख तथा वर्ग ग (केवल मनोरंजन एवं मनोविनोद उद्यान)	1000 वर्ग मी. से अधिक

स्थानीय निकाय/न.ग्रा.नि.वि के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार सुरक्षित है कि उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का संस्थापन और रखरखाव प्राधिकरण की संतुष्टि से किया गया है।

p½ iou mtk

1000 वर्ग मी. तल क्षेत्र से अधिक वाले बड़े पैमाने के विकासों में जहां कहीं भी तकनीकी संभावना है, आवेदक द्वारा पवन उर्जा जैसे गैर पारंपरिक उर्जा स्त्रोतों की खोज कर सकता है। न.ग्रा.नि.वि इस प्रकार के विकासों के लिए 25 वर्ग मी. तक अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात के रूप में प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है। स्थानीय निकाय/ न.ग्रा.नि. वि के पास यह सुनिश्चित कराई गई सुविधाओं का संस्थापन और रखरखाव न.ग्रा.नि.वि की संतुष्टि से किया गया है।

N½ vif'k"V ic/ku

500 वर्ग मी. से अधिक तल क्षेत्र के सभी प्रकार की वाणिज्यिक विकासों, 1000 वर्ग मी. से अधिक तल क्षेत्र के पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्टों को उत्पन्न गंदे जल के पुनर्चक्रण एवं पुनर्उपयोग की व्यवस्था करनी होगी तथा उसे नियोजन अनुमति हेतु जमा किए गए नक्शों में दर्शाना होगा ।

इसी तरह 500 वर्ग मी. से अधिक तल क्षेत्र के पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्टों सहित किसी भी प्रकार की आवासीय सुविधाओं के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पर्यवरणीय स्थाई तरीकों की व्यवस्था करनी होगी तथा इसका नक्शा, नियोजन अनुमति की मॉग करते समय जमा करना होगा ।

t½ leg fodkl d fy, fo'k"k fu;e

i) समूह विकास की अनुमति दी जाएगी, केवल यदि प्रस्तावित विकास में संपर्क के रूप में सेवा प्रदान करने वाली सड़क 6 मी. कम न हों।

ii) भवन विकास के लिए, जिसमें एक से अधिक भवन खण्ड शामिल है, बालकोनी/सनशेड छतरी सहित किसी भी दो खण्डों के बीच की स्पष्ट दूरी अधिकतक 2.5 मी. होगी।

iii) दो भवनों के मध्य गलियारा संयोजन इत्यादि जैसे किसी भी अन्तः संयोजन, एक खण्ड के अंदर कोई भी दो भवन के रूप में निर्मित नही होगा। लेकिन यदि ये खण्ड संयोजन स्थान पर किसी भी एक खण्ड की कम से कम एक तिहाई चौडाई के लिए मजबूती से जुडा हो, तो इस प्रकार के खण्डों को एकल खण्ड के रूप में माना जाएगा।

iv) गली सहित आंतरिक वाहन आवाजाही पहुंच मार्ग की चौडाई कम से कम 6 मी. होगी। इस प्रकार की वाहन आवाजाही पहुंच कार्य स्थल पर 50 मी. की दूरी के अंदर प्रत्येक भवन खण्ड के लिए उपलब्ध होगी।

I) i;oj.k vuqdy fjlkVk@dVhj ,o foJke d{kk d fuekZ.k d fy, fn'kk&funsZ'k

कृषि क्षेत्र में पर्यवरण अनुकूल कुटिरों एवं विश्राम कक्षों तथा अन्य भूमि उपयोग क्षेत्रों, जहां यह अनुमति है में पर्यवरण अनुकूल रिसॉटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश लागू होंगे :–

d- df"k {k= e i;oj.k vuqdy fjlkVk d fy, fn'kk&funsZ'k

1. केवल भूतल तक प्रतिबंधित । अधिकतम अनुमत्य स्टिल्ट की ऊँचाई 1 मी. है ।
2. आवरण तलक्षेत्र अनुपात तथा ऊंचाई तालिका सं. 4.3.2 के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुसरण होगा।
3. कॉटेज/विश्राम गृह की एकल इकाई की अधिकतम तल क्षेत्र 40 वर्ग मी. से अधिक नही होगी ।
4. जोड़े जाने वाली ईकाइयों की अधिकतम संख्या 2 तक प्रतिबंधित है तथा कुल तल क्षेत्र 100 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगी ।
5. सीमेंट कंकरीट का उपयोग केवल उप–संरचना (कुरसी स्तर) के स्तर तक प्रतिबंधित है।
6. खम्भे, धरण तथा छत सहित सुपर संरचना के लिए सीमेट कंकरीट, छिद्र खण्ड/सींमेट मसाला सहित ईंट जोड़ने के कार्य के अलावा कोई भी नवीकरणीय तथा पुनर्उपयोग योग्य सामग्रियॉ अनुमत्य है । लेकिन स्नानघर/ शौचालयों में सर्विस/नल संबंधी लाइनों, जो दो ओर की दीवारों से अधिक न हो, को लगाने के कार्य को आसान बनाने के लिए, पारंपरिक सामग्रियों जैसे छिद्र खण्ड/ईंट इत्यादि के साथ निर्माण की अनुमति है। इस मामले में प्र.सी.क. छत निर्माण की अनुमति है ।
7. सभी विकासों के लिए केवल ढालू छत की अनुमति है ।
8. सींमेंट कंकरीट का प्रयोग रसोईघर,भोजनकक्ष तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए सुपर संरचना में अनुमत्य होगी तथा पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट में कुल अनुमत्य तल क्षेत्र के 10% में प्रतिबंधित होगा ।
9. भवन का निर्माण यदि स्टिल्टों में होता है, तो सीमेंट कंकरीट के अतिरिक्त पर्यवरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल फर्शो में होगा । लेकिन स्नानघर/शौचालय के लिए इसमें छूट होगी ।

[k- vU; Hkfe mi;ksx {k=ksa e i;oj.k vuqdy fjlkV tgka vuqeR; g%

1. केवल भूतल +1 तल तक प्रतिबंधित । अधिकतम अनुमत्य स्टिल्ट ऊँचाई जमीन स्तर से ऊपर 1 मी. है ।
2. आवरण, तलक्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई तालिका सं. 4.3.2 के अन्तर्गत समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुसरण होगा ।
3. रिसॉर्ट/ कुटिया की एकल ईकाई की अधिकतम तल क्षेत्र 50 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगी।
4. प्रत्येक तल क्षेत्र में एक साथ जोड़े जाने वाले ईकाइयों की अधिकतम संख्या 3 तक प्रतिबंधित है तथा कुल तल क्षेत्र 170 वर्ग मी. से अधिक नहीं होगी ।
5. सीमेंट कंकरीट का इस्तेमाल एक मंजिला भवन के लिए उप–संरचना तक सीमित है । लेकिन स्नानघर/शौचालयों में सर्विस/नल संबंधी लाइनों, जो दो ओर की दीवारों से अधिक न हो, को लगाने के कार्य को आसान बनाने के लिए, पारंपरिक सामग्रियों जैसे छिद्र खण्ड/ईंट इत्यादि के साथ निर्माण की अनुमति है इस मामले में प्र.सी.क. छत निर्माण की अनुमति है ।

6. भूतल +1 संरचना के मामले में सीमेंट कंकरीट का इस्तेमाल भूतल स्तर तक केवल खम्भे और धरण के लिए अनुमत्य है और छत के लिए केवल नवीकरणीय तथा पुनर्उपयोग योग्य सामग्रियॉ (सीमेंट कंकरीट को छोड़कर) अनुमत्य है । लेकिन प्रथम तल में स्नानघर /शौचालयों में सीमेंट कंकरीट फर्शीकरण एवं छतीकरण की जा सकती है ।
7. प्रथम तल स्तर पर सभी संरचना सीमेंट कंकरीट को छोड़कर केवल नवीकरणीय एवं पुनर्उपयोग योग्य सामग्रियों की होगी ।
8. भवन का निर्माण यदि स्टिल्टों में होता है, तो सीमेंट कंकरीट को छोडकर पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल फर्श के लिए होगा ।
9. सभी विकासों के लिए केवल ढालू छत की अनुमति है ।
10. सीमेंट कंकरीट का प्रयोग रसोईघर, गंदाजल पुनर्चक्रण संयत्र एवं वर्षाजल संचयन टंकी इत्यादि में अनुमत्य होगी तथा पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्ट में कुल अनुमत्य तल क्षेत्र के 10% तक सीमित होगा ।

4-3-2 fofHkUu Hkkfe mi;ksx {ks=ksa d fy, fu;ksftu ekud

नियोजन मानक, जो प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्र के लिए अलग है, को निम्नलिखित नियोजन मानदण्ड के अंतर्गत निर्धारित किया गया है :–

1) न्यूनतम प्लॉट आकार
2) न्यूनतम प्लॉट सम्मुख
3) न्यूनतम सड़क चौड़ाई
4) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात
5) अधिकतम प्लाट आवरण
6) अधिकतम ऊँचाई
7) अधिकतम तलों के संख्या

प्रत्येक भूमि उपयोग क्षेत्रों में लागू नियोजन मानकों को तालिकाबद्ध किया गया है तथा उसे तालिका 4.3.2 में उपलब्ध कराया गया है ।

rkfydk l 4-3-2 fofHkUu Hkfe mi;kx {k=k d fy, fu;kt u ekun.M

fu;kt u ekud	Hkfe mi;kx {k=					
	आ	वा	स.अ.सा	प.स	कृ	प.खु. स्था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अधिकतम प्लॉट आकार (वर्ग मी.)	100	200	300	1000	4000	300
अधिकतम प्लॉट सम्मुख (मी.)	8	12 (1000 वर्ग मी. तक के प्लॉट के लिए) 20 (1000 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉटों के लिए)		25	50	10
अधिकतम सड़क चौडाई (मी.)	6	1000 वर्ग मी. तक के प्लॉटों के लिए 7 मी. 1000 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉटों के लिए 10 मी.		10000 वर्ग मी. तक के प्लॉटों के लिए 7 मी. 10000 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉटों के लिए 10 मी.	7	7
अनुमत्य तल क्षेत्र अनुपात	125	125	100	100	10#	50
अधिकतम प्लॉट आवरण (%)	60	60	40	50	10#	25 (पर्यवरण अनुकूल रिसॉर्टो के लिए 33.33%
अधिकतम उचाई (मी.)	भूतल + 1 के लिए 7 मी. या स्टिल्ट + 2 तल के लिए 10 मी.	भूतल + 1 के लिए 8 मी. या स्टिल्ट + 2 तल के लिए			5	12
तलों की अधिकतम संख्या	भूतल + 1 या स्टिल्ट 2 तल				भूतल	भूतल + 1

vk& आवासीय ok – वाणिज्यिक, lk-v- lk. – सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, i- l- – परिवहन एवं संचार, उ.खु. स्था. उद्यान एवं खुला स्थान, d – कृषि

केवल पॉलट्री / दुग्ध कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों के लिए अधिकतम अनुमत्य तल अनुपात क्षेत्र एवं प्लॉट आवरण क्रमशः 20 एवं 20% है।
मुख्य भूमि उपयोग के आनुषंगिक निर्माण क्रियाकलापों के लिए मानदण्ड इस प्रकार के उपयोगों पर नियंत्रित होने वाले मानको / विनिर्दिष्टकरण के अनुसार होगा।

नोटः

i) न्यूनतम प्लॉट आकार, सड़क की चौड़ाई एवं सम्मुख नये उप–विभाजन / अभिन्यास के लिए लागू होगा ।

ii) आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग क्षेत्रों के अंतर्गत अनुमत्य क्रियाकलापों के लिए तल से तल की उँचाई क्रमशः 3 मी. और 3.2 मी. से कम नही होगी। भूतल के लिए उँचाई की माप कुरसीधरण के उपर से जमीन से

ठीक उपर समाप्त तल स्तर तक की जाएगी। विशेष प्रकार के तल के लिए उॅचाई की माप दो निकटतम तलो के बीच समाप्त तल स्तरों से की जाएगी।

iii) विशेष आरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत भूमियों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए प्रमुखता से नियोजित किया गया हैं। उपयोग के आनुषंगिक के अलावा कोई भी निर्माण कियाकलाप की अनुमति नही होगी, उपयोग के आनुषंगिक कियाकलाप भी न.ग्रा.नि.वि की मंजूरी पर निर्भर करेगा। आरक्षित वनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग, अ. तथा नि. प्रशासन, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार सक्षम अभिकरण होगा।

iv) विशेष मंजूरी सहित अनुमति वाले उपयोग के लिए जि.न.ग्र.नि.वि प्लॉट का आकार, उसका सम्मुख तथा स्थल से सटे सडक की चौडाई पर अतिरिक्त शर्ते निर्धारित कर सकता है। न.ग्र.नि.वि अवसंरचना को सुदृढ करने सहित पर्यावरणीय घटकों सहित पूरक शर्ते भी लगा सकती है।

4-4 vfHkU;kl ,oa mi& foHkkt u fofu;e

यह अभिन्यास और उप– विभाजन विनियम हैवलॉक और नील द्वीपों के राजस्व गांवों में उस प्रकार के सभी विकासों के लिए लागू है।

4-4-1 ifjHkk"kk

i) अभिन्यास का अर्थ 8 से अधिक प्लॉटों में भूमि का विभाजन।

ii) उप–विभाजन का अर्थ आवासीय उद्देश्यों के लिए 8 या उससे कम प्लॉटों का विभाजन।

4-4-2 vfHkU;kl vkj mi & foHkkt u fofu;ekas dk mnns';

इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के लिए योजित प्लॉट, गली/गलियारा/सडक द्वारा जुडा हो तथा सडक नेटवर्क, प्लॉटों पर लंबाई तथा विकास की प्रत्याशित गति पर आधारित चौडाई सहित उचित पदनुक्रम के साथ अभिकल्पित हो । यह विनियम आगे यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए योजित क्रीडांगन, उद्यान तथा आम सुविधाओं के लिए उपयुक्त खुला स्थान उपलब्ध हो।

4-4-3 ykxw ekun.M

d½ <u>mi&foHkkt u</u>

आवासीय अभिन्यास के उप–विभाजन के लिए मानदंड इस प्रकार हैः

आवासीय कियाकलापों के लिए मुख्य रूप से अधिकतम 8 प्लॉटों तक के बडे प्लॉटों के उप–विभाजन इस श्रेणी के अंतर्गत आते है। प्रत्येक उप–विभाजित प्लॉटों के लिए, प्लॉट,प्लॉट सम्मुख की सीमा तथा न्यूमतम सडक चौडाई तालिका 4.3.2 के स्तम्भ 2 में वर्गीकृत अनुसार होगा। उप–विभाजित प्लॉटों में पहुंच के लिए उपलब्ध कराई गई सड़क नीचे दी गई तालिका–ग के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त 3000 वर्ग मी. की सीमा और इससे अधिक वाले प्लॉटों के लिए उप–विभाजन से पूर्व 4.4.4 में अनुबंधित अनुसार खुला स्थान के लिए भूमि का आरक्षण अनिवार्य है। यदि प्रस्तावित उप–विभाजन, ओ.एस.आर के प्रावधान को आकर्षित करता है, तो ओ.एस.आर. की ओर जाने वाली सडक/गली, स्थानीय निकाय को उचित विकास एवं बाडे लगाने के पश्चात उपहार विलेख द्वारा सौंपना होगा। आरक्षित खुला स्थान न.ग्र.नि.वि द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और स्थिति में होगा। आरक्षित भूमि अभिन्यास मालिक, डेवलोपर या प्रोमोटर द्वारा किसी भी निर्माण से मुक्त होगा।

[k vkoklh; vfHkU;kl

आवासीय क्रियाकलापों के लिए मुख्य रूप से योजित अभिन्यास इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्लॉट की न्यूनतम सीमा, प्लॉट सम्मुख तथा सडक की न्यूनतम चौडाई तालिका 4.3.2 के स्तम्भ 2 में वर्णित अनुसार होगा। इसके अलावा खुला स्थान के लिए भूमि का आरक्षण तथा नागरिक सुविधाएं आवासीय अभिन्यासों में एक अनिवार्य आवश्यकता है। गलियां और सडके भी अभिन्यास में उसकी लंबाई और विकास की गति द्वारा नियंत्रित होती है। आवासीय अभिन्यासों के मानदंड इस प्रकार है।

i) खुला स्थान आरक्षण मानदंड

आवासीय अभिन्यास के लिए अभिन्यास या उप–विभाजन में मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए भूमि का आरक्षण इस प्रकार होगा।

rkfydk&d [kyk LFkku vkj{k.k

dy vfHkU;kl {k=	[k-LFkk-vk- d fy, vkjf{kr fd, tkus oky vfHkU;kl {k= dh U;ure ifr'kr
0.3 हैक्टे. तक	शून्य
0.3 हैक्टे. से अधिक तथा 3 हैक्टे तक	5 %
3 हैक्टे. से अधिक	7.5 %

नोटः

i) खुला स्थान के लिए आरक्षित क्षेत्र की संगणना करते समय अभिन्यास में प्रस्तावित सार्वजनिक सडको, जिसे स्थानीय निकाय को सौंपना है, को अभिन्यास के सम्पूर्ण क्षेत्र के बाहर रखना होगा।

ii) खुला स्थान का आरक्षण के अंतर्गत क्षेत्रों को डेवेलोपर द्वारा उचित विकास एवं बाडे लगाने के पश्चात स्थानीय निकास को उपहार विलेख द्वारा मुफ्त में सौंपना होगा।

iii) आरक्षित खुला स्थान न.ग्र.नि.वि द्वारा विनिर्देशित रूप एवं स्थिति के अनुसार होगा। इस प्रकार आरक्षित भूमि, अभिन्यास मालिक, डेवेलोपर या प्रोमोटर द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण से मुक्त होगा।

ii) नागरिक सुविधाओं के लिए भूमि का आरक्षण

नागरिक सुविधाओं के लिए भूमि का आरक्षण जैसे स्वस्थ्य देखभाल सुविधाएं, वाणिज्यिक स्थापनाएं, सार्वजनिक उपयोगिताएं तथा सरकारी विभाग के कार्यालय इस प्रकार होगे :

rkfydk&[k ukxfjd lqfo/kkvksa d fy, Hkwfe dk vkj{k.k

Dy vfHkU;kl {k=	[kyk LFkku vkj{k.k d fy, vkjf{kr fd, tkus oky vfHkU;kl {k= dh U;ure ifr'kr
1 हैक्टे. तक	शून्य
1 हैक्टे से अधिक तथा 3 हैक्टे तक	5%
3 हैक्टे से अधिक तथा 5 हैक्टे तक	7.5 %
5 हैक्टे से अधिक	10 %

नोटः

i) नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षण केवल 1 हैक्टे की सीमा से अधिक वाले अभिन्यासों के मामलों में लागू होगा। नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र की संगणना के समय स्थानीय निकास को सौंपे जाने वाले अभिन्यास में प्रस्तावित सार्वजनिक सडके और खुला स्थान आरक्षण को अभिन्यास की कुल सीमा से बाहर रखना होगा।

ii) मालिक या डेवलोपर अभिन्यास के अनुमोदन के दो वर्षो के भीतर निवासियों के लाभ के लिए इस प्रकार की नागरिक सुविधाओं का विकास करेगा या केवल नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित भूमि के उपयोग के लिए निवासियों के संघ को भूमि सौंपेगा ।

iii) सार्वजनिक उपयोगिता उपलब्ध कराने या जनता के उपयोग के लिए कार्यालय उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित भूमियों के उपयोग के लिए सरकारी विभागों द्वारा प्रस्ताव करने के मामले में, वे डेवलोपर से अभिन्यास अनुमोदन के एक वर्ष के भीतर बाजार भाव पर इस प्रकार के आरक्षित भूमियों के 50% की अधिकतम सीमा तक खरीदने के हकदार है ।

iv) सरकारी विभाग द्वारा प्रमोट किए गए आवासीय अभिन्यास में, नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र ऐसे ही रखा जाएगा तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही केवल उपयोग किया जाएगा ।

v) नागरिक सुविधाओं के लिए अलग रखी भूमि वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग क्षेत्र जैसी स्थिति हो, का क्षेत्र समझा जाएगा तथा इस विनियम के अंतर्गत अनुबंधित अनुसार नियोजन मानक, इस प्रकार के प्लॉटों में विकासों को नियंत्रित करेगा ।

iii) <u>गलियारें/गलियां/सडकों की चौडाई</u>

गलियारें/गलियां तथा सडकों की चौडाई विकास की गति, विकास की प्रकृति तथा गली /सडक/गलियारें की लंबाई द्वारा नियंत्रित होती है और या नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगी।

rkfydk&x xfy;kjk@xfy;k@lMdk dh pkMkbZ

Øe l[k	fooj.k	Xkfy;kjk@xfy@lMd dh pkMkbZ ¼eh-½
1	जब 8 प्लॉटों तक की योजना हो तथा गलियारा/गली/सडक की लंबाई 120 मी. से अधिक न हों।	3.0
2	जब 16 प्लॉटों तक की योजना हो तथा गलियारा/गली/सडक की लंबाई 240 मी. से अधिक न हो।	4.0
3	जब 32 प्लॉटों तक की योजना हो तथा गलियारा/गली/सडक की लंबाई 400 मी. से अधिक न हो।	5.0
4	जब सडक की लंबाई 400 मी. से अधिक हो लेकिन 1000 मी. से कम हो ।	7.0 (न.ग्र.नि.वि.) 1000 मी. से अधिक लंबी सडकों के लिए इसे 9 मी. तक बढाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

नोटः

1. इन नियमों के उद्देश्य के लिए अधिकतम प्लॉट सीमा 500 वर्ग मी. से अधिक नही होगी।
2. 8 संख्या उससे कम के प्लॉटों के विभाजन के लिए, क्रम सं. 1 में उल्लिखित गलिया निजि रह सकती है । लेकिन 8 संख्या से अधिक के प्लॉटों के विभाजन के लिए उपरोक्त क्र.सं. 2, 3 तथा 4 में उल्लिखित गलियॉ/सड़के अनिवार्य रूप से स्थानीय निकाय को बिना लागत के उपहार विलेख द्वारा सौपना होगा ।
3. सटे अभिविन्यासों तथा मास्टर प्लान में पहचान किए गए सड़क जाल के पर्याप्त संयोजन सुनिश्चित करने का अधिकार स्थानीय निकाय/न.ग्र.नि.वि के पास सुरक्षित है ।
4. एक सिरे पर बन्द सड़कः जब अभिविन्यास में प्रस्तावित सड़क जाल की लम्बाई 60 मी. के भीतर है, तो समाप्ति सीमा पर 9 मी. x 9 मी. घुमने के रास्ते के साथ एक सिरे पर बंद सड़क अनुमत्य है ।
5. ढ़लान/चढ़ाई एवं घुमाव अर्धव्यासः सड़कों की ढ़लान–चढ़ाई 1:10 से ज्यादा नही होगी तथा सड़को की आंतरिक घुमाव अर्धव्यास 3.5 मी. होगी ।
6. एक सिरा चौड़ा होनाः दो सड़को के प्रतिच्छेद में चौड़े सिरे की व्यवस्था नीचे दिए गए न्यूनतम आयामों के आधार पर की जाएगी ।

rkfydk&?k vko';d lMd ,o LIy dh pkMkbZ

ldh.k lMd dh pkMkbZ	vif{kr U;ure pkMk fljk
7.0 मी. तक	1.5 मी. X 1.5 मी.
7 मी. से अधिक तथा 10 मी. तक	2.5 मी. X 2.5 मी.
10 मी. से अधिक	3.5 मी. X 3.5 मी.

4-5 vU; ekun.Mk ,o ekudk dk ikyu

इन विनियमों के अन्तर्गत विहित मानदण्डों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि अन्य विभागों/संगठनो/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदण्डों और मानको का, जहाँ भी लागू हो, पालन करे । इनका निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है :–

4-5-1 Hkdi ls lqj{kk

हैवलॉक और नील द्वीप क्षेत्र V के अंतर्गत आता है, जो भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है, जहॉ रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे अधिक तीव्रता की भूकंप आ सकती है । अतः इन द्वीपों में प्रस्तावित संरचनाओ के अभिकल्प में पर्याप्त सावधानियाँ बरतनी होगी । प्रत्येक व्यक्ति, जो भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण, आवर्द्धन या परिवर्तन करता है उसे भूकंपीय क्षेत्र V के लिए भारतीय राष्ट्रीय भवन कोड 2005 के प्रावधान के अनुसार भूकंप कंपन से सुरक्षित अभिकल्प पर ही भवन निर्माण करना होगा ।

4-5-2 gyhiM d vkl&ikl d {k= e fuek.k d fy, ukxj&foekuu lqfo/kk vko';drk,a %

वर्तमान एवं प्रस्तावित हेलीपडों के आस–पास के क्षेत्र में भवनें, संरचनाएं नागर–विमानन प्राधिकरण की आवश्यक्तानुसार होगा । भारतीय राष्ट्रीय भवन कोड 2005 में दिए गए अनुसार आवश्यक्ताओं का सामान्यतः पालन करना होगा ।

4-5-3 rVh; fofu;e {k=%

स्थानीय समुदायों के आजिविका की सुरक्षा प्रदान करने तथा इन द्वीपों में व्याप्त अद्वितीय पर्यवरण को बचाने के उद्देश्य के लिए पर्यवरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 2011 में अपने अधिसूचना में हैवलॉक एवं नील द्वीप सहित अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय फैलावों के क्षेत्रों में उपयोगों को प्रतिबंधित किया है । तटीय फैलावों में उपयोग, द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (द्वी.त.वि.क्षे)/एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना (ए.द्वी.प्र.यो.) के प्रावधानों के अनुसार करने की आवश्यकता है ।

इन द्वीपों की तटीय क्षेत्रों के द्वी.त.वि.क्षे–I, द्वी.त.वि.क्षे– II, द्वी.त.वि.क्षे– III एवं द्वी.त.वि.क्षे– IV के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, तथा तटीय क्षेत्रों में क्रियाकलापों के विनियम के मानदण्ड, पर्यवरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना, 2011 में निर्धारित किया गया है। हैवलॉक और नील द्वीप में किसी भी निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए नियोजन अनुमति तथा भवन नक्शा अनुमोदन जारी करने पर विचार का प्रस्ताव, उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन में होगा ।

4-5-4 fodykx 0;fDr;k d fy, iko/kku%

विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान, विकलांग व्यक्ति अधिनियम–1995 के अनूसार अनिवार्य प्रावधान है तथा इस अधिनियम का अभिप्राय जनता द्वारा भवनों एवं परिसरों में बाधा रहित परिस्थितियॉ उपलब्ध कराना एवं सुनिश्चित करना है । आवसीय विकास इस प्रावधान के अंतर्गत नही आते है । बनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित है :

क) कार्यस्थल नियोजन :

प्रत्येक भवन के मुख्य प्रवेश/निकास में विकलांग के लिए कम से कम एक पहुॅच होना चाहिए, जिसे उचित चिह्न पट्ट द्वारा दर्शाना होगा । इस प्रवेश में सीढ़ी प्रवेश के साथ रैम्प से पहुॅचा जा सकेगा । द्वार के रास्ते के सामने रैम्प में लैडिंग होना चाहिए ।

ख) पार्किंग :

कम से कम 2 कार स्थानों के लिए समतल पार्किंग, भवन प्रवेश से 30 मी. की अधिकतम यात्रा की गई दूरी सहित शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश द्वारा के समीप उपलब्ध कारएगा । पार्किंग स्थान की चौड़ाई न्यूनतम 3.6 मी. होगी । सूचना यह बताती है कि पहिए वाली कुर्सी का उपयोग करने वालो के लिए आरक्षित स्थान को स्पष्ट रुप से दर्शाया जाएगा ।

ग) भवन की आवश्यक्ताएं

1. कुर्सी स्तर तथा अन्य स्तरों में जहॉ ढलान एंव चढ़ाई रैपों के लिए संपर्क मार्ग आवश्यकताओं की पुष्टि करेगा । कुरसी स्तर के पहुँच के लिए रैम्प की ढलान 1:12 से अधिक नही होगी तथा इसकी चौड़ाई 1.5 मी. से कम नही होगी तथा इसकी लम्बाई 9 मी. से अधिक नही होगी । रैंप के दोनो ओर रेंलिग की व्यवस्था होगी एवं फर्श फिसलन नही होगी । विभिन्न तलों से जुड़ने वाली रैंपों के लिए ढलान 1:20 से ज्यादा नही होगी तथा इसकी चौड़ाई न्यूनतम 1.5 मी. होगी । एक जीने से दूसरे जीने के बीच का स्थान न्यूनतम 1.5मी. X 3मी. होगी तथा रैंप की लम्बाई भवनों के बीच 9 मी. से अधिक नही होगी ।

2. परिसरों के भीतर उपलब्ध कराई गई लिफ्टों में से कम से कम एक लिफ्ट में 80 सेमी. X 150 सेमी. के आकार की व्हील चेयर (पहिए वाली कुर्सी) को रखने की सुविधा होगी ।

3. दरवाजों एवं दरवाजा मार्ग विकलांग व्यक्तियों के मुक्त विचरण के लिए पर्याप्त चौड़ी होगी तथा यह 90 सेमी. से कम नही होगी ।

4. सीढ़ी और रैंप में राष्ट्रीय भवन कोड–2005, वर्ग 1 में विनिर्देशित अनुसार रेंलिग सुविधाएं होगी ।

5. शौचालय के सेट में कम से कम एक विशेष शौचालय, विकलांग व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध करानी होगी, साथ ही विकलांग के लिए प्रवेश द्वार के समीप वॉसबेसिन का अनविार्य प्रावधान होगा ।

v/;k; 5

dk;kZUo;u fØ;kfof/k

5-1 ;kstuk dk;kZUo;u ds ekfyd fl)kr

जब मास्टर प्लान का अनुमोदन हो जाता है, तो संबंधित विभाग को योजना दस्तावेज में अन्तर्विष्ट प्रावधानों और प्रस्तावों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कठोर परिश्रम करना होगा । हैवलॉक और नील द्वीप अद्वितीय है, अतः इन द्वीपों के लिए मास्टर प्लान है । मास्टर प्लान करने की प्रक्रिया में स्थाई पर्यटन की धारणा मार्गदशी सिद्धांत था, जिससे इन द्वीपों की वहन क्षमता के भीतर विकास प्रभावों को समाविष्ट करने के लिए प्रत्याशित सभी संभाव्यता में अनुकूल प्रतिक्रिया करने वाले मास्टर प्लान के निर्माण में मदद मिली । पर्यटन यहॉ महत्वपूर्ण विकास करने के लिए तैयार है तथा आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में मुख्य भागीदारी प्राप्त करना निश्चित की है । तदनुसार मास्टर प्लान ने इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान दिया है तथा पर्यटकों की संख्या साथ उनकी अभिरूचि कायम रखने के संदर्भ में परियोजनाओं की पहचान की है । अतः नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (वर्तमान में अ.लो.नि.वि की नगर एवं ग्राम नियोजन ईकाई) तथा पर्यटन विभाग को मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की सभी प्रयासों को सही प्रकार से इस्तेमाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ।

यह भी महत्वपूर्ण है कि मास्टर प्लान के शिफारिसों तथा कार्यान्वयनों का आवधिक समीक्षा करें, ताकि परियोजना ब्यौरा में आवश्यक परिवर्तन को समाविष्ट कर सके, विकास नीतियों एवं कार्यनीनियों की समय सीमा एवं पुनपहचान विकास के साथ समायोजन कर सकें । स्थानीय जनसंख्या तथा पर्यटकों की बीच होने वाले अपेक्षित बढ़ते आंतरिक एवं बाहरी अर्थ संबंधी एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में यह संशोधन आवश्यक होगा ।

5-2 Hkfe vkj Hkou fodkl fØ;kdykiksa ds fofu;e

वर्तमान में हैवलॉक और नील द्वीपों में भूमि और भवन विकास क्रियाकलाप अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम 1997 द्वारा नियंत्रित होता है । लेकिन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एंव ग्राम नियोजन विनियम, 1994 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित होने पर तथा इस मास्टर प्लान के प्रचालन में आने पर, इस मास्टर प्लान में 'विकास विनियम' के रूप में समाविष्ट प्रावधान, अधिसूचित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी विकासों पर लागू होगा । इस प्रकार के मामलों में सभी व्यक्ति/निकाय (भारत सरकार के विभाग या प्रशासन सहित) विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य करना चाहता है, तो उसे अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन नियम 2005 की धारा 4(1) के तहत लिखित में आवेदन करना होगा । अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 धारा 10 के अनुसार मास्टर प्लान की पुष्टि से इतर किसी अन्य कानून में समाविष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति, इस मास्टर प्लान के प्रचालन में आने के पश्चात् विकास क्षेत्र में किसी भी भूमि या भवन का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997, इन द्वीप समूह में पंचायत प्रशासन के लिए सामान्य ढांचा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पंचायत के क्षेत्राधिकार के भीतर भवन प्रचालन के नियंत्रण हेतु प्रयोजन भी उपलब्ध कराता है तथा व्यवस्थित भौतिक विकास हेतु अनेक नियम भी प्रस्तुत करता है। उपरोक्त नियमों के अध्याय VII में पंचायत क्षेत्र में निर्माण क्रियाकलापों के लिए सेटबेक अपेक्षाएं, प्लॉट आवरण, न्यूनतम सड़क चौड़ाई इत्यादि जैसे कुछ नियोजन मानदण्ड शामिल है । इसके अतिरिक्त अनुमति हेतु आवेदन एवं छूट से संबंधित प्रक्रिया भी शामिल है ।

मास्टर प्लान के भाग के रूप में निर्धारित विकास विनियम सभी नियोजन मानदण्डों तथा नियोजन अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से समाहित करता है । मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 के बीच द्वंद्व के मामले में मास्टर प्लान के विकास विनियम एवं कार्यान्वयन क्रियाविधि में समाविष्ट प्रावधान प्रचलित होगा ।

5-3 'kfDr;k dk fodUnhdj.k

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 धारा (12) के अतर्गत नगर योजनाकार को विकास क्षेत्र के भीतर नियोजन अनुमति जारी करने की शक्तियॉ प्रदान की गई है ।हैवलॉक और नील द्वापों के पंचायत भागरूप के भीतर नियोजन अनुमति प्रदान करने तथा भवन नक्शा अनुमोदन के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित संस्थानों तथा इन संस्थानों के अगुवाई करने वाले प्रतिनिधियों को नगर योजनाकार की शक्यियॉ एवं प्रकार्य प्रत्यायोजित किया जा सकता है ।

i) स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायत) हैवलॉक और नील द्वीपों के भागरूप

ii) नगर एवं ग्राम नियोजन ईकाई, अ.लो.नि.वि (पोर्ट ब्लेयर नियोजन क्षेत्र के मास्टर प्लान के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के रूप में स्तरोन्नयन करने का प्रस्ताव है)

हैवलॉक और नील दोनो द्वीप प्रत्येक पॉच राजस्व गॉव से मिलकर बना है तथा ये गॉव तालिका 5.3 में उल्लेख तीन ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अधीन आते है ।

rkfydk 5-3 gOyk'd vkj uhy }hik e jktLo xkO@ipk;r

ipk;r dk uke	jktLo xkO
श्यामनगर (हैवलॉक द्वीप)	विजयनगर
	कृष्णनगर
	श्यामनगर
	राधानगर
गोविन्दनगर (हैवलॉक द्वीप)	गोविन्दनगर
नील केन्द्र (नील द्वीप)	लक्ष्मणपूर
	नील केन्द्र
	रामनगर
	भरतपूर
	सीतापूर

वर्तमान में हैवलॉक और नील द्वीप के राजस्व गॉवों में भवन क्रियाकलाप, संबंधित ग्राम पंचायातों द्वारा विनियमित होता है । 200 वर्ग मी. या उससे कम के प्लॉटों में सभी प्रकार के विकासों के लिए नियोजन अनुमति एवं भवन नक्शा अनुमोदन जारी करने के लिए इन स्थानीय निकायों को शक्तियॉ विकेन्द्रित करने का प्रस्ताव है । 200 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉटों के विकास के लिए न. ग्रा. नि.वि नियोजन अनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा और भवन नक्शा अनुमोदन, संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

आगे यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जहॉ प्लॉटों की संख्या 8 से अधिक नहीं है तथा अभिन्यास के लिए विचार हेतु स्थल की कुल सीमा 1000 वर्ग मी. से अधिक नहीं है, ऐसे मामलों में प्लॉटों के लिए अभिन्यास के अनुमोदन हेतु नियोजन क्षेत्र के भीतर पंचायतों को शक्तियॉ विकेन्द्रित किया जाए ।

5-4 fodkl gr fu;ktu vuefr] Hkou uD'kk vuekuu rFkk IykVk d fy, vfHkU;kl ikIr dju dh fØ;kfof/k %

भूमि तथा भवन विकास के लिए नियमों एवं मानकों को निर्धारित करने के अलावा विकास विनियम नियोजन अनुमति के 'सामान्य' एवं 'विशेष स्वीकृति' श्रेणियॉ के लिए भी प्रस्ताव करता है । नियोजन अनुमति प्राप्त/प्रदान करने की क्रियाविधि इस धारा के अन्तर्गत निर्देशित है ।

¼d½ 200 oxZ eh- ;k mlls de lhek okys IykWV ds fodkl ds fy, %

यदि प्रस्तावित 'विकास' 200 वर्ग मी. या उससे कम के प्लॉट के भीतर है, तो आवेदक, नियोजन अनुमति एवं भवन नक्शा अनुमोदन दोनों प्राप्त करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय के पास विहित फॉर्मेट में आवेदन कर सकता है । इसके बाद स्थानीय निकाय अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 के अनुसार हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान के साथ समस्वरता से भवन नक्शा के अनुमोदन तथा हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियोजन अनुमति प्रदान कर सकता है ।

यदि क्रियाकलाप के लिए विशेष स्वीकृति की आवश्यकता है तो स्थानीय निकाय, भवन नक्शा के अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व नियोजन अनुमति जारी करने के लिए, प्रस्ताव को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पास भेज सकता है ।

¼[k½ 200 oxZ eh- ls vf/kd lhek ds IykWVksa ds fodkl ds fy, %

200 वर्ग मी. से अधिक के प्लॉट में विकास क्रियाकलापों के मामलों में आवेदक संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से विहित प्रपत्र में नगर योजनाकार, न.ग्रा.नि.वि के पास आवेदन कर सकता है । नगर योजनाकार, मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियोजन अनुमति प्रदान कर सकता है । अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार तथा हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान के साथ समस्वरता से स्थानीय निकाय द्वारा भवन नक्शा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

¼x½ vU;

8 या उससे कम संख्या वाले प्लाटों के अभिन्यास के मामलों में तथा 1000 वर्ग मीटर या उससे कम के अभिन्यास के स्थलों के मामलों में आवेदक अनुमोदन हेतु विहित प्रपत्र में सीधे स्थानीय निकाय के पास आवेदन कर सकता है। स्थानीय निकाय, हैवलॉक तथा नील द्वीपों के मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उसका अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

8 से अधिक संख्या वाले प्लाटों के अभिन्यास या 1000 वर्ग मी. की सीमा से अधिक के स्थलों में प्लाटों के अभिन्यास के लिए आवेदक, विचार एवं अनुमोदन के लिए संबंधित स्थानीय निकाय के माध्यम से विहित प्रपत्र में नगर योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पास आवेदन कर सकता है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान में अनुबंधित विकास नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसका अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

5-5 lykgdkj fudk; dk xBu

जैसा कि अनुभाग 5.3 में पहले ही बताया गया है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम 1994 के तहत नियुक्त नगर योजनाकार को हैवलॉक तथा नील द्वीप के मास्टर प्लान में समाविष्ट राजस्व गॉवों के भीतर नियोजन अनुमति प्रदान करने के संबंध में उनकी शाक्तियों एवं प्रकायों को स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रत्यायोजित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सलाहकार निकाय के गठन से, मास्टर प्लान के कार्यान्वयन तथा नियोजन अनुमति प्रदान करने से संबंधित मामलों में, विस्तृत परामर्श एवं सहमति लेने में जब कभी और जहां कहीं वह आवश्यक समझे, नगर योजनाकार को मदद प्राप्त हो सकता है। अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि 'हैवलॉक तथा नील सलाहकार निकाय' के नाम से एक सलाहकार निकाय का गठन किया जाएगा जो कि हैवलॉक तथा नील द्वीपों के नियोजन और विकास से संबंधित मामलों में 'नगर योजनाकार' को सलाह एवं सिफारिश प्रदान करेगा । नगर योजनाकार, यदि अनिवार्य समझे, विशेष स्वीकृति श्रेणी के अन्तर्गत मॉगी गई नियोजन अनुमति हेतु आवेदन को विचारार्थ भेज भी सकता/सकती है ।

न.ग्रा.नि.वि. का नगर एवं ग्राम योजनाकार, हैवलॉक तथा नील विकास परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से हैवलॉक एवं नील द्वीप की योजना कार्यान्वयन एवं विकास का प्रभारी होगा/होगी । हैवलॉक एवं नील द्वीप सलाहकार निकाय के सदस्य सचिव का प्रकार्य, नगर एवं ग्राम योजनाकार या सह–नगर एवं ग्राम योजनाकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा । पर्यटन, पर्यवरण एवं वन, मत्स्यकीय तथा लोक निर्माण विभाग से प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान) को हैवलॉक तथा नील सलाहकार निकाय के सदस्यों के रूप में शमिल किया जा सकता है । हैवलॉक तथा नील द्वीपों के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को भी समीति में सदस्य के रूप में शामिल करने का विचार कियाा जा सकता है । प्राधिकरण के विस्तृत प्रकार्यों में निम्नलिखित शामिल है :

i. मास्टर प्लान के कार्यान्वयन में उपयुक्त कार्यनीतियों की शिफाारिश करना ।
ii. मास्टर प्लान में पहचान किए गए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यसिद्धि में सहायता प्रदान करना ।
iii. मास्टर प्लान के सफल कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों से पार पाने में क्षेत्रक अभिकरणों तथा विभिन्न अन्य शेयरधारिता के मध्य समन्वय स्थापित करने में मदद करना ।
iv. नगर योजनाकार या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके ऊपर नियोजन अनुमति प्रदान करने हेतु शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है, के द्वारा भेजी गई विशेष स्वीकृति श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले नियोजन अनुमति देने में मत प्रदान करना ।
v. नगर योजनाकार या किसी अन्य व्यक्ति, जिसके ऊपर भूमि उपयोग पुनर्वर्गीकरण प्रदान करने हेतु शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है, के द्वारा भेजी गई भूमि उपयोग पुनर्वर्गीकरण पर मत प्रदान करना ।
vi. हैवलॉक एवं नील द्वीपों के नियोजन एवं विकास तथा मास्टर प्लान के कार्यान्वयन से संबंधित, प्रशासन द्वारा भेजे गए किसी भी अन्य मामलों पर अपना दृष्टिकोण प्रदान करना ।

5-6 vfHkdj.kksa dh Hkfedk ,oa mUkjnkf;Ro

मास्टर प्लान दस्तावेज ने हैवलॉक एवं नील द्वीपों में स्थाई पर्यटन विकास की कार्यसिद्धि के प्रति प्रस्तावों की पहचान की है । उन प्रस्तावों की पहचान करने पर भी ध्यान दिया गया है, जो मास्टर प्लान में स्थानीय आबादी की सामाजिकाार्थिक स्थिति को अत्यधिक बढ़ा सके । यद्यपि इस परियोजना की सफलता विभिन्न अभिकरणों तथा जनता के समर्थन और समन्वय पर निर्भर करेगा तथापि संबंधित अभिकरणों/विभागों द्वारा परियोजना कार्यानवयन की प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता है, जिस पर अंत में परियोजनओं को प्रचालन तथा रखरखाव के लिए सौंपा जाएगा । हैवलॉक एवं नील द्वीपों में पर्यटन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा ग्राम पंचायत के बीच समन्वय जटिल और महत्त्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये अभिकरण मास्टर प्लान के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीतियॉ एवं कार्यनीतियॉ बनाने तथा साथ ही मास्टर प्लान में समाविष्ट प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिक उत्तरदायी होगी ।

मास्टर प्लान में सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी विभागों को, जहॉ भी आवश्यक हो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा पर्यवरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के निर्माण के संबध में कार्रवाई प्रारंभ करने तथा सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । क्योंकि भूमि, स्थानिक संदर्भ की दृष्टि से विचार किए गए प्रत्येक परियोजनाओं का अनिवार्य घटक है, अतः सरकारी विभागों को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन हेतु नवाचारी तरीके से उचित कदम उठाना होगा ।

मास्टर प्लान स्थानीय आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए भूमि उपयोग का पुनर्वर्गीकरण उपलब्ध कराता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कोई भी व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रभावित न हो। क्योंकि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह नगर एवं ग्राम नियोजन विनियम, 1994 'भूमि उपयोग पुनर्वर्गीकरण' उपलब्ध नहीं कराता, अतः प्रशासन इस प्रकार के प्रावधान को समाविष्ट करने हेतु विनियमों में संशोधन पर विचार कर सकता है ।

अन्य स्थानों से भिन्न, हैवलॉक और नील द्वीप में ग्राम पंचायत पर अधिक भार है, क्योंकि उसे न केवल स्थानीय आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, बल्कि उसे पर्यटकों की काफी बड़ी और बढ़ती संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है, जो योजना अवधि के अंत तक संख्या में स्थानीय आबादी से अधिक हो सकती है । लेकिन उनकी संगठनात्मक संरचना तथा शक्तियॉं, किसी भी अन्य स्थानीय शासन की तुलना में समान है, जो एक कुशल प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकती । हैवलॉक और नील द्वीपों के इन स्थानीय शासकों में तकनीकी मानवशक्ति की कमी देखी गई है तथा स्थितियों को प्रबंध करने में कठिनाई प्रस्तुत आती पाई गई है । आगे इन संस्थानों को 200 वर्ग मी. या उससे कम की सीमा वाले प्लॉटों में विकास के लिए नियोजन अनुमति एवं भवन नक्शा अनुमोदन दोनों जारी करने के लिए मास्टर प्लान द्वारा शक्ति दी गई है । इन सभी पर विचार करते हुए हैवलॉक एवं नील द्वीपों में स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने की ओर प्रशासन को उपयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है ।

5-7 l|lk/ku t|Vko

मास्टर प्लान में हैवलॉक एवं नील द्वीपों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने तथा उनके ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए अवसरों का लाभ उठाने हेतु स्थानीय आबादी को दिए जाने वाले सेवा में सुधार के लिए परियोजनाओं तथा अनेक अन्य परियोजनाओं की भी पहचान की गई है । क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार इन द्वीपों की संयुक्त जनसंख्या 10,000 से अधिक नहीं है, अतः मास्टर प्लान में स्थानीय आबादी को लाभ पहुॅंचाने वाले लक्षित परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में पूॅंजी की आवश्यकता नहीं है । फिर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई परियोजनाऍं पूॅंजी लक्षित है तथा दीर्घ कालावधि की भी आवश्यकता है । जैसा कि पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ा हिस्सा लेने के लिए सभी प्रकार से तैयार है, मास्टर प्लान में पहचान किए गए अनेक पर्यटन विकास परियोजनाऍं है, जिसके कार्यान्वयन में ऊॅंची पूॅंची लागत की आवश्यकता है । यद्यपि इन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक आर्थिक सहायता का उपयोग किया जा सकता है तथापि यह पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः पर्याप्त नहीं हो सकता ।

हॉलाकि निजि सार्वजनिक भागीदारी दृष्टिकोण किसी भी अन्य क्षेत्र की परियोजनाओं की अपेक्षा पर्यटन परियोजनाओं को अधिक भाता है, तथापि मास्टर प्लान में पर्यटन विकास से संबंधित सभी परियोजनाऍं निजि क्षेत्र की भागीदारी को निश्चित आकर्षित करेगा । भारत से अधिकांशतः सभी राज्य सरकारें, पर्यटन परियोजनाऍं कार्यान्वित करने के लिए निजि सार्वजनिक भागीदारी धारणा को लागू करना आरंभ कर दिए है, जो हैवलॉक और नील द्वीपों में पर्यटन विकास की संभावना एवं अवसर को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही अधिक बोलीकर्त्ता को आकर्षित करेगा ।

भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार की पर्यटन परियोजनाओं को प्रोत्साहित एवं समर्थन करती है, समुद्री पर्यटन, पर्यवरण अनुकूल पर्यटन, साहसिक पर्यटन हेलीपोर्ट पर्यटन तथा सुगम पर्यटन व्यापक क्षेत्र है, जिसके तहत पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित एवं समर्थन किया जाता है । पर्यटन विभाग, अ. तथ नि. प्रशासन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता के व्यापक क्षेत्रों के अन्तर्गत मास्टर प्लान में पहचान किए गए परियोजनाओं की चूलदार संयोजन तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की ओर अनिवार्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा करता है ।

अ. तथ नि. प्रशासन के विभाग, प्लान योजनाओं के अन्तर्गत सुरक्षित आबंटन के लिए प्रशासन के वार्षिक/पंच वर्षीय योजनाओं में मास्टर प्लान में पहचान किए गए परियोजनाओं को संबद्ध करने की ओर कार्य आरंभ करने की उम्मीद भी करता है ।

योजना कार्यान्वयन में भूमि की उपलब्धता और उसे कब्जे में लेना एक अन्य जटिल आयाम है । भूमि एक कीमती परिसंपत्ति है तथा विकास के लिए संसाधन के रूप में इसका उपयोगा होता है । अधिकतर विकास परियोजनओं में भूमि लागत का अंश महत्त्वपूर्ण है । अतः प्रशासन के अभिकरण अपने अधिकार के तहत भूमि की पूर्ण सूची अपने कब्जे में रखने की अपेक्षा करती है तथा अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन के भाग के रूप में इन महत्त्वपूर्ण संसाधनों के लिए प्रबंधन योजना तैयार करते है । यह उपयोगी है कि इन द्वीपों में भूमियॉं केवल पट्टे पर दी जाती है और पट्टे का नवीनीकरण भूमि के सार्वजनिक उपयोग की आवश्यकता के परीक्षण के पश्चात ही की जाती है । अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजि सार्वजनिक भागीदारी प्रतिदर्श के बारे में विचार करते समय परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराना प्रशासन द्वारा निवेश का अंश हो सकता है ।

न.ग्रा.नि.वि विकास अधिकारों का हस्तांतरण जैसे भूमि प्रबंधन औजार के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन भी कर सकता है, जो परियोजना लागत को बड़ी मात्रा में कम कर सकता है, जहॉ भूमि अर्जन अनिवार्य है । विकास अधिकारों का हस्तांतरण द्वीपों की प्राचीन पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने तथा भौतिक विकास में गतिशीलता से समझौता किए बिना स्थाई आर्थिक विकास के लिए भी एक प्रभावी कार्यनीति हो सकता है ।